

Report

Of the

Joint Committee Constituted by Hon'ble
NGT Central Zone Bench, Bhopal (MP)

In the matter of

Original Application

NO. 35/2025;

Devidas Khatri V/s Secretary,

MoEF&CC and others

INDEX

Sr.No.	Particular	Page No.
1.	Report of Joint Committee	01-09
2.	Copy of MoEF&CC, Govt. of India order dated 19.12.2006 (Annexure R-1)	10-13
3.	Copy of nomination letters (Annexure R-2)	14-17
4.	Copy of the communication held with Revenue Department (Annexure R-3)	18
5.	Copy of notifications and maps (Annexure R-4).	19-33
6.	Copy of draft notification (Annexure R-5).	34-41
7.	Copy of Ministry of Environment and Forests (Wildlife Division) order dated 03/07/2013 and copy of Hon'ble Supreme Court order dated 14/05/2024 (Annexure R-6)	42-47
8.	Copy of Office Memorandum, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) dated 17/05/2022 (Annexure R-7)	48-50
9.	Copy of joint survey report provided by Sub-Divisional Officers of Rajgarh, Thanagazi, Malakhera and Alwar (Annexure R-8)	51-111
10.	List of hotels within 1 Km of CTH (Annexure R-9)	112-117
11.	List of hotels on which NBWL is applicable (Annexure R-10)	118
12.	Consent status of hotel with sample copy of SCN. (Annexure R-11)	119-122

Report of the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 35/2025; Devidas Khatri V/s Secretary, MoEF&CC, GoI and Otrs

1. The applicant Sh. Devidas Khatri has raised the grievance before the Hon'ble Tribunal regarding noncompliance of the order MoEF&CC, Govt. of India dated. 19.12.2006 which was issued in compliance of the order dated 04.12.2006 in W.P. No. 460/2004 titled as *Goa Foundation vs. Union of India & Ors.* passed by Hon'ble Supreme Court of India. (Annexure R-1)
2. It is further alleged that even after 18 years of Supreme Court direction the Eco Sensitive zone Notification has not been declared for Sariska Tiger Reserve.
3. The applicant has raised serious environmental concerns, alleging that hotels/resorts have mushroomed in Sariska Tiger Reserve in past 10-15 years increasing risk of human animal conflict. It has been alleged that the Hotels/resorts are being established in and around Sariska Tiger Reserve without seeking permission from NBWL.
4. Sariska Tiger Reserve is ecologically significant, being rich in biodiversity and one of the closest tiger reserves to the National Capital Region. The applicant alleges that sufficient protective measures have not been implemented to safeguard the reserve.
5. Considering the issues raised by the applicant, Hon'ble NGT passed following order on 26th March 2025:

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:-

- (i) *One Representative from the MoEF&CC, Govt. of India, integrated office at Jaipur (Rajasthan)*
- (ii) *One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest- & Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan (Rajasthan)*
- (iii) *One Representative from the Central Pollution Control Board integrated office Jaipur (Rajasthan)*
- (iv) *One Representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (Rajasthan)*

The committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

6. Accordingly, the Nodal Agency, Rajasthan State Pollution Control Board sought the nominations from the concerning departments and Shri Mahesh Dutt Purohit, Scientist 'D' from Sub Regional Office Jaipur, Regional Office Gandhinagar, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC);, Sh. Sunil Kumar Meena, Scientist 'E', Central Pollution Control Board (CPCB), Regional Directorate (Central), Bhopal; Sh. Abhimanyu Saharan, Deputy Conservator of Forests, Tiger Project, Sariska, Alwar and Shri Neeraj Sharma, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board(RSPCB), Regional Office, Alwar were nominated for the Joint Committee. (Copy of nomination letters are enclosed as *Annexure R-2*)
7. This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visit on 21.07.2025, looking in to the issues raised by the applicant.
8. Later on, vide order dated 08.08.2025, the Hon'ble NGT involved the Revenue Department. In compliance with the said order, the nodal agency, RSPCB, addressed a letter to the Principal Secretary, Revenue Department, Rajasthan, seeking nomination for the Joint Committee. However, no nomination has been received from the department till date (*Annexure R-3*).

Factual Observations

9. The area under consideration was formerly known as Sariska Wildlife Sanctuary and Critical tiger habitat and buffer has now been officially designated as the Sariska Tiger Reserve. Initially declared sariska Wildlife sanctuary in 1955, it was amendment in 1958. In 1978, it was brought under Project Tiger as a Tiger Reserve and later in 1982, Some area was notified as a National Park.
10. The Sariska wildlife sanctuary initially was declared a reserved area measuring over 544.2316 sq. km. Subsequently, the Critical Tiger Habitat (CTH) of the Sariska Tiger Reserve was notified, covering an area of 881.11 sq. km, and the buffer zone was defined over 332.23 sq. km. At present, the Sariska Tiger Reserve is measuring over 1213.34 sq. km. The Eco-Sensitive Zone (ESZ) of the Tiger Reserve has not yet been notified. It is also noted that, in certain locations,

the boundary of the CTH extends beyond the boundary of the Sariska Sanctuary. (Copy of notifications and maps are enclosed as *Annexure R-4*).

11. In the Hon'ble Supreme Court, New Delhi, in the pending *Writ Petition (Civil) No. 01/2023*, T.N. Godavarman vs. Union of India, where Amicus Curiae Mr. K. Parmeshwar is appointed, the Hon'ble Supreme Court received an affidavit submitted by the State Government. Pursuant to this, the Central Empowered Committee recommended certain proposals under point number 12. Accordingly, the Principal Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur, via Order No. F.No.3(45)Forest/2024-08281 dated 10-01-2025, constituted the following committee. For the purpose of rationalizing the Critical Tiger Habitat area of Sariska Tiger Reserve, as per provisions under Section 38-V of the Wildlife (Protection) Act, 1972, based on scientific parameters, a report was to be prepared by the committee. Accordingly, on 21-04-2025, the final meeting was held under the chairmanship of the Chief Conservator of Forests and Field Director, Sariska Tiger Reserve, at the Interpretation Center (NIC House), Campus Sariska Regarding the Rationalization of Sariska Tiger Reserve, committee meetings were held on 21-01-2025, 17-02-2025, 19-03-2025, 07-04-2025, and 21-04-2025. Based on the feedback and discussions in these meetings, approval was given to rationalize the Critical Tiger Habitat and Buffer areas under the Sariska Tiger Reserve. The committee also approved the transfer of certain areas from Critical Tiger Habitat to Buffer Zone and vice versa. The proposal in this regard has been forwarded to the higher authorities under letter number 5393 dated 23-04-2025. After this, A draft notification for sariska wildlife sanctuary declared with dated 10 November 2025. (*Annexure R-5*)
12. Further objections from the general public regarding the proposed modifications to the CTH will be invited by district collector and examined, and after this the process of disposal of such objections will be completed as per the directions of the State Government.
13. The rationalization proposal has subsequently been endorsed by the State Wildlife Board, the National Wildlife Board, and the National Tiger Conservation Authority (NTCA), New Delhi. As mandated by the Hon'ble Supreme Court, the boundaries of Sariska Wildlife Sanctuary shall be made coterminous with the revised CTH upon completion of the rationalisation

process. In accordance with the Court's order dated 11.12.2024, the rationalised CTH area will increase from 881.11 sq. km to 924.48 sq. km.

14. Final notification of Eco Sensitive zone of Sariska tiger reserve has not been declared yet, draft notification of Eco Sensitive zone of Sariska tiger reserve was declared on 02.11.2023.
15. As the ESZ of the Sariska Tiger Reserve has not been notified the order of Ministry of Environment and Forests (Wildlife Division) order dated 03/07/2013 is applicable to consider the ESZ Boundary as 10 Kms. From the existing boundary. As per order of Hon'ble Supreme Court dated 14/05/2024, the boundary of existing CTH (including the area outside the Sariska Tiger Reserve) must also be considered as Protected Area. (*Annexure R-6*).
16. To ascertain the applicability of NBWL Clearance the committee analyzed the Office Memorandum dated 17/05/2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI. (*Annexure R-7*)
17. According to said O.M. dated 17/05/2022, any project or activity proposed outside a Protected Area (PA), where the Eco-Sensitive Zone (ESZ) has not been notified or is under draft notification, requires prior consideration by the National Board for Wildlife (NBWL) or its Standing Committee (SCNBWL), provided the project/activity covered under the Schedule of EIA Notification, 2006 and located within 10 km of National Park or Sanctuary. Furthermore, for any project or activity proposed to be located in an area which forms part of a Tiger Reserve or area linking one PA or Tiger Reserve with another PA or Tiger Reserve, prior clearance from the NBWL/SCNBWL is also required. Forest Clearance will be required anywhere outside the PA, only if forest land is involved and proposed activity is for non-forestry use, as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules and guidelines made thereunder, irrespective of the notified limits/default limits of ESZ/ESA.
18. It is pertinent to mention here that any hotel activity having built up area more than 20000 sq. mt. is covered under the EIA Notification, 2006. Accordingly, the District Administration was contacted to provide records of hotels developing in and around 10 Kilometers of the Sariska Tiger Reserve. In response, the four Sub-Divisional Officers—Rajgarh, Thanagazi, Alwar, and Malakhera—having jurisdiction over areas in or around the Sariska Tiger Reserve, submitted survey

reports of commercial and industrial activities operating within a 1-kilometer radius of the Critical Tiger Habitat (CTH) as the details of 1 kilometer radius was readily available with them due to a survey conducted in compliance with the District Collector's order dated 12.06.2024. (*Annexure R-8*)

19. As per the records furnished by the Sub-Divisional Officers and the Forest Department, Government of Rajasthan, it has been identified that 62 properties are engaged in hotel activities situated within a 1-kilometer radius of the CTH of Sariska Tiger Reserve (List attached at *Annexure R-9*). Out of these 62 hotels:

- 12 hotels have land converted from competent authority,
- 4 hotels have obtained NOC from Tehsildar,
- 46 hotels do not have converted land, and

6 (List attached at *Annexure R-10*) out of the 62 hotels fall within the boundaries of the sanctuary, making NBWL clearance mandatory in their case, however none of them produced the NBWL clearance.

20. As per the records of the Sub-Divisional Officers, the Rajasthan State Pollution Control Board has also identified these same 62 properties are engaged in hotel activities situated within a 1-kilometer radius of the CTH of Sariska Tiger Reserve. Out of these 62 hotels:

- 17 hotels possess valid Consent to Operate (CTO),
- 2 hotels have applied for renewal of CTO, and
- Show Cause Notices (SCNs) have been issued to the remaining 43 hotels by the State Board.

The consolidated list along with a sample copy of the SCN is enclosed as *Annexure R-11*.

21. The Joint Committee also physically inspected the following some hotels randomly: M/s Sariska Manore, located in Tehla Village, M/s Amanbagh Hotel, and M/s Ananta Spa & Resorts located in Ajabgarh Village of Pratapgarh Tehsil, Alwar.

Conclusion

1. Final notification of Eco Sensitive zone of sariska tiger reserve has not been declared yet, draft notification of Eco Sensitive Zone of sariska tiger reserve was declared as dated 02.11.2023.
2. The State Government of Rajasthan has initiated the statutory process for rationalization of the Critical Tiger Habitat. A duly constituted committee has examined and approved the proposed rationalization. The State Government is presently inviting, scrutinizing, and addressing objections from all stakeholders, and the process of finalizing the proposal is underway in accordance with the Wildlife (Protection) Act and the directions of the Hon'ble Supreme Court.
3. At present the details of only 1 km radius is available. A detailed survey needs to be conducted for remaining area jointly by District Administration, RPCB and State Forest Department.
4. A total of 62 hotels is located within 1 km of the CTH of Sariska Tiger Reserve. Among them, 12 have converted land, 4 hold Tehsildar NOCs, and 46 lack land conversion. Six of these hotels fall inside the sanctuary and require NBWL clearance, but none have obtained it. Regarding pollution control compliance, the Rajasthan State Pollution Control Board identified the same 62 hotels: 17 hold valid CTOs, 2 have applied for renewal, and.
5. Rajasthan State Pollution Control Board has issued Show Cause Notices to 43 hotels which does not possess valid consent of the state board.

Submitted for kind perusal and further necessary action.


 (Sh. Abhimanyu Saharan) Deputy Conservator of Forests Tiger Project, Sariska, Alwar	 (Er. Mahesh Dutt Purohit), Joint Director (S)/ Scientist-D, Sub-Regional Office, MoEF&CC, Jaipur
 (Neeraj Sharma) Regional Officer RSPCB, Alwar	 (Sh. Sunil Kumar Meena), Scientist – E, CPCB, Bhopal



Figure: Joint Committee visit in M/s Amanbagh, Village Ajabgarh, Tehsil Pratapgarh

4-12-06 593

Annexure R-1
208

10



Government of India
Ministry of Environment & Forests
(Wildlife Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003.

MOST URGENT
SUPREME COURT DIRECTIVE

F. No. 6-1/2003 WL-I (pt)
Dated: 19th December 2006

To
The Chief Secretary,
All States/Union Territories.

Sub: Eco-fragile/Eco-sensitive Zones around National Parks & Wildlife Sanctuaries-Reg.

Ref: This Ministry's letter of even no. dated 27th May 2005 and subsequent reminders on 6.12.2005, 23.1.2006 and 16.11.2006.


Sir,

Kindly refer to the above mentioned letter dated 27.5.2005 and subsequent reminders requesting for proposals regarding declaration of Eco-fragile/Eco-sensitive Zones around National Parks & Wildlife Sanctuaries. In this regard, it is mentioned that proposal from the State Governments are still awaited in this Ministry.

It may be mentioned here that Hon'ble Supreme Court vide order dated 4th December 2006 in W.P. 460/2004 in Goa Foundation Vs. Union of India has directed this Ministry to give a final opportunity to all States/Union territories to respond to this office letter dated 27.5.2005 and that the State Governments send their proposals within four weeks, to this Ministry. The Hon'ble Court has also directed that if the State Governments fail to comply to this, then the Court would consider passing orders for implementation of decision taken on 21st January 2002 in which all areas falling within 10 km from the boundary of Protected Area would be treated as eco-sensitive zones.. A copy of the said order of Hon'ble Court is enclosed for ready reference.

In view of the above, it is once again requested that the proposals may be sent to this Ministry within four weeks time from the date of this letter.

Yours faithfully,


(Dr. Anmol Kumar)
Deputy Inspector General (WL)
Telefax: 011-24362813.

Encl: Order of Hon'ble court dated 4.12.2006 in W.P. 460/2004.

Copy to: The Chief Wildlife Warden, All States/Union Territories- for necessary action.

12/06
A
24/12
Bhawan - Forests

SSP

For NATCO Pharma: Mr. S.Chandra Snekhari, Adv.

For Respondent(s) Mr. Soli J. Sorabjee, Sr.Adv.
Mr. Dhruv Mehta, Adv.
Mr. Harshvardhan Jha, Adv.
Mr. Yashraj Deora, Adv.
Mr. Mannoji Mehta, Adv.
for M/s. K.L. Mehta & Co., Advs.

Union of India: Mr. G.E. Vahanvati, S.G.
Mr. Vikas Sharma, Adv.
Mr. Shilpa Singh, Adv.
Mr. R.C.Kathiya, Adv.
Mrs. Anil Katiyar, Adv.

For Haryana: Mr. Ajay Siwach, AAG.
Mr. Manjit Singh, AAG.
Mr. T.V. George, Adv.

Mr. Bharat Sangal, Adv.
Mr. R.R.Kumar, Adv.
Mr. Sanyadip Chatterji, Adv.
Ms. Suchita Sharma, Adv.

For TATA Steel: Mr. Gopal Jain, Adv.
Mr. R.N. Rakanjawala, Adv.
Mrs. Nandini Gore, Adv.
Mr. Manik Karanjawala, Adv.

For Goa SPCB & Sec.Env., St.of Goa: Mr. Bhavanishankar V. Gadnis, Adv.
Mrs. B. Sunita Rao, Adv.

Mr. Aruneshwar Gupta, Adv.
M/s. Lawyer's Knit & Co., Advs.
Mr. Anip Sachthey, Adv.
Mr. B. Partha Sarthy, Adv.
Mr. M.K. Dua, Adv.
M/S Gagrat & Co., Adv.
Mr. Sunil Kumar Jain, Adv.
Mr. Rakesh K. Sharma, Adv.
Ms. Praveena Gautam, Adv.
Mr. Nikhil Nayyar, Adv.
Mrs. Prabha Swami, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R

The order dated 16th October, 2006 refers to a letter dated 27th May, 2005 which was addressed by the Ministry of Environment and Forests (MoEF) to the Chief Wildlife Wardens of all States/Union Territories requiring them to initiate measures for identification of suitable areas and submit detailed

proposals at the earliest. The order passed on that date was that MoEF shall file an affidavit stating whether the proposals received pursuant to the letter of 27th May, 2005 have been referred to the Standing Committee of National Board for Wildlife under the Wild Life (Protection) Act, 1972 or not. It was further directed that such of the States/Union Territories who have not responded to the letter dated 27th May, 2005 shall do the needful within four weeks of the communication of the directions of this Court by the Ministry to them.

It seems that despite the letter dated 27th May, 2005 and despite the Ministry having issued reminders and also bringing to the notice of the States/Union Territories the orders of this Court dated 16th October, 2006, the States/Union Territories have not responded. However, we are told that the State of Goa alone has sent the proposal but that too does not appear to be in full conformity with what was sought for in the letter dated 27th May, 2005.

The order earlier passed on 30th January, 2006 refers to the decision which was taken on 21st January, 2002 to notify the areas within 10 km. of the boundaries of national parks and sanctuaries as eco-sensitive areas. The letter dated 27th May, 2005 is a departure from the decision of 21st January, 2002. For the present, in this case, we are not considering the correctness of this departure. That is being examined in another case separately. Be that as it may, it is evident that the States/Union Territories have not given the importance that is required to be given to most of the laws to protect environment made after Rio Declaration, 1972.

The Ministry is directed to give a final opportunity to all States/Union Territories to respond to its letter dated 27th May, 2005. The State of Goa also is permitted to give

appropriate proposal in addition to what is said to have already been sent to the Central Government. The communication sent to the States/Union Territories shall make it clear that if the proposals are not sent even now within a period of four weeks of receipt of the communication from the Ministry, this Court may have to consider passing orders for implementation of the decision that was taken on 21st January, 2002, namely, notification of the areas within 10 km. of the boundaries of the sanctuaries and national parks as eco-sensitive areas with a view to conserve the forest, wildlife and environment, and having regard to the precautionary principles. If the States/Union Territories now fail to respond, they would do so at their own risk and peril.

The MoEF would also refer to the Standing Committee of the National Board for Wildlife, under Sections 5(b) and 5(c)(ii) of the Wild Life (Protection) Act, the cases where environment clearance has already been granted where activities are within 10 km. zone.

List the matter after eight weeks.

N. Annapurna
 (N. Annapurna)
 Court Master

V.P. Tyagi
 (V.P. Tyagi)
 Asstt. Registrar
4/5/12



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (739) RPCB/Legal/NGT/2025/ 78-81

Date: 21/04/25

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Alwar
Mobile No.: 9414120532
Email: ro.alwar@gmail.com

Subject – Regarding the Hon'ble National Green Tribunal (CZ), Bhopal order dated 26.03.2025 passed in Original Application No. 35/2025 (CZ), Devidas Khatri V/s Union of India & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT (CZ) Bench, Bhopal has passed an order dated 26.03.2025 and directed inter-alia as follow:-

- 5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:**
- (i) One Representative from the MoEF&CC, Govt. of India, integrated office at Jaipur (Rajasthan)
 - (ii) One Representative from Principal Chief Conservator of Forest- & Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan(Rajasthan)
 - (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board integrated office Jaipur (Rajasthan)
 - (iv) One Representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (Rajasthan)
- 6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.**

In light of the aforesaid order dated 26.03.2025, you are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal officer on behalf of the Member Secretary, RSPCB with the direction to ensure compliance of the Hon'ble NGT(CZ) , Bhopal order dated 26.03.2025. Copy of the aforesaid order dated 26.03.2025 is being enclosed for ready reference.

Encls-As above

(Sharda Pratap Singh)

Member Secretary

Copy to following for information/necessary action –

1. Regional Director, Integrated Regional Office, MoEF & CC, Aranya Bhawan, Jaipur
2. Principal Chief Conservator of Forest & Chief Wildlife Warden, Forest Department, Govt of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jaipur
3. Regional Director, Central Pollution Control Board, Bhopal



Signature valid

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation: Member Secretary

Date: 2025.04.17 10:05:55 IST

Reason: Approved

Member Secretary



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



CM-13012/9/2025-LAW-RD-BHOPAL/21767/ 75-78

दिनांक: 25 अप्रैल, 2025

प्रति,

Most urgent
 NGT Case

सदस्य सचिव
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 ए-4, इंस्टीट्यूशनल एरिया
 झालाना झूंगरी, जयपुर - 302004

विषय: NGT OA No. 35/2025(CZ) "Devidas Khatri Vs. Secretary, MoEF & CC & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 26/03/2025

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 26/03/2025 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें एकीकृत कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जयपुर, राजस्थान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग, राजस्थान सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल तथा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार कर छः सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 07/07/2025 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक ई (मोबाइल नं.- 9617007250, ईमेल- sunil.cpcb@nic.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि निरीक्षण प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(Signature)
 (डॉ. अजीत कुमार विद्याधी)
 वैज्ञानिक 'एफ' एवं क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिनिधि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली - की ओर कृपया सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.बो., अलवर } की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक
- श्री सुनील कुमार मीणा, 'ई' के.प्र.नि.बो., भोपाल } कार्यवाही हेतु।

(Signature)
 वैज्ञानिक 'एफ' एवं क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
 ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386
 क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय : 0755-2775384
 ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

मुख्यालय:
 परिवेश भवन
 पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
 दूरभाष नं: 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार"

By Speed Post/e-Mail



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/उप क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
/Regional Office,
Gandhinagar/(Sub-Regional Office, Jaipur)



बी-214 "अरण्यभवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302004/ B-214, "ARANYA
BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713786, 2713778 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

Dated: 29th April, 2025

सेवा में,
शारदा प्रताप सिंह (सदस्य सचिव),
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
4- इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना झूगरी, जयपुर-302004

Sub: Nomination of an official for Site Visit Regarding the Hon'ble National Green Tribunal (CZ), Bhopal order dated 26.03.2025 passed in Original Application No. 35/2025 (CZ), Devidas Khatri V/s Union of India & Ors. - reg
Ref: Letter received from RSPCB Jaipur dated 22.04.2025.

Sir,

In reference to the above cited subject, and captioned letters regarding nomination of the Officer from SRO Jaipur, MoEF&CC, Government of India, this is to inform that the undersigned (Mob: 9413845550; email: mahesdutt.purohit@gov.in) has been nominated for the said visit.

2. This issue with the approval of the Competent authority.

भवदीय,

ई. महेश दत्त पुरोहित Er. Mahesh Dutt Purohit
सं. निदे./ वैज्ञा. "डी" / Joint Director (S)/Scientist-D

Copy to following for information:

1. The Director/Scientist-F, Monitoring Cell, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, 3rd Floor, Vayu Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, New Delhi - 110003

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

सरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2700151

ई-मेल: pccf.cwlv.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.8(23)2025/ई-3648-7491708/विधि/मुवजीप्र
निमित्त,

दिनांक:

उप वन संरक्षक,
बाघ परियोजना, सरिस्का।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में लंबित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या 35/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।

संदर्भ :- वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर का पत्र क्रमांक 15408314 दिनांक 20.05.2025 एवं आपका पत्र क्रमांक 15368486 दिनांक 18.05.2025

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा मूल प्रार्थना-पत्र संख्या 35/2025 (CZ) देवीदास खत्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 26.03.2025 में बिंदु संख्या 5 में समिति का गठन किया गया है।

अतः पारित आदेश दिनांक 26.03.2025 की अनुपालना में समिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर की ओर से आपको प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान
दिनांक:

क्रमांक : एफ.8(23)2025/ई-3648-7491708/विधि/मुवजीप्र

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने का कष्ट करावें।
5. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date : 20-05-2025 03:35:11



Registered/E-mail

RPCB/RO/ALW/Gen-453/ 831-832

Date-29/08/2025

Principal Secretary,
Revenue & Colonization Department, Rajasthan,
Secretariat Jaipur, Rajasthan 303902

**Hon'ble NGT Matter
Most Urgent**

Subject: Regarding Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zone Bench, Bhopal orders dated 26.03.2025 & 08.08.2025, in the matter of Devidas Khatri Vs Secretary MoEF & CC Ors. Original Application No. 35/2025 (CZ).

Reference: -

Hon'ble NGT order dated 26.03.2025 & 08.08.2025 in the matter of Devidas Khatri Vs Secretary MoEF & CC Ors. Original Application No. 35/2025 (CZ)

Sir,

This is in reference to Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 26.03.2025 in the matter of Devidas Khatri Vs Secretary MoEF & CC Ors. Original Application No. 35/2025 (CZ). The Hon'ble NGT vide aforementioned order had constituted a joint committee of following with the direction to submit the factual and action taken report within six weeks to Hon'ble NGT: -

- i. One Representative from the MoEF&CC, Govt. of India, integrated office at Jaipur (Rajasthan)
- ii. One Representative from Principal Chief Conservator of Forest & Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan (Rajasthan)
- iii. One Representative from the Central Pollution Control Board integrated office Jaipur (Rajasthan)
- iv. One Representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (Rajasthan)

Further the Hon'ble NGT vide order dated 08.08.2025 has directed that '*in para-5 (V) one representative from the Principal Secretary, Revenue Department, Rajasthan is also nominated to be included in the list of members of the committee, so that, the matter should be finalised as early as possible.*'

In compliance with the aforementioned orders of Hon'ble NGT, you are requested to kindly nominate a representative to decide further course of action at the earliest.

Next date of hearing is **15th October, 2025.**

Your sincerely,

Encl: Hon'ble NGT, Bhopal orders dated 26.03.2025 & 08.08.2025.

(Neeraj Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information, please.

Regional Officer

क्र.सं.	वि.सं.	पट्टाकिया	ए	ख
		५१७	१३	१८
		४३५।३१८	६	११
		४४८।१	१	६
		४३५।३४६	४	१६
		४४२	२०	७
		३४५	३	६
		३४४	२०	५
		३४६	६	१०
		३६०	२६	१
		३६४	२	४
		४३७।३४४	३	१५
		३६४	२	८
		३६८	३	७
		३६८	१५	२
		३७०	५	७
		३७१	१	४
		३७२	३	७
		३७६	०	१८
योग ..		३५	२८८	७

शिकारी व शिकारी सहित जंगल स्वामि को किसी भी भूमि पर प्रवेश करने तथा वन्यजीव शिकार करने का अधिकार नहीं है।
अनुमत समस्त अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

विस्तृत विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल
जयपुर	जयपुर	ब्रह्म होस्टल की सीमा में भोली की क्षीप-विषय	०.६५० वर्ग फिट

जयपुर, मकरधर १८, १६५५

विषय:—गाढोसिया लूहारी की भूमि का विवरण।

संख्या एक. ६ (८४) बी। खे. २। ५३:—सरकार यह प्राप्ता होती है कि "जयपुर जिले के राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पारित एथीकलर संशुद्धि" को राजस्थान राज्य सरकार दिनांक २६ दिसम्बर, सन्-१९५३ में प्रकाशित किया गया था, कन्स ७ (२) का गाढोसिया लूहारी की भूमियों के वितरण के संबंध में इस सीमा तक हल्का कर दिया जाय कि जिससे लूहारी से उनके वितरण के प्रथम दो चरणों में कोई सगान न हो सके तथा जो कि लूहारी से उनके वितरण के प्रथम चरण में कोई सगान न हो सके।

परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई वितरण जाने वाला व्यक्ति अपनी भूमि की किसी कांस्ट्रक्टर/शिकारी/को/कांस्ट्रक्टर/पर/उठाता है तो वितरण मिल जाने पर व्यक्ति को लूहारी से वितरण मिल जाने योग्य होगा और उस व्यक्ति से संपूर्ण सगान वसूल किया जायगा।

जीवन-राजस्थान की शान्ति के

पशुपतिनाथ चौक,

संख्या एक. १३(१६२) राज(क) ५५:—पूँजि राजस्थान सरकार की सेवा प्रतीत होता है कि सरकार का तात्कालिक व्यय पर एक सांख्यिक कार्य, अर्थात् एथीकलर इकाई सरकारों के लिए भूमि को लिये जाने की आवश्यकता होने की संभावना है, अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि जिन भूमिों के लिए भूमि की उपयोग के लिए लेने की संभावना है।
यह विज्ञापित राजस्थान भूमि अधिनियम १९५३, १९५३ के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल करने वाले सगान शिकारियों के लिये निकाली गई है।
अपवृत्त भारत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा सगान वसूल करने के लिये यह अधिनियमों को लागू

**FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, November 7, 1955.**

Miscellaneous No. F. 39(2) For. 100.—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951, the Rajpramukh is pleased to declare the following areas the boundaries of which are shown in the attached hereto, as Reserved Areas wherein it shall be unlawful to hunt, shoot, net, trap, snare, capture or kill any kind of wild animals and birds.

- (1) Jaisamand. (2) Sawai Madanpur. (3) Sariska. (4) ... (5) ...
(Ramnagar, Ban Bihar and Kesrbaugh).

SCHEDULE A.

Jal Samand. East :—Gandhi village and Jaisamand Bund.
West :—Jadana and Pledhar village.
North :—Nandvi, Advas, Guda, Dayana and Juni Jbari villages.

- South:—Ghanda-ji-ka-Gara, and Nohudi, Bumbuda, Ghator, Veerpur and Ghatpur villages.
- Sawai Madhopur:** East:—Sawai Madhopur-Khandar Road.
West:—Mor Doongri and Mansorwar.
North:—Chindali forests.
South:—Gosadan, Indala.
- Sariska:** East:—Kalighat-Tehla Road.
West:—Thana Gazi, Amra-ka-Bas, Mala Dohar.
North:—Indok, Karra-ka-Bas Protected Zamindar forests.
South:—Dabkah. Reserved forests.
- Darrah:** East:—The Ahu and Kali Sindh-rivers.
West:—The Chambal river.
North:—The Mukandwara hill range from the Kalisindh rivers, along Kalipura, Chand baori, Baontha and Molsa villages.
South:—The Mukandwara hill range from the Chambal to the Kalisindh, along Ghantoli & Ghat Jaga villages.
- Dholpur (Ramsagar):** East:—Sateri Village.
West:—Jamura, Neharawalala villages.
North:—Ramsagar embankment.
South:—Pucca Road from Dholpur to Gurja.
- Dholpur (Ban Dhan):** East:—Patwari Village.
West:—Waripura.
North:—Kukpur Bibhi village.
South:—Virpur Banipura Village.
- Dholpur (Kasharbagh):** East:—Bichia village.
West:—Bishonoda.
North:—Hirnoda village.
South:—Garbapura village.

By Order,
P. N. KAUL

Secretary to the Government

LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, November 3, 1955.

No. F. 25, (4) Lab/53.—The Award dated the 18th September 1955 of the Appellate Tribunal of India at Bombay is hereby re-published for general information.

IN THE HONOURABLE LABOUR APPELLATE TRIBUNAL OF INDIA AT BOMBAY.

Appeal (Bomb.) No. 1206 of 1955.

The Mewar Textile Mills Ltd., Bhiwara (Rajasthan) Appellant.

Shri. K. Adhiram, (Toshriwall) Respondent.
C/o. The Mewar Textile Mills Ltd., Bhiwara (Rajasthan)

In the matter of an appeal against the Order of the Industrial Tribunal (Shri. S. G. (1) Mehta), Rajasthan, Jaipur, dated 18th June, 1955, in Misc. Application No. 5 of 1955.

The 16th day of September, 1955.

Present.

Shri M. D. Lalkaka, President.
Shri S. Matin Ahmed, Member.

OHARBHUJA TALKIES

- (1) Exits do not directly open on main road (Rule 18 (1)).
- (2) There is no parking place provided within the enclosures (Rule 18 (4)).
- (3) There is no cloak room (Rule 31(1)).
- (4) The floor of the landing is 4' thick (Rule 33 (2)).
- (5) The height of Tiers is less than that mentioned in (Rule No. 23 (1)).

Jaipur, September 2, 1958.

No. F. 14 (20)/Home. D/58.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Act No. XXX of 1952), the Rajasthan Government, being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so, does hereby direct, that the conditions contained in Sub-Rule (3) of Rule 3 of the Rajasthan Cinemas (Regulation) Rules, 1953 that the aggregate period of a temporary licence cannot exceed 3 months in a calendar year, shall not apply to cinematograph exhibition of films by the Kanwal Talkies, at Raisinghnagar, District Ganganagar, for a period of six months commencing from the date of orders subject to the conditions that :—

- (1) There shall be made adequate arrangement for prevention of fire;
- (2) The screen will be cardoned off and kept apart from the place where people will sit;
- (3) The temporary structure where exhibition of cinematograph will be made, shall be temporarily covered in rainy and winter seasons;

- (4) There shall be maintained sufficient number of exits to enable cinemagoers to come out immediately in the event of out-break of fire etc; and
- (5) Adequate arrangement for seating and other normal conveniences shall be made for cinemagoers.

By Order of the Governor,

C. S. GUPTA,

Secretary to the Government

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, September 4, 1958.

No. F. 7 (15)/E & T/58.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of section 7 of the Rajasthan Entertainment Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957) the State Government being of the opinion that reasonable grounds exist for doing so in the public interest, hereby exempts from the payment of entertainments tax the Foot-ball matches to be played by the Rajasthan Foot-ball Association, Ajmer with effect from the 8th September 1958.

- 2. This exemption will be only for this particular occasion.

By Order of the Governor,

G. S. FURUHIT,

Secretary to the Government.

REVENUE (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 5, 1958.


No. F. 39 (2) Rev. A/54.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951; (Act No. XIII of 1951) the Governor is hereby pleased to make the following amendment in the Schedule 'A' to the Forest Department Notification, Miscellaneous No. F. 39(2) For/55 dated 7-11-1955, namely:—

AMENDMENT

In the said notification—

For the existing entries against Sawai Madhopur and Sariska, the following entries may be substituted :—

Sawai Madhopur	East.	Ghisagar, Koran Hill, Khandar Sawai Madhopur
	West.	Bodel Khandar Forest Road (2 miles) Tenduwala Patta, Solohwal Range Miera Dist.
	North.	Dang Itawda, Hills of Berda and Lakarda, Milak talab Misra
	South.	Khandar-Sawai Madhopur Road.
	East.	Dangawara, Borwa, Thora, Naya Gach, Bhandaoli, Baleta, Munda-wara, Prithipura, Impipura, Chand Pahari, Nirbharpura and Dharampura villages.
	West.	Mundawara, Rechamala, Duharmala, Thunagazi, Amarkabas, Jodha Ras, Shyamputa, Rainura, Gopalpura and Talwara villages.
	North.	Mundawar, Manawas villages, Adamala Reserved Forest, Raika-Guara and Kali Khol Reserved Forests.
	South.	Seliberi Reserved Forest, Kalwar villages, Tilwari Reserved Forests, Dadkan, Ghewar, Chavaka, Bagla, Bagla, Bagla, Bagla villages and Tehla-Rajgarh Road.



 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 7, शुक्रवार साके 1929-दिसम्बर 28, 2007 Pousa 7, Friday, Saka 1929-December 28, 2007		

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 28, 2007

No.F3(34) Forest/2007.-In exercise of the powers conferred under section 38 V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 as amended up to date and on the basis of the recommendations of the Expert Committee constituted for this purpose, the Governor of Rajasthan is pleased to declare the following areas as critical tiger habitat in the tiger reserves of the state of Rajasthan in the interest of conservation of tigers :-

A. Ranthambhore Tiger Reserve

The following Forest Blocks falling in the Ranthambhore Tiger Reserve are declared as core or critical tiger habitat:-

S.No.	Name of Forest Block	Reserve Forest/ Protected Forest	Area in hact.
1	2	3	4
1.	Sawai Madhopur 6 main	Reserve Forest	7796
2.	Sawai Madhopur 6 A	Reserve Forest	13047
3.	Sawai Madhopur 6 B	Reserve Forest	5182
4.	Khandar -9A	Reserve Forest	10857
5.	Khandar -9B	Reserve Forest	5492
6.	Khandar -9 C	Reserve Forest	10471
7.	Quila Khandar	Reserve Forest	955
8.	Phalodi	Protected Forest	2050
9.	Aamli Main	Protected Forest	383
10.	Ranwajala Balwan	Protected Forest	3612
11.	Baier	Protected Forest	2496
12.	Dang Doodhbhat	Reserve Forest	6017
13.	Papada	Reserve Forest	1187.20
14.	Gajipur	Protected Forest	517.20
15.	Kalakhel	Protected Forest	4402
16.	Kanarda	Protected Forest	5046
17.	Simarkhoh A	Protected Forest	2638
18.	Dailatpura	Protected Forest	2471
19.	Marmada	Protected Forest	6890
20.	Nibhera	Protected Forest	5808
21.	Quila Devgir Udgir	Protected Forest	5111
22.	Simarkho	Protected Forest	2138
23.	Daulatpura	Protected Forest	3553
24.	Hadoti	Protected Forest	497
25.	Simarkho B	Protected Forest	1720
Total			111336.4

F3

(B) Sariska Tiger Reserve

The following Forest Blocks falling in the Sariska Tiger Reserve are declared as core or critical tiger Habitat:-

S.No.	Name of Forest Block	Reserve Forest/ Protected Forest	Area in ha.
1	2	3	4
1.	Kushalgarh	Reserve Forest	1319.50
2.	Kraska	Reserve Forest	1314.25
3.	Jodhabas with Rajoor	Reserve Forest	1359.00
4.	Kaighati	Reserve Forest	6902.00
5.	Todinijan	Reserve Forest	230.00
6.	Kankwari	Reserve Forest	3217.00
7.	Kushalgarh	Protected Forest	227.91
8.	Kraska	Protected Forest	1216.74
9.	Indok	Protected Forest	1313.61
10.	Kalachara	Protected Forest	219.92
11.	Kamakabas	Protected Forest	323.20
12.	Amrakabas	Protected Forest	216.30
13.	Dhuarmala	Protected Forest	1673.86
14.	Thanagazi	Protected Forest	225.07
15.	Budiyabas	Protected Forest	129.12
16.	Shyampura	Protected Forest	200.00
17.	Raipura	Protected Forest	210.00
18.	Silibawdi	Reserve Forest	2553.25
19.	Ajabgarh	Reserve Forest	465.75
20.	Bhangarn	Reserve Forest	1127.00
21.	Narayaniji	Reserve Forest	1458.00
22.	Dabkan	Reserve Forest	1492.75
23.	Tehla with Bhagani	Reserve Forest	2482.50
24.	Naundu	Reserve Forest	6944.50
25.	Umari-Deuri	Reserve Forest	7469.75
26.	Haripura	Reserve Forest	390.25
27.	Choti Chind	Reserve Forest	42.25
28.	Ajabgarh	Protected Forest	95.25
29.	Piplai main	Protected Forest	1391.88
30.	Piplai 'A'	Protected Forest	24.75
31.	Nadoli	Protected Forest	66.00
32.	Khirat ka Bas	Protected Forest	118.79
33.	Bhangarh	Protected Forest	462.35
34.	Dhiroda	Protected Forest	421.05
35.	Dhiroda	Protected Forest	610.90
36.	Pawta	Protected Forest	61.37
37.	Berwa Dungri	Protected Forest	605.89
38.	Beldevgarh	Protected Forest	680.90
39.	Tilwar	Protected Forest	770.29
40.	Jaisingh Pura	Protected Forest	926.45
41.	Mallana	Protected Forest	381.76
42.	Kalwad	Protected Forest	299.20
43.	Dabkan	Protected Forest	506.40
44.	Tehla	Protected Forest	174.59
45.	Khariyavas	Protected Forest	218.50
46.	Naundu	Protected Forest	822.55
47.	Seliberi	Protected Forest	218.50
48.	Rajoor	Protected Forest	2426.93

1	2	3	4
49.	Mitrvat	Protected Forest	39.32
50.	Kanyavas	Protected Forest	83.71
51.	Beenak	Reserve Forest	6225.75
52.	Kalikhoh	Reserve Forest	3307.25
53.	Prathvipura	Reserve Forest	329.00
54.	Madhogarh	Reserve Forest	649.25
55.	Seliberi	Reserve Forest	6870.00
56.	Dhelavas	Protected Forest	64.77
57.	Bhaketpura	Protected Forest	67.18
58.	Kishanpur	Protected Forest	418.17
59.	Sawdi	Protected Forest	104.72
60.	Dhawala	Protected Forest	151.75
61.	Gopalpura	Protected Forest	107.22
62.	Dharampura	Protected Forest	325.07
63.	Madhogarh	Protected Forest	2217.01
64.	Prathvipura	Protected Forest	1081.82
65.	Rampur	Reserve Forest	4244.75
66.	Bani Talvriksh	Reserve Forest	103.75
67.	Nangalheddi	Protected Forest	919.57
68.	Beravas	Protected Forest	1354.49
69.	Raikamala	Protected Forest	530.31
70.	Manavas	Protected Forest	115.61
71.	Tolavas	Protected Forest	210.09
72.	Billahat	Protected Forest	268.53
73.	Basna	Protected Forest	42.12
74.	Bishallu	Protected Forest	179.59
75.	Lekri	Protected Forest	140.57
76.	Todiakabas	Protected Forest	32.36
77.	Ghaat	Protected Forest	174.65
78.	Mundali	Protected Forest	33.24
79.	Hazipur	Protected Forest	59.60
80.	Rampur I	Protected Forest	151.27
81.	Rampur II	Protected Forest	194.41
82.	Rampur III	Protected Forest	40.46
83.	Rampur IV	Protected Forest	710.86
84.	Nathusar	Protected Forest	535.24
		Total	88111.24

By Order
 प्रेम सिंह मेहरा,
 Secretary Forest.

77(6)

राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 9, 2012

भाग 4 (ग)

सीमाएँ होते हुए वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट 4 के मिलन बिन्दु तक वहाँ से आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट 4 की पश्चिमी सीमा होते हुए वनखण्ड बांकलिया महादेव की पश्चिमी सीमा के सहारे चलते हुए पुनः आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेंट 5 स्थित मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 5 की दक्षिणी सीमा होकर चलते हुए कम्पार्टमेंट संख्या 4 की पूर्वी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड सालमदरा सी के मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड सालमदरा सी की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर चलते हुए उत्तर की ओर आरक्षित वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के मिलन बिन्दु तक। बाद वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2, 1 की पूर्वी सीमा होते हुए क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट संख्या 8 के मिलन बिन्दु तक। बाद क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट वनखण्ड पापडा के कम्पार्टमेंट 8, 7 एवं 4 की दक्षिणी सीमा के सहारे चलते हुए वनखण्ड पोलघटा के कम्पार्टमेंट संख्या 1 के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट से चाकल नदी में स्थित मिलन बिन्दु एवं प्रारम्भ बिन्दु तक।

खण्ड-11 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट क्षेत्र से लगते हुए वनखण्ड बलवन के कम्पार्टमेंट संख्या 2 के पूर्वी दिशा में स्थित वनखण्ड डोबरली का सम्पूर्ण हिस्सा।

खण्ड-12 रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के वनखण्ड किला खण्डार के पूर्व में स्थित आरक्षित वनखण्ड सेवती चम्बल का सम्पूर्ण हिस्सा इस वनखण्ड के पूर्वी दिशा में चम्बल नदी एवं दक्षिण दिशा में बनास नदी इसकी सीमा बनाती है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]

जयपुर, जुलाई 6, 2012

एस. ओ. 66:- राज्य सरकार वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 V की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध ग्राम सभा एवं विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरान्त एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2007 से अधिसूचित सरिस्का व्याघ्र आरक्षित (Tiger Reserve) के क्रान्तिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) के चारों ओर नीचे अनुसूचि - I में वर्णित वन एवं राजस्थान क्षेत्र, जिसकी सीमाएँ अनुसूचि - II में वर्णित हैं, जहाँ क्रान्तिक व्याघ्र निवास की समग्रता और व्याघ्र प्रजातियों के लिए पर्याप्त विचरण को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवास संरक्षण अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव और मानव क्रियाकलाप के बीच स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्यक् मान्यता के साथ सह अस्तित्व

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 9, 2012 77 (7)

का संवर्धन करना है, को बफर क्षेत्र घोषित करती है। जिनके भविष्य में "सरिरका व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area)" के रूप में जाना जावेगा।

अनुसूची - I

जिला अलवर वन क्षेत्र
वन मण्डल अलवर

क्र. सं.	रेंज	वन खण्ड	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	अलवर	सीराबास	आरक्षित वन	2555.59
2	अलवर	शेदाबास	आरक्षित वन	3726.90
3	अलवर	डडीकर	आरक्षित वन	2808.73
4	अलवर	निदानी	आरक्षित वन	1570.43
5	अलवर	भाखेडा	आरक्षित वन	2885.74
6	अलवर	धामला का बास	संरक्षित वन	800.00
7	अलवर	हमीरपुर-क.नं 1 से 5	संरक्षित वन	717.84
8	अलवर	धामला का बास A	संरक्षित वन	88.06
9	अलवर	उमरेण	संरक्षित वन	511.04
10	अलवर	बाग केशरपुर	संरक्षित वन	35.39
11	अलवर	भाकेडा	संरक्षित वन	69.31
12	अलवर	धोली धूप	संरक्षित वन	41.18
13	अलवर	बल्ला वीडा	संरक्षित वन	31.55
14	अलवर	जटियोना	संरक्षित वन	103.79
15	अलवर	टोडियार A	संरक्षित वन	170.93
16	अलवर	बीघोता (क.नं. 5 से 9)	आरक्षित वन	2096.87
योग				18014.21

जिला अलवर राजस्व क्षेत्र

क्र. सं.	खण्ड संख्या व क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1.	① (3076.08)	1-सिराबास	अलवर	680.86
2.		2-डहलाबास	अलवर	711.31
3.		3-चकशामलात	अलवर	97.96
4.		4-रामनगर	अलवर	189.93
5.		5-रोगडा	अलवर	334.86
6.		6-बखतपुरा	अलवर	195.97
7.		7-रूध बीनक	अलवर	126.46
8.		8-फिशानपुर	अलवर	161.34
9.		9-पैतपुर	अलवर	339.83
10.		10-दौबा रिंगतपुरी	अलवर	222.48
11.		11-शादानपुरा	अलवर	15.08

1	2	3	4	5
12.	(2) (60.71) ✓	टोडा जयसिंहपुरा	राजगढ	60.71
13.	3 (143.50) ✓	1-खिरतकावास	राजगढ	83.12
14.		2-तोडीकावास	राजगढ	51.49
15.		3-भानगढ	राजगढ	8.89
16.	5 (1835.70) ✓	1-गुवाडा कुण्डयाल	थानागाजी	99.32
17.		2-अजबगढ	थानागाजी	195.70
18.		3-गुवाडा डार	थानागाजी	013.85
19.		4-गुवाडा घासी	थानागाजी	136.20
20.		5-गुवाडा हनुमान	थानागाजी	58.25
21.		6-गुवाडा लालाभैया	थानागाजी	12.98
22.		7-गुवाडा सायब	थानागाजी	20.07
23.		8-गुवाडा भगवान	थानागाजी	55.82
24.		9-गुवाडा जनावत	थानागाजी	15.21
25.		10-गुवाडा हार	थानागाजी	113.83
26.		11-गुवाडा बिरकडी	थानागाजी	225.60
27.		12-गुवाडा सोती	थानागाजी	42.13
28.		13-गुवाडा व्यास	थानागाजी	15.11
29.		14-गुवाडा जर्मीदार	थानागाजी	8.42
30.		15-गुवाडा रामजी	थानागाजी	168.49
31.		16-गुवाडा गुगली	थानागाजी	166.85
32.		17-गुवाडा लेसधा	थानागाजी	04.12
33.		18-गुवाडा निरगा	थानागाजी	54.25
34.		19-गुवाडा राडी	थानागाजी	119.02
35.		20-गुवाडा कालोत	थानागाजी	54.45
36.		21-भूरियावाली	थानागाजी	256.03
37.	(6) (56.24) ✓	रायपुरा	थानागाजी	56.24
38.	(7) (885.60)	1-मानावास	थानागाजी	326.10
39.		2-गुण्डावरा	थानागाजी	559.50
40.	(8) (1644.08)	1-लेकडों	बानसूर	210.93
41.		2-घाट	बानसूर	331.48
42.		3-बहरामकावास	बानसूर	190.20
43.		4-गुण्डली	बानसूर	1.42
44.		5-गुडा भाखरवाला	बानसूर	171.65
45.		6-कल्याणपुरा	बानसूर	38.44
46.		7-कस्बा रामपुर	बानसूर	614.60
47.		8-धामलाकावास	बानसूर	85.36
48.	(9) (15.47)	हार्जापुर	बानसूर	15.47
49.	(10) (536.32)	दुहारमाला ✓	थानागाजी	536.32
50.	(11) (392.22)	नाथूसर	बानसूर	392.22

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 9, 2012 77 (9)

1	2	3	4	5
51.	(12) (5.00)	गुवाडा रईका (माधोगढ)	अलवर	5.00
योग				8650.92

जिला जयपुर वन क्षेत्र
वन मण्डल जयपुर (मध्य)

क्र. सं.	नाम वनखण्ड	वन क्षेत्र का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
i.	बडी लाईन डीगोता 01	आरक्षित वन	6558.00

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	24572.21 हेक्टर
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र :	8650.92 हेक्टर
कुल योग :	33223.13 हेक्टर

अनुसूची - II

सीमा विवरण

खण्ड- 1 रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेंट 5 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की उत्तरी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 5, 4, 3 व 2 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 1 की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड सीरावास के कम्पार्टमेंट 19, 17, 16 व 15 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, आरक्षित वनखण्ड डडीकर के कम्पार्टमेंट नं. 3 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेंट नं. 4, 5, 10, 11 व 12 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ। यहां से रक्षित वनखण्ड की टोडियार ए की पश्चिमी-उत्तरी सीमा तक। रक्षित वनखण्ड टोडियार के उत्तर-पूर्व कोने से प्रारम्भ होकर रक्षित वनखण्ड जटियाना, धौली धूप, बल्लाबोडा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड निदानी के कम्पार्टमेंट 7, 8 व 9 की पूर्वी सीमा तथा कम्पार्टमेंट 9 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ, आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेंट 1, 2, 3 व 4 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेंट 4 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, रक्षित वनखण्ड भाखेडा की सीमा तक। यहां से रक्षित वनखण्ड भाखेडा की पूर्वी सीमा, आरक्षित वनखण्ड के कम्पार्टमेंट 5 व 7 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड धाड केसरपुर व रक्षित वनखण्ड उगरेन की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के साथ-साथ। यहां से आरक्षित वनखण्ड भाखेडा के कम्पार्टमेंट नं. 11 ए की दक्षिणी कोने तक। यहां से ग्राम साहोडी की उत्तरी सीमा (जो इसी ग्राम के खसरा नं. 1, 36,

37, 38, 91, 92, 93, 94, 134, 135, 139, 140, 145, 146, 147, 148 की उत्तरी सीमा भी बनती है) के साथ-साथ आरक्षित वनखण्ड वीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 16 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक। आरक्षित वनखण्ड वीनक के कम्पार्टमेन्ट नं. 16, 11 वी, 15 के साथ उत्तर को चलकर क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हमीरपुर के कम्पार्टमेन्ट 5 की उत्तरी पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 2 आरक्षित वनखण्ड वीधोता के कम्पार्टमेन्ट नं. 8 के उत्तरी-पश्चिमी कोने से चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 8, 9 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा कम्पार्टमेन्ट नं. 9, 8, 7, 6 व 5 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर जिला दौसा सीमा तक। यहां से पश्चिम में जिला सीमा (कम्पार्टमेन्ट नं. 5 की दक्षिणी सीमा) के साथ-साथ चलकर दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से इसी रक्षित वनखण्ड की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पश्चिमी कोने तक। यहां से रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से सीधे चलकर वनखण्ड जयसिंहपुरा मेन की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक। यहां से दक्षिण सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेन्ट नं. 6, 7 व 8 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड जयसिंहपुरा मेन की सीमा के मिलान बिन्दु कम्पार्टमेन्ट नं. 8 की उत्तरी-पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 3 क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड नारायणी जी के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से चलकर रक्षित वनखण्ड धीरोडा (क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट) के पश्चिमी वन सीमा के साथ-साथ चलकर इस वनखण्ड के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक। यहां से पश्चिम में सरसा गाता बांध की पाल के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड भानगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा तक। यहां से उत्तर में चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 व 3 की पूर्वी सीमा तथा रक्षित वनखण्ड खिरत का वास की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजबगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 की दक्षिणी सीमा तक। यहां से पूर्व को चलकर आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 4 आरक्षित वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर इसी वनखण्ड की दक्षिणी-पश्चिमी वन सीमा (जिला सीमा) के साथ-साथ चलकर क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड पिपलाई गैन की दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से उत्तर व पूर्व को जिला सीमा (क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट) के साथ-साथ चलकर वनखण्ड बडी लाईन डीगोता 61 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 5 क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड नडोली के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पूर्व को इसी ग्राम के खसरा नं० 861 की दक्षिणी सीमा (जो ग्राम भूराली की उत्तरी सीमा भी है) के साथ-साथ

चलकर ग्राम कलियान की दक्षिणी सीमा जो प्राग कलियान के खसरा नं० 502, 503, 507, 508, 510, 408 की दक्षिणी सीमा भी है, के साथ-साथ नदी तक। यहां से ग्राम कलियान की सीमा से ग्राम गुवाडा सीरा के खसरा नं० 135 व 142 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ ग्राम गुवाडा डाबर की सीमा तक। यहां से गुवाडा सीरा की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ (खसरा नं० 143, 144, 155, 156, 162, 171, 184, 182, 187, 188, 189, 193, 198, 199, 204, 205 की दक्षिणी सीमा है) चलकर क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड सिलीवावडी के कम्पार्टमेंट नं. 4 व 5 के मिलान बिन्दु तक। यहां से इसी वनखण्ड सिलीवावडी के कम्पार्टमेंट नं. 5, 6 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तथा आरक्षित वनखण्ड नारायणीजी के कम्पार्टमेंट नं. 5 की पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 4 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट नं. 1 की पूर्वी-उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर जयसागर बांध (अजबगढ़) तक। यहां से जयसागर बांध की पाल के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड अजबगढ़ के कम्पार्टमेंट नं. 1 तथा रक्षित वनखण्ड पिपलाई मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ (सिद्ध का तिराहा से पहले) ग्राम नडोली की ग्राम सीमा तक। यहां से इसी ग्राम के खसरा नं० 17, 18 व 19 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड नडोली की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलते हुए इसी वनखण्ड के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 6 ग्राम रायपुरा के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की पूर्वी वन सीमा के कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी-उत्तरी वन सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड जोधावास मय राजौर के कम्पार्टमेंट नं. 6 के मिलान बिन्दु तक। यहां से कम्पार्टमेंट नं. 6 व 5 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 5 की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम रायपुरा की दक्षिणी सीमा (खसरा नं० 99, 100, 103) की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर खसरा नं० 165, 148, 166, 108, 96, 61, 58, 56, 15, 7 की पश्चिमी सीमा (जो वन सीमा भी है) के साथ-साथ चलकर ग्राम की आबादी खसरा नं० 16 के पास रक्षित वनखण्ड रायपुरा की उत्तरी-पूर्वी कोने पर वन सीमा के मिलान बिन्दु तक। (बफर क्षेत्र में शामिल खसरा नं० 15, 17 से 58, 61 से 95, 97 से 107)

खण्ड- 7 क्रिटीकल टाइगर हैबीटाट के आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी पूर्वी कोने (खसरा नं० 2043) से खसरा नं० 2026 (नाला), खसरा नं० 2011 (नदी) के साथ-साथ घूम तक। यहां से खसरा नं० 1980 के साथ-साथ चलकर खसरा नं० 1940, 1939, 1936, 1935 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलते हुए प्राग सीमा तक। यहां से ग्राम मानावास के खसरा नं० 35, 37, 39 व 29 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड मानावास के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा मिलान के कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड मानावास की

दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं. 405, 406, 409, 410, 412, 413, 416 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम बैरावास की उत्तरी सीमा तक। यहां से पश्चिम में क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा (जो ग्राम सीमा है) के साथ-साथ चलकर कुशालगढ़-नारायणपुर सड़क तक। यहां से सड़क के साथ-साथ उत्तर में क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट की सीमा के साथ चलते हुए आरक्षित वनखण्ड बनी तालवृक्ष के उत्तरी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 8 ग्राग लेकडी के दक्षिण-पूर्व में इसी ग्राम के साबिक खसरा नं० 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने (जो वन सीमा भी है) से प्रारम्भ होकर खसरा नं० 365 की पश्चिमी, खसरा नं० 392, 394, 407, 406 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड लेकडी ए के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से इसी वनखण्ड व रक्षित वनखण्ड घाट बी तथा ग्राग घाट के साबिक खसरा नं० 320 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड गूण्डली के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास सड़क के साथ-साथ पूर्व में चलकर वनखण्ड घाट ए की सीमा क्रॉस तक। यहां से वनखण्ड घाट ए की पश्चिमी-दक्षिणी-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर इसी सड़क के क्रॉसिंग बिन्दु तक। यहां से रतनपुरा-बहराम का बास- रामपुर सड़क के साथ-साथ ग्राम रामपुर से उत्तर में नाला क्रॉसिंग तक। यहां से इस नाले के साथ-साथ चलकर ग्राम की आबादी को बाहर रखते हुए दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को शामिल करते हुए ग्राम रामपुर से गुढ़ा- कल्याणपुरा सड़क के साथ-साथ कल्याणपुरा तक। यहां से आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 7 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण की ओर चलकर इसी वनखण्ड के कम्पार्टमेंट नं. 3 व 4 की पश्चिमी सीमा व कम्पार्टमेंट नं. 8, 9, 10, 11, 12, 31 व 32 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड रामपुर की उत्तरी-पश्चिमी वन सीमा व रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पूर्वी वन सीमा के साथ-साथ चलकर वन चौकी बहराम का बास के पश्चिमी-उत्तरी कोने तक। यहां से घाट को जाने वाली सड़क के साथ-साथ ग्राम घाट की ढाणी तक। यहां से रक्षित वनखण्ड घाट मैन की पश्चिमी वन सीमा के साथ-साथ तथा रक्षित वनखण्ड लेकडी मैन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम लेकडी के दक्षिण में वनखण्ड लेकडी मैन के प्रारम्भिक बिन्दु खसरा नं० 365 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक।

खण्ड- 9 रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर वनखण्ड की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर उत्तरी-पूर्वी कोने तक। यहां से सीधे पूर्व में खसरा नं० 687, 688 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलकर आरक्षित वनखण्ड रामपुर के कम्पार्टमेंट नं. 1 की पश्चिमी सीमा तक। यहां से दक्षिण में चलकर कम्पार्टमेंट नं. 1 की

भाग 4 (ग)

राजस्थान राज-पत्र, जुलाई 9, 2012

77 (13)

पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर कम्पार्टमेंट नं. 2 की उत्तरी सीमा के मिलान बिन्दु तक। यहां से ग्राम हाजीपुर के खसरा नं० 721, 722, 723, 724 की दक्षिणी, 724, 717, 718, 707 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर रक्षित वनखण्ड हाजीपुर के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक।

खण्ड- 10 क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड दुहारमाला के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।


खण्ड- 11 क्रिड्रीकल टाइगर हैबीटाट के रक्षित वनखण्ड नाथूसर के मध्य इन्टीरियर वन सीमा लाईन के अन्दर स्थित ग्राम लोज नाथूसर का समस्त राजस्व क्षेत्र शामिल है।

खण्ड- 12 गुवाडा रईका की आबादी व काश्त रकबा शामिल है।

[संख्या एफ.3(34)वन/2007]
राज्यपाल की आज्ञा से,
सौ.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

CTH AND BUFFER MAP OF SARISKA TIGER RESERVE



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 3(16)वन/2025

जयपुर, दिनांक 10 NOV 2025

अधिसूचना

यतः राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) फार./55 दिनांक 07.11.1955 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) रेव.ऐ/54 दिनांक 05.08.1958 द्वारा सरिस्का क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area) घोषित किया गया था, जिसकी सीमाओं का विवरण अनुसूची-I के अनुसार है।

अनुसूची - I

- पूर्व:- डांगरवाडा, बोरेठा, थोंसडा, नयागाँव, भण्डोडी, बालेटा, मुण्डावरा, पृथ्वीपुरा, इम्टीपुरा, चांद पहाडी, निर्भयपुरा एवं धर्मपुरा गांव।
पश्चिम:- मुण्डावरा, रैकामाला, दुहारमाला, थानागाजी, अमराकाबास, जोधावास, श्यामपुरा, रायपुरा, गोपालपुरा, जैतपुरा गांव।
उत्तर:- मुण्डावरा, मानावास गांव, आडामाला रिजर्व वन रईका गुवाडा और कालीखोल रिजर्व फोरेस्ट।
दक्षिण:- सीलीबावडी रिजर्व फोरेस्ट, कालवाड गांव, तिलवाड रिजर्व फोरेस्ट, दबकन, घेवर, चावा का बास, मुरलीपुरा, नाडू गांव और टहला राजगढ रोड।

और यतः उक्त घोषित आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची-II में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र सम्मिलित है।

अनुसूची - II
(वन क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में वन क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	नाम वन खण्ड	कुल क्षेत्रफल	अभयारण्य में शामिल क्षेत्रफल	वि० वि०
1	2	3	4	5
1.	कुशालगढ़	1319.50	1319.50	-
2.	क्रास्का	1314.25	1314.25	-
3.	जोधवास मय राजोर	1359.00	1359.00	-
4.	कालीघाटी	6902.00	6902.00	-
5.	टोडी निझरान	230.00	230.00	-
6.	कांकवाडी	3217.00	3217.00	-

7.	कुशालगढ़	227.91	227.91	-
8.	क्रास्का	1216.74	1216.74	-
9.	इन्दौक	1313.61	1313.61	-
10.	कालाछारा	219.92	219.92	-
11.	करनाकाबास	323.20	323.20	-
12.	अमराकाबास	216.30	216.30	-
13.	दबकन	1492.75	1492.75	-
14.	टहला मय भगानी	2482.50	2482.50	-
15.	नांडू	6944.50	6944.50	-
16.	उमरी-देवरी	7469.75	7469.75	-
17.	राजौर	2426.93	2426.93	-
18.	मित्रावट	39.32	39.32	-
19.	कान्यावास	83.71	83.71	-
20.	सिलीबेरी	6870.00	6870.00	-
21.	माधोगढ़	2217.00	1377.00	आंशिक
22.	बनी तालवृक्ष	103.75	103.75	-
23.	नांगलहेडी	919.57	919.57	-
24.	बैरावास	1354.49	600.00	आंशिक
25.	रैकामाला	530.31	530.31	-
कुल योग			49199.52	

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में राजस्व क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र. सं.	नाम ग्राम/रूंध	नाम तहसील	अभयारण्य में शामिल राजस्व/अन्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	नांगलहेडी	थानागाजी	139.25
2.	कुण्डलका	थानागाजी	118.42
3.	रैकामाला	थानागाजी	159.98
4.	बैरावास	थानागाजी	295.54
5.	कुशालगढ़	अलवर	770.40
6.	क्रास्का	अलवर	17.22
7.	इन्दौक	अलवर	1611.08
8.	माधोगढ़	अलवर	779.51
9.	धर्मपुरा	अलवर	50.36
10.	कालाछारा	अलवर	107.71
11.	मित्रावट	राजगढ़	63.63

12.	कान्यावास	राजगढ	5.55
13.	राजौर मय मांडलवास	राजगढ	341.33
14.	गढ	राजगढ	224.77
15.	उमरी देवरी	राजगढ	236.86
16.	दबकन	राजगढ	302.03
कुल योग			5223.64

क्र.सं.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का कुल क्षेत्र (है०)	
1.	वन क्षेत्र	49199.52
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64
कुल क्षेत्र		54423.16

और यतः राजस्थान एन्ट्रेस टू दी गेम सेंचूरीज रुल्स, 1958 के नियम 2 में राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र सेंचूरीज (अभयारण्य) के रूप में परिभाषित है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र अभयारण्य घोषित है।

और यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सूओ मोटो प्रकरण संख्या 01/2023, रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशंषाओं के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की पालना में अति० मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. नंबर 3(45)फोरेस्ट/ 2024-08281 दिनांक 10.01.2025 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये जिन क्षेत्रों को क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र में समायोजित किया जाना है, उन क्षेत्रों को सरिस्का अभयारण्य घोषित किये जाने के आशय का अनुमोदन किया गया है।

और यतः क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने के प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अतः अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अनुसूची-III में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने के अपने आशय की एतद्वारा घोषणा करती है। उक्त सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सम्मिलित किये जाने के पश्चात उसकी सीमाएँ अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

अनुसूची-III

(वन क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त वन क्षेत्र

क्र.सं.	वनखण्ड का नाम	वन क्षेत्र (हैक्टेयर)	जिला का नाम	वि० वि०
1	4	8	5	10
1.	दुहारमाला	1673.86	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
2.	थानागाजी	235.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
3.	भूडियावास	129.12	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
4.	रायपुरा	210.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
5.	दबकन	230.71	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
6.	हरिपुरा	390.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
7.	टहला (डी, ई, एफ, जी)	110.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
8.	नांडू	822.55	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
9.	सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ)	174.45	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
10.	तिलवाड मैन	667.83	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
11.	बीणक	6225.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
12.	कालीखोल	3307.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
13.	पृथ्वीपुरा	329.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
14.	माधोगढ	649.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
15.	ढहलावास	64.77	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
16.	बख्तापुरा	67.18	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
17.	किशनपुर	418.17	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
18.	गोपालपुरा	107.22	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
19.	धर्मपुरा	325.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
20.	माधोगढ	840.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
21.	धंवाला	151.75	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
22.	पृथ्वीपुरा	1081.82	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
23.	रामपुर	4244.75	कोटपुतली-बहरोड	आरक्षित वन क्षेत्र
24.	बैरावास	754.49	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
25.	तोलावास	210.09	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
26.	बिलाहट	268.53	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
27.	बासना	42.12	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
28.	बिसालु	179.59	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र

29.	रामपुर-2	194.41	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
30.	रामपुर-3	40.46	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
31.	रामपुर-4	710.86	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
32.	नाथूसर	535.24	कोटपुतली-बहरोड	रक्षित वन क्षेत्र
33.	सीरावास	2555.59	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
34.	सैदावास	3726.90	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
35.	डडीकर	2808.73	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
36.	सिलीबावडी	2553.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
37.	अजबगढ	465.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
38.	भानगढ	1127.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
39.	नारायणीजी	1458.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
40.	अजबगढ	95.25	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
41.	पिपलाई मैन	1391.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
42.	खिरतकाबास	118.79	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
43.	भानगढ	462.35	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
44.	धीरोडा	421.05	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
45.	धीरोडा	610.9	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
46.	पावटा	61.37	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
कुल योग		43249.31		

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम	राजस्व क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	नाथूसर	बानसूर	कोटपुतली-बहरोड	392.22
2.	रईका	मालाखेडा	अलवर	5.00
3.	दुहारमाला	थानागाजी	अलवर	536.22
4.	रायपुरा	थानागाजी	अलवर	56.24
कुल योग				989.68

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III के अनुसार नये सम्मिलित किये जाने वाला कुल अतिरिक्त क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3
1.	वन क्षेत्र	43249.31
2.	राजस्व क्षेत्र	989.68
कुल क्षेत्र		44238.99

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र	नवीन सम्मिलित किया गया क्षेत्र	योग
1.	वन क्षेत्र	49199.52	43249.31	92448.83
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64	989.68	6213.32
कुल योग		54423.16	44238.99	98762.15

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अतिरिक्त वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र (क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र) का विवरण :-

Rationalized (युक्तिकरण) क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र	पूर्व में अधिसूचित सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का वन क्षेत्र	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किया गया अतिरिक्त वन क्षेत्र
92448.83 है.	49199.52 है.	43249.31 है.

अनुसूची-IV

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची-III में वर्णित नये राजस्व क्षेत्र एवं वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात सीमा विवरण :-

1. दिशा उत्तर

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वन खंड हाजीपुर, रामपुर II, III, IV, बिलाहट, बासना, बिसालु, ढहलावास, बख्तपुरा, किशनुपुर और आरएफ वन खंड रामपुर, डडीकर, सीरावास, सैदावास, बीणक की बाहरी सीमा

2. दिशा पूर्व

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड सावडी, धंवाला, गोपालपुरा, धर्मपुरा, माधोगढ, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ) आरएफ वन खंड कालीखोल, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी मय बालेटा, उमरी-देवरी की बाहरी सीमा

3. दिशा दक्षिण

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड वन खंड नांडू, टहला (डी, ई, एफ, जी), दबकन, तिलवाड मैन, पावटा, खिरतकाबास, धीरोडा, धीरोडा, भानगढ आरएफ वन खंड नांडू, टहला मय भगानी, दबकन, राजौर, रूंध नारायणीजी, भानगढ, अजबगढ की बाहरी सीमा

4. दिशा पश्चिम

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड पिपलाई मैन, अजबगढ़, रायपुरा, अमराकाबास, थानागाजी, दुहार माला, अमराकाबास, थानागाजी, दुहारमाला, भूडियावास, तोलावास, रैकामाला, बैरावास, आरएफ वन खंड रुंध नारायणीजी, सिलीबावडी, टोडी निझरान, जोधावास मय राजौर, कालीघाटी, बनी तालवृक्ष की बाहरी सीमा ।

सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत जिला कलेक्टर अलवर एवं कोटपूतली-बहरोड समुचित कार्यवाही करेंगे तथा साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2025 के अन्तर्गत क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के संबंध में आपत्तियों को प्राप्त कर, उन पर सुनवाई भी करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बीजी जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक सचिव/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बन्दोबस्त एवं कार्य आयोजना, अरावली भवन, जयपुर।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज० जयपुर को प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त अनुमोदित अधिसूचना को REAMS के माध्यम से से E-Gazette में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें। साथ ही राजस्व रिकोर्ड व विभाग के रिकोर्ड के मिलान से यदि कोई अन्य भिन्नता पाई जाती है तो नियमानुसार उचित प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाने का कष्ट करे।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
13. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का टाईगर रिजर्व।
14. जिला कलेक्टर अलवर/कोटपूतली-बहरोड़।
15. संबंधित उप वन संरक्षक
16. संसदीय कार्य विभाग।

//
विशिष्ट शासन संचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना के विमुक्त किये गये भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध क्षेत्रफल के अनुसार जारी किया गया है:—

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन एवं वन्यजीव विभाग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं०-18 चन्द्रबनी देहरादून।

/ /
विशिष्ट शासन संचिव

7/10/13
9/12/13


Government of India
 Ministry of Environment and Forests
 (Wildlife Division)

Paryavaran Bhawan
 CGO Complex, Lodhi Road
 New Delhi-110003

F. No 1-9/2007-WL-1

Dated: 3/ July, 2013

All the Chief Secretaries,
 All the Chief Wildlife Wardens,
 All State/Union Territories,
 Government of India.



Sub: Submission of proposals to the States for declaration of Eco-sensitive Zones around National Parks and Wildlife Sanctuaries.

Sir,

Reference is invited to this Ministry's letter of even No. 1-9/2007-WL-1 dated 1st May, 2013 addressed to the Chief Secretaries and Chief Wildlife Wardens of all the States and UT's, wherein this Ministry had given time till July 15th, 2013 to all the States for submission of the proposals/draft notification for Ecologically Sensitive Areas around the National Parks and Wildlife Sanctuaries. So far, proposals in respect of about 450 protected areas have been received in this Ministry. It has now been decided by this Ministry not to extend the time limit any further and a default area of 10 km from the boundary will be the Eco-sensitive zone of such protected areas for which proposals have not been forwarded. In case of those for which proposals are received in MoEF, the default area of 10 km. will continue till the ESZ is finally notified. Existing regulation will continue in respect of such area.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Dr. S. S. Garbyal,
 Additional Director General of Forests (WL)

Copy to:

1. Director, RE Division, MoEF.
2. PPS to IGF (WL), MoEF.
3. PS to DIGF (WL), MoEF.
4. The NIC Cell, with a request to kindly upload the same on the official website of the Ministry.

ITEM NO.15

COURT NO.3

SECTION PIL-W

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Writ Petition(s)(Civil) No(s). 202/1995

IN RE : T.N. GODAVARMAN THIRUMULPAD

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA AND ORS. & ORS.

Respondent(s)

(INTERLOCUTORY APPLICATION FOR 15.05.2024 "ONLY" [1] CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO. 938/2021 IN CIVIL APPEAL NOS. 12234-12235 OF 2018 AND [2] INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 58031/2024 [APPLICATION FOR INTERVENTION IN W.P.(C)No. 202/1995 FILED BY MS. PARUL GUPTA, ADVOCATE] AND INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 58032/2024 [APPLICATION FOR DIRECTIONS IN W.P.(C)No. 202/1995 FILED BY MS. PARUL GUPTA, ADVOCATE] IN RE : PAVAN SINGH AND [3] I.A. NO. 41723 OF 2022 [APPLICATION FOR DIRECTIONS] IN RE : AMAN SINGH, RAJASTHAN IN WRIT PETITION (CIVIL) NO. 202/1995 "ONLY" ARE LISTED IN W.P.(C) No. 202/1995 "ONLY" ON 15.05.2024 THROUGH SUPPLEMENTARY LIST AND THE NAMES OF "ONLY" THE FOLLOWING ADVOCATES MAY BE TREATED TO HAVE BEEN SHOWN AGAINST THESE I.As. MR. HARISH N. SALVE, SR. ADV. [A.C.], MR. A.D.N. RAO, SR. ADVOCATE [A.C.], MS. APARAJITA SINGH, SR. ADVOCATE [A.C.], MR. SIDDHARTHA CHOWDHURY, ADVOCATE [A.C.] MR. K. PARAMESHWAR, ADVOCATE [A.C.] MR. G.S. MAKKER FOR S. NO. [1] Mr. K. Parameshwar (A.C.) FOR S. NO. [2] Mr. K. Parameshwar (A.C.) Ms. Parul Shukla Mr. Milind Kumar FOR S. NO. [3] Mr. K. Parameshwar (A.C.) Mr. Siddharatha Jha, Mr. Sandeep Kumar Jha (for State of Rajasthan))

WITH

CONMT.PET.(C) No. 938/2021 in C.A. No. 12234-12235/2018 (XVII)
(FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES ON IA 115589/2024

IA No. 115589/2024 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL
DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES)

Date : 15-05-2024 This petition was called on for hearing today.

Digitally signed by
Date: 2024.05.18
14:53:29 IST
Reason: —

HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI
HON'BLE MR. JUSTICE S.V.N. BHATTI
HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA

For Petitioner(s)

Mr. Suhasini Sen, Adv.
Mr. S S Rebello, Adv.
Mr. Shyam Gopal, Adv.
Mr. Raghav Sharma, Adv.
Mr. Sughosh Subramaniam, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR

Mr. P. K. Manohar, AOR
Mr. S. Gowthaman, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

CONTEMPT PETITION (C) NO. 938/2021 IN CIVIL APPEAL NOS. 12234-12235 OF 2018

As prayed, list this matter on 17.05.2024 (at the end of the Board).

I.A. NOS. 58031 and 58032/2024

1. The present applications have been filed by the applicant(s) to pass necessary directions to the State of Rajasthan to stop all mining activities which are in violation of the orders dated 03.06.2022 and 26.04.2023 passed by this Court.
2. It is the contention of the applicant(s) that the mining activities are being continued to be undertaken within the radius of one kilometer of the Critical Tiger Habitat (CTH) of Sariska Tiger Reserve, which is a protected area.
3. Mr. K. Parameshwar, learned Amicus Curiae, has also given us a list of 110 mines which are continued in pursuance to the permission granted by the (District Environment Impact

Assessment Authority (DEIAA).

4. Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General appearing on behalf of the State of Rajasthan states that out of those 110 mines, only 68 mines are working within the radius of one kilometer and the rest have stopped working.

5. Learned Additional Solicitor General, relying on the affidavit filed on behalf of the State submits that the prohibition imposed by this Court for mining activities is with regard to an area falling within one kilometer of the boundaries of the Wildlife Sanctuaries/National Parks.

6. It is submitted that the perusal of the various orders passed by this Court would reveal that there are no direction with regard to the prohibition of mining activities within a radius of one kilometer from the Critical Tiger Habitat (CTH).

7. It is submitted that in the present application(s), the Critical Tiger Habitat (CTH) of Sariska Tiger Reserve is a buffer zone created in order to protect the Sariska Wildlife Sanctuary.

8. We find that the stand taken by the State is not only contrary to the statutory provisions as interpreted by this Court but also is against the common sense.

9. Section 38XA of the Wildlife (Protection) Act, 1972 as has been interpreted by this Court in its judgment and order dated 06.03.2024 in I.A. No. 20650 of 2023 in Writ Petition (C)

No.202 of 1995 would show that the tiger reserves stand on a higher pedestal than Wildlife Sanctuaries/National Parks. It has been held that the provisions contained in Chapter IVB of the Wildlife (Protection) Act, 1972 are in addition to the provisions which are applicable to the Wildlife Sanctuaries/National Parks.

10. As such, if the prohibition is applicable to Wildlife Sanctuaries/National Parks, it will automatically be applicable even to the Critical Tiger Habitat (CTH).

11. In our view, the interpretation as placed by the State is without substance.

12. In our judgment dated 26th April, 2023 further affirmed vide order dated 28th April, 2023, we have prohibited mining activities within a radius of one kilometer from all protected areas. At the cost of repetition, the protected areas would not only mean the Wildlife Sanctuaries/National Parks but also the Critical Tiger Habitat (CTH).

13. In that view of the matter, we find that the continuation of any mining activities within a radius of one kilometer from the boundaries of the Critical Tiger Habitat (CTH) of Sariska Tiger Reserve would be in contempt of our orders dated 03.06.2022 and 26.04.2023.

14. With these observations, we do not find that a specific direction is required to the State of Rajasthan to forthwith

prohibit the mining activities within the radius of one kilometer from the boundaries of the Critical Tiger Habitat (CTH) of Sariska Tiger Reserve.

15. List these applications on 24.07.2024 for reporting compliance.

16. Insofar as the issue with regard to the demarcation of Eco-Sensitive Zone is concerned, issue notice, returnable on 24.07.2024.

17. List Diary No. 12516 of 2019 alongwith this matter(s)/application(s) on 24.07.2024.

I.A. NO. 41723 OF 2022

1. Heard Shri K. Parameshwar, learned Amicus Curiae and Smt. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General appearing for the State.
2. Arguments concluded.
3. Judgment is reserved.

IA Nos. 100352 and 100351 of 2024

1. None appears for the applicant.
2. List this application on 24.07.2024 for dismissal.

(DEEPAK SINGH)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(ANJU KAPOOR)
COURT MASTER (NSH)

FC-11/119/2020-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
 (Forest Conservation Division)

Indira Prayavaran Bhawan,
 Aliganj, Jorbagh Road,
 New Delhi-110003

Dated: 17th May, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on Requirement of Various Environmental and Forest Clearances for Project/Activity in Eco-Sensitive Zone and Other Such Areas outside Protected Area – regarding.

Ministry has been receiving communications from States/Union Territories, Project Proponents, associated organizations and other stakeholders seeking clarifications regarding requirement of various statutory clearances viz. Environmental Clearance (EC), Forest Clearance (FC) and consideration by the National Board for Wild Life/Standing Committee of the National Board for Wild Life (NBWL/SCNBWL) for Project/Activity falling in Eco Sensitive Zones (ESZ)/ Eco Sensitive Area (ESA) and other such ecologically significant areas around Protected Areas (PAs) as defined in Wild Life (Protection) Act, 1972.

2. In this reference, it is imperative to take note of some of the important related court judgements, which are as enumerated below:

i. The Hon'ble Supreme Court Order dated 4.12.2006 in Writ Petition No. 460 of 2004 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India, *inter-alia* directed that "(MoEF) would also refer to the Standing Committee of the National Board for Wild Life, under Section 5(b) & 5(c) (ii) of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the cases where Environmental Clearances have already been granted where activities are within 10km zone of the boundaries of the Sanctuaries and National Parks".

ii. Many of developmental activities are prohibited /regulated in ESZs *inter-alia* including mining operations to be carried out in accordance with the Order of the Hon'ble Supreme court dated 4.08.2006 in the T.N. Godavarman Thirumulpad vs UOI matter in WP(C) No. 202 of 1995 and Order dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in WP(C) No. 435 of 2012.

3. Taking cognizance of conservation need of ecologically rich area outside notified PAs and aforesaid Court Orders, Ministry has issued clarifications in reference to the subject matter in the past vide OM No. 22-43/2018-IA.III dated 08.08.2019 followed by OM No. 6-60/2020WL Part (I) dated 16.07.2020.

4. The matter has been further examined in detail in the Ministry with reference to various recent communications received seeking further clarifications w.r.t. applicability of EC, FC and WC in ESZ/ESA and other ecologically significant areas outside PAs.

5. Accordingly, in supersession of Ministry's previous OM No. 22-43/2018-IA.III dated 08.08.2019 and OM No. 6-60/2020WL Part (I) dated 16.07.2020, the following procedure is


 17/05/22

prescribed w.r.t. applicability of EC, FC and WC in ESZ/ESA and other ecologically significant areas outside PA:

Clearance Category	Project/Activity in Notified ESZ Around PA or in notified ESA	Project/Activity outside PA wherein ESZ is not notified or ESZ Notification is at draft stage	Project/Activity outside PA in area which is part of Tiger Reserve or linking one PA or Tiger Reserve to another PA or Tiger Reserve
Environmental Clearance (EC)	Project/Activity shall be regulated and governed by the concerned ESZ/ESA Notification. Accordingly, activities prohibited under the ESZ/ESA Notification cannot be undertaken. Whereas, for regulated and other activities in ESZ/ESA Notification covered under the Schedule of EIA Notification, 2006; prior EC as per the prescribed procedure is mandatory.	For Project/Activity covered under the Schedule of EIA Notification, 2006; prior EC as per the prescribed procedure is mandatory, anywhere outside the PA.	For Project/Activity covered under the Schedule of EIA Notification, 2006; prior EC as per the prescribed procedure is mandatory anywhere outside the PA.
Forest Clearance (FC)	Projects shall be regulated and governed by the concerned ESZ/ESA Notification. Accordingly, activities prohibited under the ESZ Notification cannot be undertaken. Whereas, for regulated and other activities; Forest Clearance will be required, only if forest land is involved and proposed activity is for non-forestry use, as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules and guidelines made there under.	Forest Clearance will be required anywhere outside the PA, only if forest land is involved and proposed activity is for non-forestry use, as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules and guidelines made there under, irrespective of the notified limits/default limits of ESZ/ESA.	Forest Clearance will be required anywhere outside the PA, only if forest land is involved and proposed activity is for non-forestry use, as per provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules and guidelines made there under, irrespective of the notified limits/default limits of ESZ/ESA.
Consideration by the National Board of Wild Life/Standing	Projects/activities proposed to be located within notified ESZ/ESA shall be regulated and	Project/Activity covered under the Schedule of EIA Notification, 2006 and located within 10 km	Approval of NBWL/SCNBWL is mandatory if the project/activity is


17/05/24

Committee of the National Board for Wild Life (NBWL/SCNBWL)	governed by the concerned ESZ Notification. Accordingly, activities prohibited under the ESZ Notification shall not be undertaken. Whereas, regulated and other activities proposed within notified ESZ around National Park or Sanctuary shall require consideration by the NBWL/SCNBWL, if such activity is covered under the Schedule of EIA Notification, 2006.	of National Park or Sanctuary shall require consideration by the NBWL/SCNBWL.	proposed to be located in an area which forms part of a Tiger Reserve or area linking one PA or Tiger Reserve with another PA or Tiger Reserve as per section 38O(1)(g) of the Wild Life (Protection Act, 1972.
--	---	---	---

6. In all such cases, the project proponent may submit the application simultaneously for grant of Terms of Reference under EIA Notification as well as for FC and consideration by the NBWL/SCNBWL.

7. In addition, mining operations shall be carried out in accordance with the Order of the Hon'ble Supreme court dated 4.08.2006 in the T.N. Godavarman Thirumulpad vs UOI matter in WP(C) No. 202 of 1995 and Order dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in WP(C) No. 435 of 2012.

This issues with the approval of Competent Authority.


(Suneet Bhardwaj) 17/07/24

Assistant Inspector General of Forest (FC)

To:

1. The Chief Secretary, All States/UTs
2. Chairman, CPCB
3. The Addl Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Environment & Forest Department, All States/UTs.

Copy to:

- i. Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/ UT Administrations
- ii. Chief Wild Life Wardens, All State Governments/ UT Administrations
- iii. All Integrated Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India
- iv. All ADGFs/Addl. Secretaries/IGFs/ JSS/ Advisors in MoEF&CC, GoI, New Delhi.
- v. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority, New Delhi
- vi. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
- vii. PPS to Secretary (EF&C C)/DGF&SS, MoEF&CC, New Delhi.

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक/राजस्व/संपरिवर्तन/2025/393

दिनांक:- 23.07.2025

24/07/2025

क्षेत्रीय अधिकारी,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।

विषय:- सरिस्का टाईगर रिजर्व के आस पास संचालित होटल की सर्वे रिपोर्ट
भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक/RPCB/RO(ALW)/580&582, Date 22-07-2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा सरिस्का टाईगर रिजर्व के आस-पास संचालित होटल की अन्तिम सर्वे रिपोर्ट चाही गयी है। अतः संयुक्त कमेटी द्वारा तैयार सीटीएच 01 कि.मी. की सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

Rev
832
22/7/24

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी अजबगढ

कमांक/एफ/सी.टी.एच./2024-25/ 546
निमित्त

दिनांक/22/7/

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
राजगढ, अलवर


विषय - सरिस्का टाईगर रिजर्व के CIH/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर का आदेश कमांक 7017-18 दिनांक 08.09.2022 एवं श्रीमान उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का का पत्रांक/एफ(सर्वे)/बापरा/2024-25/4692-4709 दिनांक 27.05.2024, आपका पत्रांक/राजस्व/वन/2024/354 दिनांक 31.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित आदेश से गठित कमेटी के द्वारा उपखण्ड थानागजी के अन्तर्गत स्थित रेंज अजबगढ के क्षेत्र में स्थित सरिस्का टाईगर रिजर्व के CIH /वन सीमा से 01 कि.मी. में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों का चिन्हिकरण /सर्वे कार्य किया गया है। कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्न:- सर्वे प्रपत्र।

भवदीय

(लोकेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अजबगढ
वन्यजीव जयपुर

कमांक/एफ/सी.टी.एच./2024-25/

दिनांक/

प्रतिलिपि:- श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(लोकेंद्र सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अजबगढ
वन्यजीव जयपुर

बाघ परियोजना सरिस्का के किटिकल टाईगर हैबीटाट की सीमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित/
संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यवसायिक गतिविधियों सम्बंधी परिसरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र

सर्वे प्रपत्र

रेंज कार्यालय का नाम - क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला अवधि दिनांक 07.06.24 से 09.07.24 तक

क. स.	नाम ग्राम	नाम तहसील	नाम होटल/रिसोर्ट/प्रोजेक्ट/फार्म हाउस (औद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यवसायिक परिसर)	मालिक/प्रबंधक का नाम पता	मौके पर निर्माण की स्थिति (कमरे, स्वीमिंग पूल)	नाम निकटतम वनखण्ड	जी.पी.एस. मय फोटोग्राफ	भू-संपरिवर्तन/अनुमति की स्थिति (हाँ/नहीं) हाँ की स्थिति में भू-संपरिवर्तन/अनुमति की प्रति <u>सलंगन</u> की जावे	वि.वि./अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सिटावट	टहला	होटल नीलकण्ठ प्राईम रिट्रिट	श्री हरीकिशन मीणा पुत्र श्री रामप्रताप मीणा निवासी 154 नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर	12 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 मिटिंग हाल 1 डायनिंग हाल 1 किचिन 1 आफिस 1 पैन्ट्री 2 कमरे निजी आवास कुल एरिया 1.69 है. निर्माण 1.19 है. खातेदारी भूमि	दबकन	N 27°14'34.3" E 76°30'18.7"	नहीं	श्री प्रधुमन सिंह आर्य नि.जोधपुर को 3 वर्ष मार्च 25 तक लीज पर दिया हुआ है। सर्वे के दौरान कोई दस्तावेज पेश नहीं किए।

(Signature)

३

(Signature)
वृत्ताधिकारी
घृत राजगढ़ (अलवर) राज०

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

(Signature)
R.O. Teluk

53

2	राजडोली	टहला	दा चैलेट (रामपुर स्टेट एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि. ए.6 II फ्लोर सेक्टर 49 गुरुग्राम हरियाणा	श्री निर्मल सिंह निवासी गुरुग्राम हरियाणा मैनेजर श्री धीरेन्द्र सिंह राठोड पुत्र मगन सिंह नि. बृजेश कालोनी जोधपुर	8 कोटेज 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 किचिन खसरा नम्बर 544 / 585 कुल एरिया 2.28 है. खातेदारी 1.12 है. सिवायचक 1.16 है.	टहला एवं नांडू	N 27°15'38.0" E 76°25'47.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 18.01.21 से 4000वर्गमीटर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अनुमत किया गया।	भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत।
3	घेवर	टहला	दा लिटिल अफेयर	(1) श्रीमती कविता चौहान (2) निमित माथुर 219 लेक पैलेस रोड, होटल चन्द्र प्रकाश के पीछे उदयपुर	6 कोटेज 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 1 लाईब्रेरी 1 निजी आवास खसरा नम्बर 404 / 698 कुल एरिया 0.50 है. निर्माण क्षेत्र 1.15 है.	नांडू	N 27°15'52.0" E 76°26'29.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 84 दिनांक 18.01.21 से 4000वर्गमीटर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अनुमत किया गया।	भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत। सर्वे के दौरान कोई फ्लॉडि पेश नहीं की गई।

34

34

वृताधिकारी
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

ROJALM

59

4	मुरलीपुरा	टहला	उत्सव कैंप	श्री लव शंखावत पुत्र राजेन्द्र सिंह शंखावत निवासी C.89 शंखावत मार्ग, मूमल रेसटोरेन्ट अम्बावाडी विधाघर नगर जयपुर	18 कोटेज 9 कोटेज नया निर्माण जारी 1 स्टाफ रुम 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट कुल एरिया 3.80 है रिकार्ड मे 2.39 है. ख.न. 523 रकवा 1.8380 है ख.न. 529 रकवा 0.5597 है.	नांझू	N 27°15'35.0" E 76°27'40.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 7496 दिनांक 15 12.16 से खसरा नम्बर 523 व 529 का सम्पूर्ण रकवा पर्यटन इकाई हेतु संपरिवर्तित है।	उक्त शत्रु में से 105 है कम्प्लेक्स पर होने के कारण LRA-91 की कार्यवाही उपरान्त अतिक्रमण हटाकर वन विभाग के कब्जे में है। होटल एरिया 2.75 है.
5	तालाब	टहला	होटल वनाश्रय	श्री अरविन्द कुमार जैन, मै. नोमाडस लग्जरी एडवेन्चर सोल्यूशन प्रा.लि. D 703 मयूरघ्वज आपार्टमेन्ट 60 I.P एक्सटेंशन दिल्ली 110092	35 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 1 डायनिंग हाल 1 किचिन 1 आफिस 1 बार कुल एरिया 2.90 है. खसरा नम्बर 423,425,426, 435,436,424,	खारिया वास	N 27°13'56.0" E 76°26'49.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 5940-49 दिनांक 29. 06.11 से पर्यटन इकाई हेतु संपरिवर्तित है।	

३

वृत्त राजमठ (अलवर) राज०

888

उपखण्ड अधिकारी, राजमठ
जिला-अलवर

					428, 434 / 4183, 437 / 4182 रकबा 2.82 है. संपरिवर्तन 2.82 है.				
6	तालाब	टहला	होटल वनछवि रिसोर्ट, कटारा का गुवाडा तालाब	श्री राजेन्द्र सिंह मलिक पुत्र मुन्शी राम मलिक जाति जाट निवासी डोबोद खुर्द तहसील बहादुरगढ़ जिला झंझर (हरि.)	16 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 1 स्टाफ रूम 1 आफिस कुल एरिया 0.389 है. ख.न. 582 पूर्ण एरिया निर्मित	खारिया वास	N 27°13'36.0" E 76°26'58.0"	गै.मु. आवादी ग्राम पंचायत तालाब का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है।	हॉट एयर वैलून 250फिट उड़ाने की स्वीकृति।
7	तालाब	टहला	होटल कुत्यानी बाग सरिस्का	श्री योगेन्द्र सिंह चौहान पुत्र भंवरपाल सिंह राजपूत निवासी रेणफार्म तह. हिण्डोली जिला बूंदी	11 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 3 स्टाफ रूम 1 आफिस 2निजी आवास 1 स्टोर रूम कुल एरिया 0.389 है.पूर्ण एरिया निर्मित	खारिया वास	N 27°12'56.0" E 76°26'59.0"	नही	1 वर्ष के लिए ब्ल्यूओ को लीज पर दिया हुआ है। सर्वे के दौरान पत्रादि पेश नही किए।

३

वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

56

8	टहला	टहला	ग्रीन वैली सरिस्का टहला गेट के पास	श्री लोचन विजय पुत्र राजनारायण विजय नि. नडोली, टहला	5 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट कुल एरिया 0.50 है. निर्माण एरिया 0.25 है. ख.न. 962 / 2285	टहला	N 27°15'12.0" E 76°24'23.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 3014 दिनांक 12.11.21 से 4000वर्गमीटर भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु अनुमत किया है।	भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत।
9	टहला	टहला	सरिस्का मैनोर SGS होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि.	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार पुत्र मदन मोहन सिंह निवासी खातीपुरा जयपुर भूमि मालिक श्री सन्दीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह राठोड निवासी गुणावटी हाउस, गंगापथ, सूरज नगर, पश्चिम सिविल लाईन्स जयपुर	26 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 1 किचिन कुल एरिया 2.11 है. निर्माण एरिया 2.11 है. ख.न. 346 / 2293 रकबा 0.80 है 346 / 2295 रकबा 0.80 है 372 / 2294 रकबा 0.08 है 372 / 2296 रकबा 0.07 है	टहला	N 27°15'14.0" E 76°24'30.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 6578 दिनांक 10. 07.13 से भू संपरिवर्तित है।	भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत। सर्वे के दौरान पत्रादि पेश नहीं किए केवल जानकारी दी गई है।

ba

3

Manshi
वृत्त, राजगढ़

वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज०

888

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

Prothup

57

					कुल 1.75 है. भू रूपान्तरण 14661.41 वर्गमीटर सिवायचक लगभग 30एयर				
10	टहला	टहला	करबा अविलेज रिसोर्ट टहला (धुम एन्टर प्राईजेज प्रा.लि.)	श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र रामप्रकाश जाटव म.न. 545 सेक्टर ए पाकिट बी.एण्ड सी बसंत कुंज नई दिल्ली और भारत सरकार Throgh- IFCI नेहरू पैलेस देहली	15 कमरे 1 कमरा निर्माणाधीन, उपर कच्चा छप्पर 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट 1 किचिन 1 रपा 1 रिसोप्शन 1 मैनेजर रूम 1 स्टाफ रूम 1 निजी आवास कुल एरिया 3.30 है. खातेदारी 2.20 है. चारागाह/ सिवायचक 1.08 है.	टहला	N 27°15'57.0" E 76°24'35.0"	(1)श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 4459 दिनांक 11. 07.18 से वाणिज्यिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू संपरिवर्तित है। (2)भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत।	उक्त रिसोर्ट टहला गेट के अन्दर स्थित है। अतः भूमि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कमेटी सेटलमेंट विभाग से सर्वे कराये जाने की अभिशापा करती है।

Handwritten mark

34

Handwritten signature
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज०

SSE
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

Handwritten signature
KOTHLA

Handwritten mark

					गूरांगरिवर्तन 14000 वर्गमीटर ख.न.38 रकबा 0.22है ख.न.40 रकबा 0.61है ख.न. 45 रकबा 0.57है कुल 1.40 है. गू. रूमान्तरण 14000वर्गमीटर				
11	राजडोली	टहला	अलगपट गेस्ट	श्री शरद चौवे निवासी नोयडा	8 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसोरेन्ट कुल एरिया 0.50 है.	खारिया वास	N 27°15'00.0" E 76°25'44.0"		सर्वे क दीशन दस्तावेज प्रस्तुत करने से इन्कार किया।
12	रूपवारा टहला	टहला	अस्ट्रोपोर्ट 5वी यूनिट आफ अरण्या एस्ट्रो द्यूरिज्म प्रा. लि.	श्री शक्तिशिंह पुत्र भगवान सिंह नाथावत, प्रताप नगर, जयपुर	21कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 बार 1 रिसोप्शन 14 स्टाफ रूम कुल एरिया 1.32 है.	खारिया वास	N 27°14'38.0" E 76°25'59.0"	श्रीमान जिला क्लेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 2029 दिनांक 10. 04.28 से पर्यटन इकाई	मालिक श्रीमती वेन कवर पति श्री भगवान सिंह नाथावत निवासी



3

पूजा शिखा
पुत्र राजगढ़ (अलवर) राजग

उपसह्य अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

पुत्र
Rajg



					भूसंपरिवर्तन 14000 वर्गमीटर ख.न.38 रकबा 0.22 है ख.न.46 रकबा 0.61 है ख.न. 45 रकबा 0.57 है कुल 1.40 है. भू रूपान्तरण 14000वर्गमीटर				
11	राजडोली	टहला	अलमपट नेस्ट	श्री शरद चौबे निवासी नोयडा	8 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेसटोरेन्ट कुल एरिया 0.50 है.	खारिया वास	N 27°15'00.0" E 76°25'44.0"	-	सर्वे के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने से इन्कार किया।
12	रूपबास टहला	टहला	अस्ट्रोपोर्ट 5वी यूनिट आफ अरण्य एस्ट्रो टूरिज्म प्रा. लि.	श्री शक्तिसिंह पुत्र भगवान सिंह नाथावत, प्रताप नगर, जयपुर	21कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 बार 1 रिसेप्शन 14 स्टाफ रूम कुल एरिया 1.32 है.	खारिया वास	N 27°14'38.0" E 76°25'59.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 2029 दिनांक 10. 04.28 से पर्यटन इकाई	मालिक श्रीमती चैन कंवर पत्नि श्री भगवान सिंह नाथावत निवासी

3

3

वृत्त. राजगढ़ (अलवर) राजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

20/12/2025

69

					निर्माण 1.15 है. ख.न.94 रकबा 0.72 है. ख.न.96 रकबा 0.25 है ख.न. 97 रकबा 0.35 है कुल 1.32 है. भू रूपान्तरण 13200 वर्गमीटर			रिसोर्ट हेतु भूसंपरिवर्तित है।	प्लॉट न. 219 प्रताप नगर खातीपुरा रोड जयपुर द्वारा अस्ट्रोपोर्ट 5वी. यूनिट आफ अरण्य एस्ट्रो दयूरिज्म प्रा.लि. को लीज पर दिया हुआ है।
13	कूण्डला	टहला	जंगल कैम्प	श्री जयदीप सिंह पुत्र कुशलसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी अनावडा तह.राजगढ़ अलवर	11कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 किचिन कुल एरिया 0.75 है. निर्माण 0.75 है. खातेदारी ख.न.	उमरी देवरी	N 27°12'32.0" E 76°29'11.0"	(1) तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 315 दिनांक 22.02.2018 से पेईंग गेस्ट हाउस योजना में अनुमत है। (2) पर्यटन विभाग अलवर	वनभूमि के सम्बंध में उप वन संरक्षक अलवर से रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा।

8/11

3

Yankaly
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राजगढ़

888
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

RO Taha

18

					44 / 1448 रकबा 0.25 है. सिवायचक भूमि पर अकिमण ख.न. 44 लगभग 20 एयर			के पी.जी. हाउस प्रमाण पत्र 13 / 2017 दिनांक 16.06. 17 से 15.06. 19 तक मान्य।	
14	पाटोलिया बास, टहला	टहला	गुलदार (सरिस्का) वन्यश्री होस्पिटलिटी	श्री वैभव पाराशर पुत्र मनोज पाराशर निवासी GL 57A विश्वेसरीय नगर विस्तार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	10 कमरे 3 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 रिसेप्शन 1 निजी अवास 2 स्टाफ रूम 1 मन्दिर कुल एरिया 3.00 है. निर्माण 10000 वर्गफुट ख.न. 173 / 2264 रकबा 3.00 है.	टहला	N 27°15'47.0" E 76°25'25.0"	भारत सरकार की MSME योजना मे पंजीकृत।	उक्त रिसोर्ट कि भूमि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कमेटी सेटलमेन्ट विभाग से सर्वे कराये जाने की अभिशांषा करती है।
15	टहला	टहला	दा वनश्व (दा वनश्व होस्पिटलिटी)	श्रीमती ज्योति जैमन पत्नि दीपक जैमन निवासी टहला	7 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 किचिन 1 स्टोर रूम	टहला	N 27°14'42.0" E 76°24'36.0"	भू संपरिवर्तन नही है। ग्राम पंचायत टहला आबादी मे है।	(1) भारत सरकार की MSME योजना मे पंजीकृत।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

राजगढ़

								(2) पर्यटन विभाग के पत्र क्रमांक 671 दिनांक 04.10.23 से ग्रामीण गेस्ट हाउस का अस्थाई पंजीकरण किया हुआ है।	
16	लोसल	टहला	दा बीहड सरिस्का	श्री विरेन्द्र सिंह	6 कमरे 4 टैन्ट 1 स्वीमिंग पूल 1 डायनिंग हाल 1 किचिन 2 स्टोर रूम कुल एरिया 5 बीघा निर्माण 5 बीघा (115 एयर) ख.न. 153/929	नांडू	N 27°14'13.0" E 76°27'38.0"	भू संपरिवर्तन नहीं है।	सर्वे के दौरान कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

16

3

[Signature]
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राजगढ़

[Signature]
अपेक्षक अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

[Signature]
RoTolls

16

17	ग्राम दूंदपुरी (धोली खान के पास)	टहला	मातोश्री ग्रीन स्टे, ग्राम दूंदपुरी बास बंजारा, टहला	श्री स्वतन्त्र कुमार वशिष्ठ पुत्र प्रभुदयाल वशिष्ठ निवासी ककराली रामपुरा	9 कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1 रेस्टोरेन्ट 1 किचिन 3 स्टोर रूम खसरा नम्बर 135,136,137, 138,139,140, 141,155,161, 638 एवं 640	कालवाड़	N 27°11'18.0" E 76°23'28.0"	ग्रामीण पर्यटन योजना 2022	कृषि पर्यटन ईकाई 2000वर्ग मीटर हेतु पर्यटन विभाग मे आवेदन किया हुआ है।
18	टहला	टहला	वंशवन लग्जरी एडवेन्चर्स सोल्यूशन प्रा.लि. (निर्माणाधीन)	श्री शक्तिसिंह पुत्र भगवान सिंह नाथावत, प्रताप नगर, जयपुर	पक्का निर्माण 2 कमरे 3 स्टाफ रूम 1 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रे. 40टैन्ट लगाया ज्ञाना प्रस्तावित कुल एरिया 1.206 है. ख.न. 2030 / 173	टहला	N 27°15'49.0" E 76°25'18.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 9304 दिनांक 17. 12.18 से पर्यटन ईकाई रिसोर्ट हेतु भू संपरिवर्तित है।	उक्त रिसोर्ट कि भूमि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु कमेटी सैंटलमेन्ट विभाग से सर्वे कराये जाने की अभिशांषा करती है।
19	तालाब	टहला	निर्माणाधीन होटल	श्री गिराज प्रसाद पुत्र छाजूराम जैमन निवासी तालाब	18कमरे 1 स्वीमिंग पूल 1डायनिंग हाल 1 कैम्प फायर	खारिया वास	N 27°13'49.0" E 76°26'54.0"	भू संपरिवर्तन नहीं है। आवेदन किया हुआ	

B

3


वृत्त राजगढ़ (अलवर) राजगढ़
उपखण्ड आयुक्त, राजगढ़
जिला-अलवर

64

					कुल एरिया 40 एयर निर्माण 40एयर ख.न. 489			वताया गया है।
20	नडोली	टहला	निर्माधाधीन	श्रीमती दिव्या तोमर पत्नि नितिराज सिंह जाति राजपूत निवासी 1766, कालवाड हाउस, इन्दिरा बाजार, जयपुर हाल ग्राम नडोली तह.टहला जिला अलवर	खसरा नम्बर 158 रकबा 1.30है. निर्माण 1.18है.	टहला	N 27°15'36.0" E 76°24'04.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 1908-09 दिनांक 08. 10.20 से 4000वर्गमीटर भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु अनुमत किया है।
21	टहला	टहला	सरिस्का ईको लोज टहला (निर्माणाधीन)	(1) श्रीमती रीता जैन पत्नि अनिल जैन निवासी 533 स्कीम न.10 अलवर (2) श्रीमती सरोज कंवर पत्नि रघुवीर सिंह शेखावत निवासी मदनी तह. दाता रामगढ़ जिला सीकर	10 कोटेज 1 स्वीमिंग पूल 1 रेस्टोरेन्ट 1 स्पा 2 छोटे लंचपूल 5 स्टाफ रूम 1चोकीदार रूम 1निजी आवास कुल एरिया 4.01 है.	टहला	N 27°15'09.0" E 76°24'31.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 6589 दिनांक 10. 07.13 से पर्यटन इकाई रिसोर्ट हेतु भूसंपरिवर्तित है। (1) भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत। (2) पर्यटन विभाग अलवर के पत्र


②

3



 वृत्त अधिकारी
 वृत्त राजगढ़ (अलवर) राजगढ़
 उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
 जिला-अलवर


②

				निर्माण एरिया 0.23 है. ख.न. 371 / 2308 रकबा 1.00 है का भूसंपरिवर्तन है तथा खसरा न. 365 रकबा 0. 0185 है. 366 रकबा 0. 0577 है. 367 रकबा 0. 0374 है. कुल 14700 वर्गमीटर कृषि पर्यटन हेतु			क्रमांक 160 दिनांक 14.03.23 से कृषि पर्यटन ईकाई हेतु स्वीकृत।
--	--	--	--	---	--	--	--


तहसीलदार
टहला (अलवर)


अधिष्ठापी अभियन्ता
सा. नि. वि. राजगढ़


वृत्ताधिकारी
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज०


(कृष्ण कुमार रायपुरिया)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
टहला


उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित / संचालित औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र:-

सर्वे प्रपत्र

रेज कार्यालय का नाम राजगढ़

अवधि दिनांक से तक

क्र. सं.	नाम-ग्राम	नाम-तहसील	नाम-होटल/रिसोर्ट/प्रोजेक्ट/फार्म हाउस (औद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यावसायिक परिसर)	मालिक एवं प्रबन्धक का नाम व पता	मौके पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्वीमिंग पूल)	नाम निकटतम वनखण्ड	जी.पी.एस. मय फोटोग्राफ	भू-संपरिवर्तन/अनुमति की स्थिति (हाँ/नहीं) हों की स्थिति में भू-संपरिवर्तन अनुमति की प्रति संलग्न की जाये।	वि. वि. /अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पावटा	टहला	लाल बाग पैलेस	श्री धर्मसिंह गुर्जर	5 कमरे, डायनिंग हॉल	नारायणीमाता	27° 07' 56'' 76° 20' 52''	नहीं	
2	भानगढ़	टहला	होटल वाशु, भानगढ़	श्री महेश शर्मा	ग्राउण्ड फ्लोर में ओपन हॉल, किचन ओपन खुला एरिया, 2 लैटबाथ प्रथम फ्लोर में 5 कमरे विद लैटबाथ, 01 हॉल द्वितीय फ्लोर में 1 कमरा विद लैटबाथ	भानगढ़	27° 05' 43'' 76° 18' 01''	नहीं	
3	भानगढ़	टहला	होटल राज रिसोर्ट भानगढ़	श्री प्रभु दयाल गुर्जर	बैसमेट, लैटबाथ, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसेप्शन हॉल, डायनिंग हॉल, 02 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 6 कमरे विद लैटबाथ, 1 किचन, टीन शेड, 1 बड़ा हॉल ऊपर छप्पर, गार्डन एरिया, 1 स्विमिंग पूल, 10 लैटबाथ	भानगढ़	27° 05' 42'' 76° 18' 03''	नहीं	

(R.O. अजमेर)

तहसीलदार
टहला (अलवर)

अधिसाधी अभियन्ता
राज नि. वि. खण्ड
राजगढ़ (अलवर) राज.

वृत्ताधिकारी
वृत्त राजगढ़ (अलवर) राज.

खण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

बाघ परियोजना सरिसका के किरिकल टाईगर हेविटाट की सीमा से 01 कि.मी की परिधि के अंदर स्थित / संघालित औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र:-

रेज कार्यालय का नाम उ.प्र. वन. ट.

सर्वे प्रपत्र

अवधि दिनांक से तक

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम तहसील	नाम होटल / रिसोर्ट / प्रोजेक्ट / फार्म हाउस (औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यावसायिक परिसर)	मालिक एवं प्रबन्धक का नाम व पता	मीठे पर निर्माण की स्थिति (कमरा, कमरे, स्वीमिंग पूल)	नाम निकटतम वनखण्ड	जी.पी.एस. मध्य फलदायाक	भू-संपादन / अनुमति की स्थिति (हाँ / नहीं) ही की स्थिति में भू-संपादन अनुमति की प्रति संलग्न की जावे।	दि. वि. / अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पावटा	टहला	लाल बाग पैलेस	श्री धर्मसिंह गुर्जर	5 कमरे, डायनिंग हॉल	नारायणीमाता	27° 07' 56" 76° 20' 52"	नहीं	
2	भानगढ	टहला	होटेल वाशु, भानगढ	श्री महेश शर्मा	ग्राउण्ड फ्लोर में ओपन हॉल, किचन ओपन खुला एरिया, 2 लैटबाथ प्रथम फ्लोर में 5 कमरे विद लैटबाथ, 01 हॉल द्वितीय फ्लोर में 1 कमरा विद लैटबाथ	भानगढ	27° 05' 43" 76° 18' 01"	नहीं	
3	भानगढ	टहला	होटेल राज रिसोर्ट भानगढ	श्री प्रभु दयाल गुर्जर	बेसमेट, लैटबाथ, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसेप्शन हॉल, डायनिंग हॉल, 02 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 6 कमरे विद लैटबाथ, 1 किचन, टीन रोड, 1 बडा हॉल ऊपर छप्पर, गार्डन एरिया, 1 स्विमिंग पूल, 10 लैटबाथ	भानगढ	27° 05' 42" 76° 18' 03"	नहीं	

(R.O. अनवर)

*तहसीलदार
टहला (अलवर)*

*अधिसाधी अधिवक्ता
राज नि. वि. खण्ड
राजगढ (अलवर) राजग*

*वृत्तीयधिकारी
वृत्त राजगढ (अलवर) राजग*

*SSC
एकलव्य अधिसाधी, राजगढ
दिनांक-अलवर*

88

4	भानगढ	टहला	भानगढ ड्रीमस वाटर पार्क एण्ड रेस्टोरेंट	डॉ० रामखिलाडी मीणा	1 स्विमिंग पूल , 2 कमरे, 02 लैटबाथ , रसोई, कैंटिन,गार्डन	भानगढ	27° 05' 41.1'' 76° 18' 07.4''	नही
5	भानगढ	टहला	द सॉयल कल्याण पैलेस, भानगढ	श्री प्रभु दयाल शर्मा	बेंसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर मे रिसेप्सन , लेटबाथ, ओपन एरिया ,स्टाफरुम ,प्रथम फ्लोर मे 8 कमरे विद लैटबाथ, द्वितीय फ्लोर मे 2 कमरे विद लैटबाथ	भानगढ	27° 05' 43'' 76° 18' 03''	नही
6	भानगढ	टहला	सफारी रेस्टोरेंट, भानगढ	श्री शिव कुमार शर्मा	बेंसमेंट मे ओपन हॉल ,किचन ग्राउण्ड फ्लोर मे रिसेप्सन हॉल, 1 कमरे, 04लैटबाथ,स्टोर	भानगढ	27° 05' 43'' 76° 18' 02''	नही
7	भानगढ	टहला	भानगढ किले के बाहर पार्किंग	ग्राम पंचायत गोलाकाबास	भानगढ किले के बाहर बगैर सक्षम स्वीकृति के पार्किंग संचालित कर व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है।	भानगढ	27° 05' 46.3'' 76° 17' 43.5''	नही

रहस्यीय
(R.O. अजमेर)

तहसीलदार
टहला (अलवर)

3
अधिराजी अभियन्ता
सा० नि० वि०, एण्ड
राजगढ (अलवर) राज०

वृत्ताधिकारी
वृत्त राजगढ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

69

8	गोलाकाबास	टहला	भानगढ फूड प्लाजा, रिसोर्ट	श्रीमती फूलवती देवी	ग्राउण्ड फ्लोर मे रेस्टोरेंट, रिसेप्शन, किचन, 3 कमरे विद लैटबाथ, गार्डन, स्विमिंगपूल, 05 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर मे 7 कमरे विद लैटबाथ एवं 01 टीन शेड रुम।	भानगढ	27° 04' 06'' 76° 18' 26''	नही
9	पावटा	टहला	द प्योर नेचर होटेल	श्री रामस्वरुप सैन	बैसमेंट मे हॉल, 2 कमरे ग्राउण्ड फ्लोर मे रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, किचन, 9 कमरे विद लैटबाथ, प्रथम तल- 16 कमरे विद लैटबाथ द्वितीय फ्लोर मे 3 कमरे विद लैटबाथ, 1 बीयर बार विद लैटबाथ पीछे स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया, 04 लैटबाथ	नारायणीमाता	27° 07' 51'' 76° 20' 48''	नही

रामजीव
(R.O. अजबगढ)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
वन्यजीव अजबगढ

तहसीलदार
टहला (अलवर)

अधिसायी अधियन्ता
सा० नि० वि०, अजबगढ
राजगढ (अलवर) राज०

Manohar
घृताधिकारी
घृत राजगढ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी-अलवर

क्रमांक/राजस्व/वन/2024/432

दिनांक-03/07/24

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला-अलवर राज0

विषय:- सरिस्का टाईगर रिजर्व के सी.टी.एच./वन सीमा से 01 किमी. की परीधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हीकरण के संबंध में।
संदर्भ:- श्रीमान के आदेश क्रमांक: राजस्व/2022/7017 दिनांक 08.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान के आदेश क्रमांक: राजस्व/2022/7017 दिनांक 08.09.2022 एवं कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/वन/2024/299-307 दिनांक 12.06.2024 को सरिस्का टाईगर रिजर्व के CTH /वन सीमा से 01 किमी की परीधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन, नवीन निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में गठित टीम द्वारा सरिस्का टाईगर रिजर्व के CTH /वन सीमा से 01 किमी की परीधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन, नवीन निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हीकरण हेतु सर्वे किया गया। उक्त गठित टीम की सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी

दिनांक-03/07/24

क्रमांक/राजस्व/वन/2024/433-40

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपवन संरक्षक सरिस्का/जयपुर।
2. पुलिस उप अधीक्षक थानागाजी।
3. तहसीलदार थानागाजी/प्रतापगढ़।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 अलवर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिस्का/अजबगढ़।
6. खनिज अभियन्ता खनिज विभाग अलवर।
7. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका थानागाजी।
8. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजीRajKaj Ref
8598554

Signature valid

Digitally signed by Anshelal Yadav
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.03 12:11 IST
Reason: Approval

बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा से 01 कि०मी० की परिधि के अंदर स्थित/संचालित औद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरो को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र रेंज सरिस्का

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम तहसील	नाम होटल/रिसोर्ट/ प्रोजेक्ट/फार्म हाऊस (औद्योगिक/वाणि ज्यिक/व्यवसायि क परिसर)	मालिक एवं प्रबन्धक का नाम व पता	मौके पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्वीमिंग पूल)	नाम निकटतम वनखण्ड	जी.पी.एस. मय फोटोग्राफ	भू-सम्परिवर्तन /अनुमति की स्थिति (हाँ/नहीं) हाँ की स्थिति में भू-सम्परिवर्तन /अनुमति की प्रति	वि.वि.
1	कालाखोरा	थानागाजी	सरिस्का नेचर स्टेटस	हेमन्त सिंह निवासी मलावली हाऊस 6 गोविन्द नगर खातीपुरा रोड, झोटवाडा जयपुर	2 कमरे, 1 बडा हॉल, 1 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल	भूडियावास	N 27.4440 E 76.3395	नहीं	-

RajKaj Ref
8600248



Signature Not Verified

Digitally signed by Ameelal Yadav
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.03 13:30:29 IST
Reason: Approved

72

2	दुहार माला	थानागाजी	स्टरलिंग रिवाइल्ड सरिस्का	राहुल हरसाना निवासी थानागाजी	8 पक्के रूम, 26 टैन्ट, रिसेप्शन, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट (5 बीघा)	दुहार माला	N 27.4238 E 76.3320	नहीं	प्रार्थी के पास सम्परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजात् प्राप्त हुए। जो कि इस प्रकार है:- उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का से अनापत्ति प्रमाण पत्र। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र। उपनगर नियोजक अलवर से प्राप्त अनापत्ति पत्र। ग्राम पंचायत दुहार चौगान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र। राजस्थान स्टेट प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अलवर से अनापत्ति प्रमाण पत्र। तहसीलदार थानागाजी की स्पष्ट अभिशंभा रिपोर्ट। सम्परिवर्तन राशि जमा कराये जाने की चालान की प्रति।
3	थानागाजी	थानागाजी	सरिस्का रिट्रीट	पपीता देवी पत्नि सौदान गुर्जर निवासी थानागाजी	14 पक्के रूम, 6 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट	दुहार माला	N 27.4082 E 76.3339	नहीं	लीज पर है, श्री हेमन्त सिंह राठौड़ निवासी जयपुर
4	अमरा का बास	थानागाजी	सरिस्का साफारी लोज	जितेन्द्र शर्मा पुत्र सोहनलाल शर्मा निवासी बनेट सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश	19 पक्के रूम, 1 फुल रेस्टोरेन्ट	अमरा का बास	N 27.3875 E 76.3271	हों	सम्परिवर्तन ओदश संलग्न है।

5	जोधावास, भांगडोली	थानागाजी	Wow Relish in Wild	नरेश कुमार लांका पुत्र मनमोहन प्रसाद निवासी दिल्ली हाल भांगडोली	6 पक्के रुम, 8 मटाऊ रुम टीनशेड से, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट 2500 वर्ग गज	अमरा का बास	N 27' 22' 43.0", E 76' 18' 36.0"	नहीं	प्रार्थी द्वारा नगरपालिका थानागाजी से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा लिया हुआ है। संलग्न है।
6	थानागाजी	थानागाजी	मधु विलास	श्री सावन जोशी पुत्र राकेश जोशी निवासी थानागाजी	13 पक्के रुम, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 गार्डन मैरिज	अमराकाबास	N 27.3920 E 76.3211	नहीं	प्रार्थी के पास पीजी हाउस सर्टिफिकेट है। जो कि संलग्न है। व उक्त रिसोर्ट/रेस्टोरेन्ट आबादी भूमि में बना हुआ है।
7	थानागाजी	थानागाजी	श्री कृष्णम	श्री आशीष माहेश्वरी पुत्र गजानन्द माहेश्वरी	7 पक्के रुम, 1 रेस्टोरेन्ट	अमराकाबास	N 27.3922 E 76.3207	नहीं	उक्त रिसोर्ट/रेस्टोरेन्ट आबादी भूमि में बना हुआ है।
8	थानागाजी	थानागाजी	होटल आनन्द	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्रीराम निवासी मांची, बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड	8 पक्के रुम, 1 रेस्टोरेन्ट	अमराकाबास	N 27.3921, E 76.3209	नहीं	-
9	थानागाजी	थानागाजी	फैमिली रेस्टोरेन्ट एण्ड कैफे	-	-	अमराकाबास	N 27.3909 E 76.3219	नहीं	-
10	थानागाजी	थानागाजी	सैफ जोन होटल एण्ड कैफे	श्री दीपक मीणा निवासी मांदरी तहसील थानागाजी जिला अलवर श्री चेताराम पुत्र बल्लाराम निवासी विराटनगर	8 पक्के रुम, 1 रेस्टोरेन्ट	अमराकाबास	N 27.3902, E 76.3226	नहीं	-

RajKaj Ref
8600248

75

बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा के अंदर स्थित/संचालित ओद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरो को सूची बद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र रेंज सरिस्का									
1	सरिस्का	थानागाजी	टाईगर डेन	आरटीडीसी	31 पक्के कमरे, रेस्टोरेन्ट, बार, लॉन	कालीघाटी	N 27.3902 E 76.3753	नहीं	-
2	सरिस्का	थानागाजी	सरिस्का पैलेस	श्री केसरसिंह, धर्मवीर, सुनिल यादव निवासी गुडगांव दिशान्त व्यास, हनुमानगढ	103 पक्के कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, एसबीटी लॉन, गेम हॉल, 1 जनरेटर रूम, 1 अस्थबल	कालीघाटी	N 27.3928 , E 76.3706	नहीं	-
3	थानागाजी	थानागाजी	सरिस्का टाईगर हैवन	श्री दिनेश दुरानी पुत्र मोहनलाल वर्मा निवासी भरतपुर	24 पक्के कमरे, 16 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेस्टोरेन्ट	अमराकाबास	N 27° 22' 26" , E 76° 19' 52"	नहीं	प्रार्थी के पास सम्परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजात् प्राप्त हुए। जो कि इस प्रकार है:- प्रार्थी के पास 0.40 है० भूमि का गै०मु० वाणिज्यक सम्परिवर्तन आदेश प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है। 1998 व 2000 सम्परिवर्तन हुआ है। राजस्थान स्टेट प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अलवर से अनापत्ति प्रमाण पत्र। नगर पालिका थानागाजी से एनओसी प्राप्त। फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र

बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा से 01 कि०मी० की परिधि के अंदर स्थित/संचालित ओद्योगिक/वाणिज्यिक/व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरो को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र रेंज अजबगढ									
1	गुवाडा कुण्डयाल	प्रतापगढ	अनन्ता रिसोर्ट	मुकन्द शरण गोयल	75 विला , 1 स्वीमिंग पूल, किचन, रेस्टोरेन्ट, रिसेप्शन, बैंकवेट हॉल	पिपलाई, नैडोली	27.204869 76.288871	हाँ	सम्परिवर्तन ओदश संलग्न है।
2	अजबगढ	प्रतापगढ	अमन बाग रिसोर्ट	रितेश मुदगल	40 कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 किचन, 1 स्टॉफ क्वार्टर, 2 कॉमन स्विमिंगपूल, 16 स्विमिंगपूल कमरो के अटैच	अजबगढ	27.166042 76.296937	हाँ	सम्परिवर्तन ओदश संलग्न है।
3	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ	सूर्यबाग रिसोर्ट	सूर्यप्रताप सिंह	04 कमरे, डायनिंग हॉल, स्विमिंगपूल, बैंकट हॉल	अजबगढ	27.161379 76.29823	नहीं	
4	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ	चौखीवाडी रिसोर्ट	डॉ० पृथा बिस्वास प्रबंधक— वरुण सहगल	निजि मकान 2500 वर्गफिट, टेंट-6, कच्चे कमरे-ईको फ्रेन्डली -5, पक्का कमरा-02 स्विमिंग पूल निर्माणाधीन	अजबगढ	27.15879, 76.295546	नहीं	

RajKai Def
8600248

76

कापालिका क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा शाखाका कार्यालय परिसरमा सीमाको अतिक्रमण

क्रमांक - एम.एन.डी/२०२५-२६/ ५५६

दिनांक २७-६-२०२५

आ.स. सीमाना उपकरण अधिकारी
कापालिका अतिक्रमण

विषय - सीमाना उपकरण सेवा शाखाको सीमाको अतिक्रमण व सीमानाको अतिक्रमणको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।
के संसालन एवं नतीका निर्माण कार्यको साथै विभिन्न स्थानहरूमा अतिक्रमणको कारण

संशोधन - आफ्नो पत्रांक ३०८-३१६ दिनांक १२-६-२५को फालागाम
अतिक्रमण - उपरोक्त विषयको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।

उपरोक्त विषयको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।
के पत्रांक २६०२ सीमाना सेवा शाखाको सीमाको अतिक्रमण व सीमानाको अतिक्रमणको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।
के संसालन एवं नतीका निर्माण कार्यको साथै विभिन्न स्थानहरूमा अतिक्रमणको कारण
समाप्त भएसँगै आफ्नो अतिक्रमणको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।

संलग्न १) अतिक्रमणको बारेमा

२) अतिक्रमणको बारेमा

कप्तान सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सदर सारिस्का, अतिक्रमण

प्रतिक्रमा १) सीमाना उपकरण संरक्षण कार्य परिसरमा सीमाको अतिक्रमणको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।
कापालिका अतिक्रमणको बारेमा जानकारी दिनुको लागि।

कप्तान सिंह
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सदर सारिस्का, अतिक्रमण

8	धानागाजी	धानागाजी	होटल आनन्द	श्री बलराम सिंह पुत्र श्रीराम निवासी मांठी, बालराम त्रिखा कोटमण्डली-बहराइ	8 एकड़ सज, 1 रेस्टोरन्ट	अम्बरकावास	N 27.35221 E 76.32235	नहीं	-
9	धानागाजी	धानागाजी	कैमिली रेस्टोरन्ट एण्ड कैंफे	-	-	अम्बरकावास	N 27.35965 E 76.32233	नहीं	-
10	धानागाजी	धानागाजी	वीक जोन होटल एण्ड कैंफे	श्री दीपक शीखा निवासी मांठी तहसील धानागाजी त्रिखा अन्तर श्री चेताराम पुत्र बलराम निवासी दिशतनगर	8 एकड़ सज, 1 रेस्टोरन्ट	अम्बरकावास	N 27.35962 E 76.32226	नहीं	-

Tamy
तनु कुमारी देवा
सुनील आश्रीयता
सा. नि. ०१००३५५०३ धानागाजी

रामकृष्ण
परिवार
अभिनेता
अम्बरकावास

आयुष्य
कनिष्ठ अभियन्ता
वसुदेविका धानागाजी (अम्बरकावास)

पुलिस ठा अर्थात्क
कृ. धानागाजी
त्रिखा अन्तर (राज०)

क्षेत्रीय दन अधिकारी
सरिस्का

तस्वीर
धानागाजी (अम्बरकावास)

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

क्रमांक:प.12-3(22)राजस्व/भू0रू0/2005/ 4019

दिनांक 30/5/16

संपरिवर्तन आदेश

श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 128, गांव बनेड तहसील सुन्दर नगर जिला मण्डी (हि.प्र.) एवं श्री हर्ष यादव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव निवासी कनीना मण्डी जिला महेन्द्रगढ (हरि.) के आवेदन एवं जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इनकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान नू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना सं० एफ.6(6)राजस्व-6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.04.2011 एवं अधिसूचना सं० एफ.6(6)राज-6/92 पार्ट/4 दिनांक 16.01.12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए कृषि भूमि का अकृषि(रिसोर्ट)प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियों नीचे दी गई है :-

1- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पति का नाम सहित पूरा पता	श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 128, गांव बनेड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी(हि.प्र.) एवं श्री हर्ष यादव पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह यादव निवासी कनीना मण्डी जिला महेन्द्रगढ (हरि.)
2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य है	नहीं।
3- संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	ग्राम अमरा का बास पटवार मण्डल भांगडोली तहसील थानागाजी जिला अलवर
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल	साबिक ख.न. 92/129 हाल आराजी खसरा नम्बर 130/2 रकबा 2.44है०
(ग) भू-रूपान्तरित क्षेत्र	10000 वर्ग मीटर
(घ) प्रत्येक खसरा नं० का संपरिवर्तित क्षेत्रफल	आराजी खसरा नम्बर 130/2 रकबा 2.44है० में से 10000 वर्ग मीटर
4- संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक (पर्यटन इकाई)
5- संदेय प्रीमियम की दर	नि.शुल्क (उपशासन सचिव राजस्व (भू0रू0) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर पत्रांक एफ.6(6)राज-4/पीटी/08 दिनांक 20.03.08 के अनुसार रिसोर्ट (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुल्क देय नहीं है। जो राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2007 के तहत प्रभावी है।
6- संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने की चालान की संख्या व दिनांक	लागू नहीं
7- चालान की संख्यावदिनांक शास्ति कोई हो।	लागू नहीं
8- चालान की संख्यावदिनांक ब्याज कोई हो।	लागू नहीं
9- क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया।	लागू नहीं
10- अन्य विशिष्टियों यदि कोई हो	मार्गाधिकार हेतु समर्पित भूमि में किसी प्रकार



अतिक्रमण नहीं किया जावेगा एवं सरकार से जारी आदेशों की पालना प्रार्थीगणों द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

11- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।
2. यह है कि प्रार्थीगणों को ख.न. 130/2 रकबा 2.44 है० में से संपरिवर्तित 10000 वर्गमीटर (दस हजार वर्गमीटर) के अलावा बाकी शेष बची कृषि भूमि का विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अकृषि प्रयोजन में उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
3. यह है कि प्रार्थीगणों को प्रस्तावित भूमि के लिए मार्गाधिकार हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर रखी जाकर सड़क मध्य से 9.0 मीटर के अन्दर आने वाली भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य जिसमें बाउण्ड्रीवाल भी शामिल है, नहीं किया जावेगा।
4. यह है कि प्रार्थीगणों को सेट बैक में स्थित निर्माण हटाया जावेगा तथा राजस्थान भवन विनियम, के प्रावधानों के अनुसार रिसोर्ट हेतु सामने का सेटबैक 30 मीटर एवं शेष तीनों तरफ 15-15-15 मीटर न्यूनतम सेटबैक रखने होंगे एवं आच्छादित क्षेत्रफल 20 प्रतिशत व एफएआर 0.2 रखा जावेगा।
5. यह है कि प्रार्थीगणों को वर्तमान में आवेदित प्रयोजन में भू उपयोग लाया जा रहा है अतः रिसोर्ट प्रयोजन हेतु भवन मानचित्र उपरोक्त मापदण्ड रखते हुए तथा अन्य सभी मापदण्ड व प्रावधान मॉडल भवन विनियम 2010/समीपस्थ स्थानीय निकास में लागू भवन विनियमों के अनुसार रखते हुए, पालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. यह है कि प्रार्थीगणों को वर्षा जल पुनर्भरण संरचना, अग्नि शमन सुरक्षा, जल-मल निकासी व अन्य प्रावधान भवन विनियमों, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं संबंधित विभागों के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करने होंगे।
7. यह है कि प्रार्थीगणों को जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि के सभी संबंधित प्रावधानों की पालना की जावेगी।
8. यह है कि प्रार्थीगणों को प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं होने वाले कटाव को रोकने के उचित प्रावधान किये जावेंगे, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. यह है कि प्रार्थीगणों को वाहनों की पार्किंग राजस्थान भवन विनियम 2000 के प्रावधानानुसार तथा प्रस्तावित स्थल के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
10. यह है कि प्रार्थीगणों को राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु वर्षा का पानी को एकत्रित करने के लिए समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक से अधिक टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोर वेलनुमा अथवा सोकपीट (Sock-Pit) जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।
11. यह है कि प्रार्थीगणों को राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार पानी गरम करने हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना आवश्यक होगा।
12. यह है कि प्रार्थीगणों को रिसोर्ट से होने वाले गन्दा पानी, ठोस कचरा एवं अन्य अपशिष्ट का निष्पादन स्वयं के स्तर पर करना होगा। राजस्थान नगरीय भवन विनियम 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार जलमल संबन्धी विभिन्न व्यवस्थाएं राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होगी जो

प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

13. यह है कि प्रार्थीगणों को राजस्थान भवन विनियम 2000 के प्रावधानानुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन संबंधी संगत सुविधायें यथा कुर्सी तल पर पहुंच मार्ग, विकलांगों के लिए प्रवेश/निकास द्वारों को जोड़ने का गलियारा, सीढ़ी मार्ग, शौचालय, पेयजल इत्यादि का निर्माण सुनिश्चित किया जावेगा।



14. यह है कि प्रार्थीगणों को भवन को भूकम्परोधी बनाने एवं अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(10) नविदि/3/2003 दिनांक 24.10.07 में उल्लेखित नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगी।

15. यह है कि प्रार्थीगणों की उक्त भूमि का संपरिवर्तन वन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश संख्या:एफ.3(10)फोरेस्ट/2014 दिनांक 13.05.2016 से जारी निर्देशों के तहत जारी किया गया है। भविष्य में वन विभाग से जारी अधिसूचना/नियमों की पालना हेतु प्रार्थीगण बाध्य रहेंगे।

16. यह है कि प्रार्थीगणों को उक्त पर्यटन इकाई यथा रिसोर्ट पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट के अध्याधीन होगा।

17. यह है कि प्रार्थीगणों को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत प्रभावित नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी। शर्तों की उल्लंघन किये जाने पर यह संपरिवर्तन आदेश प्रभावहीन माना जावेगा।

क्रमांक:जस्व/भू0रू0/2016/

4020-30

जिला कलेक्टर, अलवर
दिनांक 30/5/16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पर्यटन विभाग राजस्थान जयपुर
3. मुख्य नगरनियोजक(एन0सी0आर0),नगर नियोजन भवन, जवाहरलाल नेहरूमार्ग, जयपुर।
4. उप नगर नियोजक, अलवर को पालनार्थ।
5. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड (प्रथम) अलवर।
6. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट अलवर।
7. तहसीलदार, थानागाजी को पालनार्थ।
8. ग्रामसेवक एवं पदेनसचिव, ग्राम पंचायत भांगडोली, थानागाजी जिला अलवर।
9. श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सोहनलाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 128, गांव बनेड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी(हि.प्र.)
10. श्री हर्ष यादव पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह यादव निवासी कनीना मण्डी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
11. रक्षित पत्रायली।

जिला कलेक्टर, अलवर

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी अजबगढ

क्रमांक/एफ/सी.टी.एच./2024-25/ 456
निमित्त,

दिनांक/27/06/2024

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी, अलवर


विषय :- सरिस्का टाईगर रिजर्व के CTM/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर का आदेश क्रमांक 7017-18 दिनांक 08.09.2022 एवं श्रीमान उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का का पत्रांक/एफ()सर्वे/बापस/2024-25/4692-4709 दिनांक 27.05.2024, आपका पत्रांक/राजस्व/वन/2024/298 दिनांक 12.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित आदेश से गठित कमेटी के द्वारा उपखण्ड थानागाजी के अन्तर्गत स्थित रेंज अजबगढ के क्षेत्र में स्थित सरिस्का टाईगर रिजर्व के CTM /वन सीमा से 01 कि.मी. में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों का चिन्हिकरण /सर्वे कार्य किया गया है। कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- सर्वे प्रपत्र।

भवदीय

 (लोकेन्द्र सिंह)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 अजबगढ
 वन्यजीव जयपुर

क्रमांक/एफ/सी.टी.एच./2024-25/

दिनांक/

प्रतिलिपि:- श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय
 /
 (लोकेन्द्र सिंह)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 अजबगढ
 वन्यजीव जयपुर

बाघ परियोजना सरिस्का के किटिकल टाईगर हैबिटाट की सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित / संचालित औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र:-

सर्वे प्रपत्र

रेंज कार्यालय का नाम.....अजबगढ़.....

अवधि दिनांक 20/6/2024 से तक

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम तहसील	नाम होटल / रिसोर्ट / प्रोजेक्ट / फार्म हाउस (औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यावसायिक परिसर)	मालिक एवं प्रबन्धक का नाम व पता	मौके पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्वीमिंग पूल)	नाम निकटतम वनखण्ड	जी.पी.एस. मय फोटोग्राफ	भू-संपरिवर्तन / अनुमति की स्थिति (हाँ/नहीं) हाँ की स्थिति में भू-संपरिवर्तन अनुमति की प्रति संलग्न की जावे।	वि. वि. / अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गुवाडा कुण्डयाल	प्रतापगढ़	अनन्ता रिसोर्ट	मुकन्द शरण गोयल	75 विला, 1 स्वीमिंग पूल, किचन, रेस्टोरेन्ट, रिसेप्सन, बैंकवेट हॉल	पिपलाई, नैडोली	27.204869 76.288871	हाँ	
2	अजबगढ़	प्रतापगढ़	अ. हरिरेज रिसोर्ट (अमन बाग रिसोर्ट)	रितेश मुदगल	40 कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 किचन, 1 स्टॉफ क्वार्टर, 2 कॉमन स्विमिंगपूल, 16 स्विमिंगपूल कमरों के अटैच	अजबगढ़	27.166042 76.296937	हाँ	
3	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ़	सूर्यबाग रिसोर्ट	सूर्यप्रताप सिंह	04 कमरे, डायनिंग हॉल, स्विमिंगपूल, बैंकट हॉल	अजबगढ़	27.161379 76.29823	नहीं	
4	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ़	चौखीवाडी रिसोर्ट	डॉ० पृथा बिस्वास प्रबंधक - वरुण सहगल	निजि मकान 2500 वर्गफिट, टेंट-6, कच्चे कमरे-ईको फ्रेन्डली -5, पक्का कमरा-02 स्विमिंग पूल निर्माणाधीन	अजबगढ़	27.15879 76.295546	नहीं	

[Signature]
(R.O. अजबगढ़)

[Signature]
Juni or enginer
PWD Sub dn thanagazi

[Signature]
R.O. अजबगढ़
(अ. हरिरेज रिसोर्ट)

[Signature]
रिंकोली
सर्वेयर कार्यालय
अजबगढ़, अजबगढ़

[Signature]
HCL 359 TDR प्रतापगढ़
R.O. अजबगढ़ (अजबगढ़)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

कार्यालय 12-3(261)राजस्थान/भू/2018/8817

दिनांक 24/10/2018

संपरिवर्तन-आदेश

श्री मुकुन्द शरण गोयल पुत्र राधेश्याम गोयल निवासी 303, नेमी सागर कालोनी, वैशालीनगर जयपुर के आवेदन पर इनकी स्वातेवारी अभिवृत्ति में धारित भूमि बाक गांव खाड़ा कुण्डाल तहसील थानागाजी कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (गाभीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि भूमि का अकृषि पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिचारी का नाम पति का नाम सहित पूरा पता	श्री मुकुन्द शरण गोयल पुत्र राधेश्याम गोयल निवासी 303, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुरोधित जाति/जन जाति का सदस्य है	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का व्योरा (घ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल	गांव खाड़ा कुण्डाल ग्राम पंचायत अजबगढ तहसील थानागाजी आराजी ख0न0 75 रकबा 0.30है0, 77 रकबा 0.30है0, 78 रकबा 0.18है0, 79 रकबा 0.35है0, 80 रकबा 0.48है0, 81 रकबा 0.56है0, 82 रकबा 0.29है0, 83 रकबा 0.39है0, 84 रकबा 0.27है0, 85 रकबा 0.26है0, 87 रकबा 0.25है0, 88 रकबा 0.32है0, 89 रकबा 0.47है0, 91 रकबा 0.43है0, 143 रकबा 0.36है0, 145 रकबा 0.21है0, 149 रकबा 0.10है0, 150 रकबा 0.68है0, 151 रकबा 0.85है0, 152 रकबा 0.33है0, 153 रकबा 0.31है0, 155 रकबा 0.76है0, 157 रकबा 0.76है0, 210/159 रकबा 0.72है0 कित्त 24 रकबा 9.91हेक्टर
(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर का संपरिवर्तित क्षेत्रफल	आराजी ख0न0 75 रकबा 0.30है0, 77 रकबा 0.30है0, 78 रकबा 0.18है0, 79 रकबा 0.35है0, 80 रकबा 0.48है0, 81 रकबा 0.56है0, 82 रकबा 0.29है0, 83 रकबा 0.39है0, 84 रकबा 0.27है0, 85 रकबा 0.26है0, 87 रकबा 0.25है0, 88 रकबा 0.32है0, 89 रकबा 0.47है0, 91 रकबा 0.43है0, 143 रकबा 0.36है0, 145 रकबा 0.21है0, 149 रकबा 0.10है0, 150 रकबा 0.68है0, 151 रकबा 0.85है0, 152 रकबा 0.33है0, 153 रकबा 0.31है0, 155 रकबा 0.76है0, 157 रकबा 0.76है0, 210/158 रकबा 0.72है0 कित्त 24 रकबा 9.91हेक्टर (99100वर्गमीटर)
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	पर्यटन ईकाई (रिसोर्ट)
5. संदेय प्रीमियम की दर	निःशुल्क
6. संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने की बालान की संख्या व दिनांक	राजस्थान पर्यटन नीति 2015 के नियम 4 के अनुसार संपरिवर्तन शुल्क देय नहीं है। संयुक्त निदेशक, पर्यटन दिनांक जयपुर के प्रभाग पत्र संख्या-पर्यटन/2017-18/ 100324 दिनांक 30.5.2018 के अनुसार यह प्रोजेक्ट अनुमोदित ईकाई है।
7. बालान की संख्या व दिनांक शरित	सांगू नहीं

Contact: 0144-2337565(O), 2336101 (F) E-mail: dm-akw-ri@nic.in

रविवर अलवर-स्वस्थ अलवर

[In Case of any discrepancy, please contact the office]



8. भालान की रखवा म दिनांक क्याज	लगा नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण को लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया।	लगा नहीं
10. अन्य विशिष्टिगों की कोई हो	नहीं
11. उपयुक्त अक्षुषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-	
1. उपयुक्त अक्षुषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	
2. यह है कि प्राथी को खसरा आराजी से पैड हटाने की स्वीकृति विधिवत प्राप्त करनी होगी, इसकी पालना नहीं करने पर प्राथी से नियमानुसार शासित वसूलनीय होगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।	
3. यह है कि प्राथी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 200कमराय तक की पर्यटन ईकाई का तीन वर्ष एवं 200से अधिक कमराय वाली पर्यटन ईकाई का चार वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करेगा, निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने पर अनुज्ञा प्रत्याहृत मानी जायेगी एवं प्राथी से नियमानुसार देय प्रीमियम/शासित वसूलनीय होगी।	
4. यह है कि प्राथी को प्रस्तावित भूमि के लिए मार्गाधिकार हेतु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर रखने हेतु सड़क मध्य से 9.0मीटर के अन्दर आने वाली भूमि छोड़नी होगी एवं अउपट्टी लाईन 12.50मीटर होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य जिसमें बाउण्ड्रीवाल भी शामिल है नहीं किया जायेगा।	
5. यह है कि प्राथी को एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायेगी एवं रिपोर्ट हेतु सामने का सेटबैक 3मीटर एवं शेष तीनों तरफ 9-9-9 मीटर न्यूनतम सेटबैक रखने होंगे एवं अन्य मापदण्ड भवन विनियमों के अनुसार रखे जायेगें।	
6. यह है कि प्राथी को खसरा भूमि एवं इसके आस पास स्थित भूमि से गुजरने वाली दरवासी नाले में आने वाले प्राकृतिक जल बहाव को अतिक्रमण/निर्माण/प्रदूषण आदि से मुक्त रखा जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड, राजधानी दिल्ली द्वारा जारी फकेशनल प्लान ऑन डूनज कोर एनसीआर-जून 2016 में दर्शित प्रावधानों के अनुसार नाले के दोनों ओर 12-12 मीटर की चौड़ाई तक क्षेत्र खुला रखा जायेगा, जिसे प्लान्टेशन/ग्रीनरी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा; परन्तु किसी भी प्रकार का निर्माण जो जल बहाव, नाले में जाने वाले प्राकृतिक जल प्रवाह को प्रभावित करता है नहीं किया जायेगा।	
7. यह है कि प्राथी द्वारा भवन मानचित्र सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर तदानुसार निर्माण किया जायेगा।	
8. यह है कि प्राथी ने प्रस्तावित आराजी के मध्य स्थित ख0न0 76 के संपरिवर्तन हेतु आवेदन नहीं किया है। जिसकी किरम 10000 यह है। इसे सुरक्षित रखना होगा।	
9. यह है कि प्राथी ने खसरा नम्बर 66 को छोड़ते हुए संपरिवर्तन चाहा है इस खसरा नम्बर को सुरक्षित रखा जायेगा।	
10. यह है कि प्रस्तावित आराजी कीसा-प्रदानगड मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पानीय सड़क पर स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बांड में राजमार्ग प्रस्तावित है। इसका मार्गाधिकार 60मीटर-है, इसके लिए सड़क मध्य से 30मीटर भूमि सड़क विस्तार हेतु छोड़ने के बाद 60मीटर तीन बचर रखा जाना होगा। तीन बचर में निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा, इसमें राधन प्धारोपण किया जा सकेगा।	
11. यह है कि प्राथीया को जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं खसरा अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि के सभी संबंधित प्रावधानों की पालना की जायेगी।	
12. यह है कि प्रदानगत आराजी पर किए जाने वाले निर्माण, स्थापित की जाने वाली गतिविधियां से पर्यावरण यथा सतही जल भू गनीय जल दूषित नहीं हो। इस हेतु जोस कवरा निस्सारण रेड बाटर ट्रीटमेंट, सिविल ट्रीटमेंट आदि वैज्ञानिक तरीके से नियमानुसार प्रावधान रखने होंगे और यदि पर्यावरणीय नियमों के तहत कोई विस्तृत कार्ययोजना बनाई जानी अपेक्षित है तो प्राथी द्वारा बनाई जायेगी।	
13. यह है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अजयगड बांध परियोजना सारिकता द्वारा प्रदान असावरी में	

वर्धित शर्त के अनुसार भूमि वन भूमि नहीं है। सीटीएच/वनसीमा से 200मीटर दूर स्थित है। प्रार्थी को वन व पर्यावरण विभाग से जारी निर्देशों की पालना एवं इस सम्बन्ध में जारी विभागीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

14. यह है कि प्रार्थी को राजस्थान नू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत प्रभावित नियमों के अन्तर्गत सन्ध-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
15. यह है कि उक्त संपरिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं वन तथा पर्यावरण संरक्षक के सम्बन्ध में भविष्य में जारी निर्देशों के अध्ययन होगी। प्रार्थी द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमों एवं जल संरक्षण हेतु प्रचलित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
16. यह है कि प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट सं० 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार में दिनांक 29.05.2012 को पारित आदेशों एवं भविष्य में माननीय न्यायालयों द्वारा जारी किसी आदेश के प्रभाव की पालना सुनिश्चित की जायेगी। प्राकृतिक जल बहाव/भराव क्षेत्र को अवरुध नहीं किया जावेगा।
17. यह है कि इस आदेश के सर्दर्भ में भविष्य में किसी ऑडिट पेरा, राजकीय बकाया एवं अन्य विधिक आदेश की पालना के लिए प्रार्थीया बाध्य होगी।
18. उपरोक्त शर्तों की अवहेलना किये जाने पर आदेश प्रभावहीन माने जावेंगे एवं प्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान नू. राजस्व अधिनियम एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा. सकेगी।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर, अलवर

दिनांक 24 / 10 / 2018

क्रमांक राजस्व/नू.रू./2018/ 8818-29

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सम्भाषीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (विकास) पर्यटन विभाग जयपुर
3. मुख्य नगर नियोजक (एनओसीओआरओ), नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है :-

4. उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का अलवर।
5. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर, मुद्रांक अलवर।
6. उप खण्ड अधिकारी धानागाजी
7. उप नगर नियोजक, अलवर।
8. अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम अलवर
9. प्रभासी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्टर अलवर।
10. तहसीलदार धानागाजी राजस्व रेकार्ड में अमल कराने हेतु
11. सरपंच, ग्राम पंचायत अजयगढ़ सं० १० धानागाजी जिला अलवर।
12. श्री मुकुन्द शरण गोयल पुत्र राधेश्याम गोयल निवासी 303, नेमी सागर बंगलोनी, देशासीनगर जयपुर
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अलवर

Jajpur

कार्यालय जिला इंजिनियर, उत्तर ।
राज्य प्रकल्पः

क्रमांक : 5386 /राज/१५

दिनांक 14-7-94

आदेश

यथा ग्राम अजयचंद्र तहसील बानागाजी जिला उत्तर के आराजी
खतरा नम्बर 679 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा बाराणी दीयम फंड खतरा
नम्बर 688 रकबा 10 बीघा बाराणी दीयम कुल जिला 2 रकबा 25 बीघा
04 बिस्वा भूमि विधार्थ विधान के नाम से कारिय कर अर्द्ध हेरिटेज
रिपोर्ट, नई दिल्ली की पर्यटन रिपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए
राज्य नू-राज्य [विभा, होटल व शैलीय चरण हेतु भूमि का आकटन,
सम्पत्ति और विभासिकरण] नियम, 1978 के अनुच्छेद 20 की उपधि
के तहत तीस पर आकटन की राज्य सरकार राजस्व नू-3 विधान
राज्यान ज्यपुर के आदेश सं: प2/477/राज/नू-3/93 दिनांक 28.6.94
द्वारा कर्त स्वीकृति प्रदान की गई है ।

राज्य सरकार के उक्त आदेशों के अनुसार मैं नैसर्ग हेरिटेज
रिपोर्ट नई दिल्ली की पर्यटन रिपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण हेतु नई
ग्राम अजयचंद्र के आराजी खतरा नम्बर 679 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा
व नम्बर 688 रकबा 10 बीघा विरम बाराणी दीयम कुल जिला 2 रकबा
25 बीघा 04 बिस्वा भूमि का आकटन कृषि से अकृषि (होटल के) परिचालन
कर 20 फीस की उपधि के तहत तीस पर निम्नलिखित अर्ध पर किया
जाता है :-

- 1] ग्राम नू भूमि की तहसील कार्यालय बानागाजी के प्राप्त बजार
दर के अनुसार 37,000 रुपये प्रति बीघा की दर से 9,32,400/-
रुपये की लागतगत उधार धार से रुपये मात्र कीमत भूमि
राज्य कोष में क्या करानी होगी ।
- 2] प्रस्तावित भूमि के चारों ओर निर्मित पार दीवारी के निर्माण
के लिये मैं तत्काल प्रतिपत्ता, तार्किक निर्माण विधान सार्जन-2,
बानागाजी के प्राप्त तहसील के अनुसार कीमत 3.98 लाख रुपये
कीमत/आकटन की राय कोष में क्या करानी होगी ।
- 3] अधिदित भूमि में उडे निर्माणाधीन प्लॉट की कीमत उनके तम्बू
अर्थात के की आकटन द्वारा राज्य कोष में क्या करनी

/ 2 /

1. जंगल 3 एकड़ पर 2000 रु प्रति एकड़ =	6000 रुपये
2. बागुन 21 एकड़ पर 1000 रु प्रति एकड़ =	21000 रुपये
3. कपूर 240 एकड़ पर 100 रु प्रति एकड़ =	24000 रुपये
4. लोहा 35 एकड़ पर 100 रु प्रति एकड़ =	3500 रुपये
5. मूंग 10 एकड़ पर 200 रु प्रति एकड़ =	2000 रुपये
6. टाण [डीना] 20 एकड़ पर 100 रु प्रति एकड़ =	2000 रुपये
7. अन्य भू 10 पर 100 रु प्रति एकड़ =	1000 रुपये
	<u>41500 रुपये</u>

उक्त भूमि की कीमत ₹ 41,500 रुपये प्रमाणित राज्य लेख में आकटो द्वारा क्या कराई जायेगी ?

- [4] भूमि का आकटन रिपोर्ट नियम के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर है। आकटो अर्थात् 1 से 3 तथा तीसरे के की राशि बकाया के उपरान्त उक्त नियमों में दिए गए प्रथम न से सीमांकित किया गया होगा।
- [5] नियम कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आकटो नियम 9 [ग] [2] [1] के अनुसार अपनी परिधीयता और के-आउट प्लान बना आधीयता विभाग कपूर से अनुमोदित करा कर अनुमोदित 2 प्रतिशत तक कार्यालय की प्रस्तुत होगा।
- [6] लीज रेंट राज्य गुरुवार [दिनांक] होटल व रेस्टोरेंट बम्बई से भूमि अधिग्रहण अधिनियम व नियमितकरण नियम 1978 के नियम 9 [ग] [3] के तहत निर्धारित किया जाएगा। आकटो उक्त लीज रेंट का भुगतान करने का आकटो रिपोर्ट प्रस्तुत होगा।
- [7] प्रथम भूमि की रिपोर्ट के उपरोक्त में ही किया जायेगा यदि कितनी समय राज्य सरकार द्वारा बाबा कि अधिग्रहित भूमि रिपोर्ट के प्रथम में प्रस्तुत नहीं है तो उक्त निर्माण तालिका का मुआवजा दिए भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
- [8] यदि नियमों में विहित प्रावधानों के विरुद्ध भूमि का वस्तुस्थिति किया गया है तो भूमि राज्य सरकार द्वारा क्या की जा सकेगी
- [9] नियमों अथवा आकटन अर्थात् 3 अवधि की तिथि में 12 महीनों

क्रमांक १५/१५/५३२७-१६७५

दिनांक १५-२-८५

प्रतिनिधि :-

१. शासन उप सचिव, राजस्व शुल्क-५, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके वादों में सूत्र/५७७/राज/शु-५/७५ दिनांक २०-६-७५ के तत्पर्य में सुलार्थ प्रेषित है।
 २. शासन उप सचिव, सर्वजन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
 ३. शासन उप सचिव, निर्वाह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 ४. उपसंचालक अधिकारी, जयपुर।
 ५. तत्परीक्षार्थ सामानाधीन राजस्थान अधिनियम में सुन कराया गया है।
 ६. शासन उप सचिव, नगर बायोक्ला विभाग, जयपुर - मेवाड़ ज्ञान अनुसंधान की कार्यवाही शीघ्र करावे।
७. मैक्स इस्टीमेट रिपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली को मेवाड़ ज्ञान है कि वादों में वर्णित राजा राज्य कोष में जमा करा कर वादान की प्रति शीघ्र प्रस्तुत करें। नगर बायोक्ला विभाग जयपुर से मेवाड़ ज्ञान अनुसंधान कराकर ३ प्रतियां प्रस्तुत करावे।
८. अध्यायी अभियन्ता, निर्वाह विभाग, जयपुर।
 ९. प्रभारी अधिकारी राजस्थान अभियांन कक्ष/ सामान्य का, मेवाड़ ज्ञान
 १०. रक्षित प्रतिकापी।

जिना कान्हा, जयपुर

112 (2)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षण एवं गृह्य वन्य जीव प्रतियोगिता, राज. नय पुर

क्रमांक: एफ/विचि/गुज/94-95/3070

दिनांक: 7/4/95

विषय

जिला खेवाड़,
क्षेत्रीय प्रकोष्ठ,
अजमेर।

विषय:- ग्राम अजमेर गट संख्या 679 व 600 के संबंध में
अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव।

क्रम:- अजमेर गट संख्या 679/24 दिनांक 29-2-95


महोदय,

आपके प्राथमिक पत्र के संबंध में हेतु है कि ग्राम अजमेर गट
संख्या 679 व 600 को डेस्टिन्ड रिजर्वेशन का दिक्की को प्रस्तावित
पंचायत रिजर्वेशन पत्राने हेतु विद्ये जाने / अर्जेशन विद्ये जाने में इस कार्यालय
को कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य,
मुख्य वन संरक्षण एवं
गृह्य वन्य जीव प्रतियोगिता,
राज. नय पुर।

676

93



112 (2)



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)

क्रमांक:- अतिक्रमण/आवंटन/2025/1732

दिनांक:- 15/09/2025

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

अलवर (राज0)

AEB(P)

विषय:- Request for last survey report of hotels operating near sariska tiger

reserve-In referesce to Hon'ble NGT order in O.A No. 35/2025 (CZ)

Devida Khatri Vs Unio of India & ors.

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 766- 768 दिनांक 19.08.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा उपखण्ड अलवर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के आस-पास संचालित होटलों, रिसार्ट्स, गेस्ट हाउसों या इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों से संबंधित नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट/रिकार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र पीठ, भोपाल ने ओ0ए0 संख्या 35/2025 (सीजेड) देवीदास खत्री बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 26.03.2025 के आदेश द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में जाँच कर नवीनतम विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया गया।

उक्त क्रम में तहसीलदार अलवर द्वारा संयुक्त टीम द्वारा सर्वे के 14 प्रकरण चिन्हित कर कार्यालय में प्रेषित किये है।

अतः तहसीलदार अलवर से प्राप्त सूची संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि।

(माधव भारद्वाज)

IAS

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

Signature valid

Digitally signed by Madhav

Bharadwaj

Designation: Sub Divisional Officer

Date: 2025.09.19:11:43 IST

Reason: Approved



कार्यालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर

क्रमांक :- राजस्व / 2025/ 3930

दिनांक :- 11/9/25

(परिचाद/ अन्य की रिपोर्ट भिजवाये जाने का पत्र)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अलवर
जिला अलवर

विषय - Request for last survey report of hotels operating near sariska tiger reserve-in reference to Hon'ble NGT order in O.A. No. 35/2025 (CZ) Devida Khatri Vs Union of India & ors.

प्रकरण बाबत अनन्तर्गत सरिस्का बाघ अभयारण्य के आस पास संचालित होटलों, रिसार्ट्स, गेस्ट हाउसों या इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों से संबंधित नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट/ रिकॉर्ड

प्रसंग - श्रीमान के पत्रांक अतिक्रमण/ 2025/ 1585-86 दिनांक 09 सितम्बर 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान के प्रासंगिक पत्रांक से प्रकरण क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर ने श्रीमान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सरिस्का बाघ अभयारण्य के आस-पास संचालित होटलों, रिसार्ट्स, गेस्ट हाउसों या इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों से संबंधित नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट/ रिकॉर्ड उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में।

प्रकरण के संबंध में संयुक्त टीम के अनुसार प्रकरण की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निम्न प्रकार पेश है—

(1) उक्त के संबंध में निवेदन है कि निर्देशानुसार सर्वे करवाया गया है। उक्त सर्वे के 14 प्रकरण चिन्हित किये गये हैं। जिनकी सूची मय सर्वे रिपोर्ट संलग्न कर सादर पेश है।

रिपोर्ट श्रीमान को सादर पेश है। सादर।

संलग्न - वर्णित अनुसार

तहसीलदार अलवर
जिला अलवर

श्रीमान् जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक दिनांक एवं पत्रांक दिनांक एवं
 तहसीलदार अलवर का पत्र क्रमांक दिनांक बाघ परियोजना सरिस्का के घोषित राजस्व बफर क्षेत्र (सिलीसेड क्षेत्र) के
 अंदर स्थित/संचालित होटल/रिसोर्ट/व्यवसायिक परिसरों को वन विभाग/राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुसार मौके पर
 निरीक्षण कर सूचीबद्ध किया गया है जो निम्न सारणी के क्रम संख्या 01 से लगातार क्रम संख्या तक अंकित है।

रेंज अलवर बफर बाघ परियोजना सरिस्का

अवधि दिनांक से तक

क्र.सं.	ग्राम का नाम	नाम होटल/रिसोर्ट/ प्रोजेक्ट/ फार्म हाउस (औद्योगिक/वाणि. परिसर)	मालिक एवं प्रबंधक का नाम एवं 'पूरा' पता	मौके पर निर्माण की स्थिति	जीपीएस कार्डिनेट्स मय फोटोग्राफ सहित	सम्परिवर्तन है या नहीं? यदि हां तो विवरण	राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति से पूर्वानुमति ली गई है या नहीं?	राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की स्थायी समिति से पूर्वानुमति आवश्यकता है या नहीं?	नियमों के उल्लंघन एवं अपेक्षित कार्यवाही का विवरण	जांच दल का अभिमत	वि.वि.
1.	पैतपुर	नमन बाग (फतेहगढ़ फार्म)	श्री नमन खण्डेलवाल प्रबंधक विष्णु चौधरी ग्राम बुरावई पो. रासह जिला भरतपुर मालिक-बलराज प्रधान देहली मो. 8560030804	3 कॉटेज, 9 कमरे, 1 स्वीमिंग पुल, 1 किचन, गार्डन, वाहन पार्किंग, 1.29 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,13.63 N 76,32,17.62E	नहीं	नहीं				सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 699, 700, 653, 698
2.	पैतपुर	नटनी हॅरिटेज रिसोर्ट	डायरेक्टर पूजा जैन अलवर	निर्माणार्थ 4 कॉटेज, तीन बर्ड बिल्डिंग, 1.48 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,13.0 N 76,32,06.0 E	नहीं	नहीं				सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 753, 754
3.	पैतपुर	दि जंगल लेप	मालिक-मोहनलाल धावड धूमा तहसील टोडाराम जिला टीक प्रबंधक -सौरभ उमाध्याय दिल्ली मो. 9818391208	3 पक्के कमरे, स्टाॅफ के 2 कमरे, 2 कॉटेज, 5 टेन्ट, 1 किचन, 1 गार्डन, 0.55 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,31,20.5 N 76,31,26.3 E	नहीं	नहीं				सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 97,98,99 सेटलमेंट से सर्वे की अभिशंषा

तहसीलदार
अलवर

75

4.	पैतपुर	रतन विलास सरिस्का रिसोर्ट वी सेवाम हॉलीडेज एण्ड रिसोर्ट्स	मालिक-सवाई सिंह निवासी खातीपुरा, जयपुर प्रबंधक-सोनू बुवा कोठी रुड़की उस्तासखण्ड मो. 7500008062	39 पक्के कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेस्टोरेन्ट, 8 स्टाफ रूम, 1 किचन, लॉन, 1.80 हेक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण -8 टेन्ट रूम पुराने वाले में नये बनाए और खसरा नं. 73/962 में 5 रूम टीन शेड, 1 हॉल टीन शेड, 4 लैट बाथ, 1 चबूतरा, 1 डबल मंजिल विला (4 रूम नय लैट बाथ)	27.31, 24 N 76.31, 21.5 E	यूआरटी अलवर से भूमि संपर्किंग होटल रिसोर्ट में कन्टैक्ट	नहीं			सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 73, 73/962, 74, 75 उक्ता परिसर सीटीएच से बिल्कुल लगता हुआ/ अंदर प्रतीत होता है मीके पर परिसर के पास पहाड़ी क्षेत्र है। अतः संयुक्त टीम द्वारा सैटलमेन्ट से सर्वे की अभिशंखा
5.	पैतपुर	मेधावन रिसोर्ट	मालिक-रणजीत कौर निवासी पैतपुर प्रबंधक-मुकेश गुर्जर निवासी किशनपुर मो. 6377405734	7 कमरे पक्के, 1 रेस्टोरेन्ट, 2 किचन, 0.30 हेक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण- 1 टीन शेड	27.31, 26.54 N 76.31, 24.80 E	नहीं	नहीं			सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 59, 90 में सैटलमेन्ट से सर्वे की अभिशंखा
6.	किशनपुर	देशीठाठ रिसोर्ट	डायरेक्टर-सीमा रानी व संदीप खण्डेलवाल अलवर प्रबंधक-सुरेन्द्र सैनी, अलवर मो. 8852048579	42 पक्के कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, 1 किचन, गार्डन, कुआ, वाहन पार्किंग, वेंटिंग ररिया 1.40 हे० चार दीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण- खसरा नं. 877/1084 882, 887, 905/1093 905/1106, 881, 905 में लगभग दो बीघा जमीन में ग्रेवल रोड,	27.31, 51 N 76.31, 24 E	नहीं	नहीं			सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 900, 901, 902, 903, 904, 885, 882, 905/1093, 914, 887, 886

तहसीलदार
तहसील-अलवर

७५

			टीन शड, कटेज और कुपे के चारों ओर बाउण्ड्री, एक लॉन का नया निर्माण किया गया। पुराने निर्माण में 10 नए कमरे, एक स्पा सेंटर 4 मंजिला निर्मित किया गया है।						
7.	किशनपुर	राम बेहारी पैलेस होटल	मालिक-रामनरेश मांछी मानसूर, अलवर प्रबंधक-नीरज जैन मो 8000344848	17 पक्के कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेस्टोरेन्ट किचन, वेटिंग हॉल, ऑफिस रूम, दो गार्डन, 1.32 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,31,48.6 N 76,31,11.6 E	(सरपंच का अनापत्ति प्रमाण पत्र, टूरिज्म की एन.ओ.सी.)	नहीं		सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 874 गैर नुमकिन आबादी ग्राम पंचायत बख्तपुरा
8.	पैतपुर	बाबा होटल	मालिक-मदन लाल यादव निवासी सीलीसेड, प्रबंधक-मुकेश यादव निवासी सीलीसेड मो. 9983721607	8 पक्के कमरे, 1 पक्का हॉल, 1 गार्डन, 0.11 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,50.43 N 76,31,58.57 E	नहीं	नहीं	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 410/965 महकमा मकबूजे बागात विभाग	
9.	पैतपुर	सासू की ढाणी	मालिक-नरेन्द्र सिंह अखैपुरा, अलवर मो. 9460106506	10 पक्के कमरे, 1 पक्का हॉल, 0.025 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,51.6 N 76,31,58.7 E	नहीं	नहीं	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 350	
10.	पैतपुर	गुप्ता झील रेस्टोरेन्ट	मालिक-महेश चन्द गुप्ता निवासी सीलीसेड पैतपुर, अलवर मो 9468817653	8 पक्के कमरे, 1 किचन, 1 हॉल, 0.015 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,52.1 N 76,31,59.7 E	नहीं	नहीं	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 350	
11	पैतपुर	आर.टी.डी.सी. होटल लेक पैलेस सीलीसेड	मालिक नाम मुताबिक जमाबंदी मकबूजे इंजीनियरिंग विभाग, राज 0 सरकार, प्रबंधक-कैसर सिंह निवासी सिकरय रोड जपुर मो. 9414418957	10 कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 बार, 1 स्टॉफ रूम, 1 किचन, रकबा 0.12 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	27,31,20.7 N 76,31,51.1 E	हैरिटेज प्रॉपर्टी	-	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 358	

T2V
तहसीलदार
तहसील-अलवर

88

12	पतपुर	न.सकमल ओतन रेस्टोरेन्ट	मालिक-छगन लाल निवासी बख्तपुरा, अलवर मो 9460057099	4 घबके कमरे, 2 टीनशेड, 1 टीनशेड, किचन रकबा 0.0625 हे० वर्तमान स्थिति यथावत	27,30,53.02 N 76,31,36.17 E	नहीं	नहीं	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 163
13	पतपुर	राजस्थानी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट	मालिक-ननगो देवी निवासी डोबा, अलवर प्रबंधक-सुनील निवासी डोबा, अलवर मो 8955835240	5 कमरे, 1 हॉल, 1 किचन, 1 रिसेप्शन रूम, 1 लॉन रकबा 0.0425 हैक्टेयर वर्तमान स्थिति यथावत	27,31,52.6 N 76,31,36.9 E	नहीं	नहीं	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 163,165 खसरा नं. 165 महकमा जंगलात विभाग संयुक्त टीम द्वारा सैटलमेंट से सर्वे की अभिशंखा
14	बख्तपुरा	ताज ग्रुप	डायरेक्टर-प्रदीप देशवाल पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट बगैरा निवासीदूलहेडा जिला झज्जर, हरियाणा	उक्त खसरा नं. में चारदीवारी की हुई है। वर्तमान में मांके पर रिसोर्टनुमा बना हुआ है। वर्तमान स्थिति के अनुसार नया निर्माण- रिसोर्ट का निर्माण पहले ही हो चुका है और 120 कमरे, स्पा, लॉबी ब्लॉक, बैंक्वेट निर्माण हाल में नींव के साथ प्रक्रिया में है। इस खसरा नं. में चार दीवारी व आंतरिक सड़के पहले ही बन चुकी है।	27,32,40.38 N 76,29,58.81 E	रिसोर्ट पर्यटन इकाई में उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी अनुसार भूमि सम्परिवर्तन है।	-	सीटीएच में 1 कि.मी. की परिधि में जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 298,299,300,301, 307 से 314, 316,317,318, 321 से 327

तहसीलदार
तहसील-अलवर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

कमांक/राजस्व/2024/1542
श्रीमान जिला कलक्टर महोदया
अलवर।

दिनांक:- 22/11/2024

विषय:-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मध्य जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. नंबर 103/2024 राजेन्द्र तिवाडी बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.05.2024 की पालना के संबंध में।

प्रसंग:-श्रीमान का पत्र क्रमांक प.12-1() (ओ.ए.नं. 103/ 2024) (वन)राजस्व/2024/3683 दिनांक 22.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/952 दिनांक 12.07.2024 से अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक अलवर के प्रतिनिधि, तहसीलदार मालाखेडा, खनि0 अभियन्ता विभाग अलवर के प्रतिनिधि, सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 मालाखेडा, ग्राम पंचायत माधोगढ के प्रतिनिधि के साथ टीम का गठन किया गया था। उक्त गठित टीम द्वारा सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन, नवीन निर्माण कार्यों का चिन्हितकरण कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त सर्वे रिपोर्ट को इस कार्यालय का पत्रांक राजस्व/2024/1067 दिनांक 22.08.2024 व 1419-20 दिनांक 14.09.2024 से चिन्हित प्रकरणों में तहसीलदार मालाखेडा व क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिस्का/अकबरपुर को नियमानुसार अतिक्रमणों को हटवाने हेतु लिखा गया एवं मौखिक रूप से भी निर्देशित किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मालाखेडा से प्रासांगिक पत्र की पालना में रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेडा के माननीय एनजीटी, मध्य जोन बेंच भोपाल की ऑरिजनल एम्पलीकेशन संख्या 103/2024 (सीजेड) राजेन्द्र तिवाडी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 से सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 कि0मी0 की सीमा के भीतर स्थित होटल एवं कानूनी गतिविधियों के संबंध में माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिला अलवर के संबंध में



Signature valid

Digitally signed by Navjyoti

Designation: Sub Divisional Officer

Date: 2024.11.22 18:06:49 IST

Reason: Approved

निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में चिन्हित निजी खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि कार्य हेतु उपरोक्त में ले रहे खातेदारान के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.12.2024 नियत है तथा कुछ चिन्हित राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमानुसार सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर बेदखली के आदेश किये गये है। परन्तु उक्त अतिक्रमण पक्के होने के कारण बेदखल की कार्यवाही पुलिस जाप्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण जाना संभव नहीं हुआ है। एवं कुछ प्रकरणों में माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा का स्थगन आदेश प्रभावी है तथा कुछ चिन्हित अतिक्रमण PWD विभाग, आबादी क्षेत्र होने के कारण ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। चिन्हित अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से तैयार कर श्रीमान जी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

Signature valid

Digitally signed by Navjyoti
Kanwaria
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.11.22 18:06:49 IST
Reason: Approved

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

क्रमांक/राजस्व/2024/ 952

दिनांक:- 12/7/2024

-: संशोधित आदेश:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर द्वारा आदेश क्रमांक:राजस्व/2022/7017 दिनांक 08.09.2022 की पालना में सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन,नवीन निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में 07 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का के पत्रांक एफ()सर्वे/बापस/2024-25/4692-4709 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा कमेटी के नाम निर्देशन कर निर्धारित प्रारूप में सर्वे की तिथि निर्धारित करने हेतु लिखा है। अतः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश क्रमांक राजस्व/2022/7017 दिनांक 08.09.2022 व राजस्व/2022/7649 दिनांक 04.10.2022 की अनुपालना में निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
01	क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर एवं सरिस्का	सदस्य सचिव
02	पुलिस उप अधीक्षक अलवर ग्रामीण के प्रतिनिधि थानाधिकारी मालाखेड़ा/थानाधिकारी अकबरपुर	सदस्य
03	तहसीलदार मालाखेड़ा	सदस्य
04	खनि0 अभियन्ता खनन विभाग अलवर के प्रतिनिधि फोरमेन मालाखेड़ा क्षेत्र	सदस्य
05	सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0मालाखेड़ा	सदस्य
06	प्रतिनिधि ग्राम पंचायत माधोगढ़ एवं बालेटा	सदस्य

उक्त कमेटी के सदस्य सचिव क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर से समन्वय से सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नवीन निर्माण कार्यों का सर्वे/विडियोग्राफी कर रिपोर्ट 15.07.2024 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

कमेटी के सभी सदस्य आदेश प्रभावी होने से निरन्तर कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

01.यदि कोई सदस्य सर्वे कार्य के दौरान अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

02.सर्वे कार्य के दौरान अनुपस्थित रहने की सूचना 01 दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

Signature valid

RajKaj Ref
8902193

Digitally signed by Dev Singh
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.07.12 12:13:55 IST
Reason: Approver



Email ID -sdm.malakhera@gmail.com

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

कमांक/राजस्व/2024/ 1067

दिनांक:- 22/08/2024

प्रेषित:-

01. तहसीलदार मालाखेड़ा।
02. क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर/सरिस्का।

विषय:-सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 1 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण कर नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने बाबत।

संदर्भ:-श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर का पत्रांक राजस्व/2022/1990 दिनांक 02.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/916 दिनांक 3.7.2024 व 952 दिनांक 12.07.2024 से सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन, नवीन निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम के द्वारा किये गये चिन्हित अतिक्रमणों को मौके से हटवाया जाना है।

चिन्हित अतिक्रमणों की सूची आपको संलग्न कर लेख है कि उक्त अतिक्रमणों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमानुसार हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसे प्राथमिकता से लेवे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

कमांक/राजस्व/2024/ 1068 - 1069

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
02. श्रीमान उप वन संरक्षक सरिस्का।

उपखण्ड अधिकारी

मालाखेड़ा

दिनांक:- 22/08/2024

उपखण्ड अधिकारी

मालाखेड़ा

Signature valid

Digitally signed by Dev Singh
Designation: Sub Divisional Officer
Date: 2024.08.22 12:38:58 IST
Reason: Approver





Email ID -sdm.malakhera@gmail.com

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

कमांक/राजस्व/2024/1419-20

दिनांक:-14.09.2024

प्रेषित:-

01. तहसीलदार मालाखेड़ा।
02. क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर/सरिस्का।

विषय:-सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 1 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन एवं नये निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण कर नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक राजस्व/2024/1067 दिनांक 22.08.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 किमी की परिधि में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन, नवीन निर्माण कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चिन्हिकरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम के द्वारा किये गये चिन्हित अतिक्रमणों को मौके से हटवाये जाने हेतु आपको संदर्भित पत्र से निर्देशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक भी अतिक्रमण हटवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अति आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप चिन्हित अतिक्रमणों को आपसी समन्वय स्थापित कर नियमानुसार हटवाया जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में इस कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। इसे प्राथमिकता से लें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी

मालाखेड़ा

दिनांक:- 14.09.2024

कमांक/राजस्व/2024/1421-22

तिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. श्रीमान उप वन संरक्षक सरिस्का।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Sub Divisional Officer
Date: 2024.09.14 14:12:17 IST
Reason: Approved



कार्यालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

क्रमांक/राजस्व/24/1371

दिनांक-22/11/24

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

विषय:-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मध्य जोन बेंच, भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. नंबर 103/2024 राजेन्द्र तिवाडी बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.05.2024 की पालना के संबंध में।

प्रसंग:-श्रीमान का पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1540 दिनांक 22.11.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय एनजीटी, मध्य जोन बेंच भोपाल की ऑरिजनल एम्पलीकेशन संख्या 103/2024 (सीजेड) राजेन्द्र तिवाडी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 से सरिस्का टाईगर रिजर्व के सीटीएच/वन सीमा से 01 कि०मी० की सीमा के भीतर स्थित होटल एवं गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे। जिस संबंध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय मालाखेडा की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। उक्त टीम द्वारा किये गये चिन्हित अतिक्रमण को मौके से हटाये जाने के निर्देश श्रीमान द्वारा प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में चिन्हित अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 90-ए के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.12.2024 नियत है तथा कुछ चिन्हित अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमानुसार सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर बेदखल के आदेश किये गये। परन्तु उक्त अतिक्रमण पक्का होने के कारण बेदखल की कार्यवाही पुलिस जाप्ता उपलब्ध होने पर किया जाना संभव है तथा कुछ प्रकरणों में माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा का स्थगन आदेश है। कुछ चिन्हित अतिक्रमण PWD विभाग, आबादी क्षेत्र होने के कारण ग्राम पंचायत एवं वन विभाग से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। चिन्हित अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से तैयार कर श्रीमान जी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसील मालाखेडा

क्षेत्रीय वन अधिकारी सरिरका

सरिरका वन्यजीव अभयारण के अन्दर स्थित/संघानित औद्योगिक/वाणिज्यिक/ध्वस्तसायिक गातिविधियों संबंधी परिसरों को सुवीकृत किये जाने हेतु सर्वे प्रपत्र (रिपोर्ट)							इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण							
क्र.सं.	ग्राम का नाम	नाम होटल/रिसोर्ट/फार्म/फार्म हाउस (औद्योगिक/वाणिज्यिक परिसर)	मालिक एवं प्रबंधन का नाम व पता	मीके पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्टीमिंग पूल)	भू-संपरिवर्तन/ अनुमति की स्थिति (हां/नहीं)	वि०वि०	प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अतिक्रमों का नाम मय पता	खसरा नम्बर मय रकबा	अतिक्रमिता रकबा	किस्म	अतिक्रमण का प्रकार	वि०वि०
1	कुशालगढ	फागणा-होटल	पालाराम पुत्र गोपाल गूर्जर कुशालगढ	6 पक्के कमरे व टीन सेट 210 वर्गफुट	नहीं	राजस्व भूमि	59/19	13.03.19	पाला पुत्र गोपाल जाति गूर्जर वर्गी	557/022	210वर्गफीट	घाही सोयम	ढाबा एवं दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
2	कुशालगढ	दायर पेन्कर दुकान	लालाराम पुत्र मंगलराम कुम्हार इन्दोक	खोखा टीन सेट दायर पेन्कर दुकान	नहीं	राजस्व भूमि	59/19	13.03.19	पाला पुत्र गोपाल जाति गूर्जर वर्गी	557/022	210वर्गफीट	घाही सोयम	ढाबा एवं दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
3	कुशालगढ	फागणा-होटल	नेतराम पुत्र बद्रीप्रसाद गूर्जर निवासी कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट 1300 वर्गफुट	नहीं	राजस्व भूमि	64/19	13.03.19	नरसी पुत्र किशन गूर्जर निवासी कुशालगढ	455/1.05	140 वर्गमी०	घाही सोयम	दायर पेन्कर की पक्की दुकान एवं टीनशेड	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
4	कुशालगढ	सरपध-होटल	सूवालाल पुत्र मामराज गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट 264 वर्गफुट	नहीं	राजस्व भूमि	65/19	13.03.19	सज्जन लाल पुत्र मनोहर प्रजापत. निवासी कुशालगढ	481/0.63, 482/1.45	188वर्गमीटर	घाही सोयम	ढाबा एवं दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
5	कुशालगढ	श्री शवान होटल	बलवीर पुत्र रामप्रताप गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट 132 वर्गमी०	नहीं	राजस्व भूमि	66/19	13.03.19	बलवीर गूर्जर पुत्र रामप्रताप गूर्जर निवासी कुशालगढ	481/0.63	132वर्गमी०	घाही सोयम	ढाबा एवं दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
6	कुशालगढ	धोमी जनरल स्टोर पर व 3 माह से बंद	(मीके) गिरीज यांगी कुशालगढ इन्दोक	पक्की दिवार व टीन सेट 800 वर्गफुट	नहीं	राजस्व भूमि	67/19	13.03.19	योदान पुत्र श्रीराम गूर्जर निवासी कुशालगढ	482/1.45	930वर्गमी०	घाही सोयम	प्लॉट की नीध भर रक्की है	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
7	कुशालगढ	विक्रम जनरल स्टोर	विक्रम पुत्र श्री सज्जन लाल प्रजापत	पक्की दिवार व टीन सेट 40 वर्गफुट	नहीं	राजस्व भूमि	68/19	13.03.19	सुवालाल पुत्र मामराज गूर्जर निवासी कुशालगढ	482/1.45	264 वर्गमी०	घाही सोयम	ढाबा	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
8	कुशालगढ	फोजी होटल	रामचन्द्र पुत्र जगदीश गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट सोचालय पक्का	नहीं	राजस्व भूमि	69/19	13.03.19	हरिशम पुत्र गणेश गूर्जर, यादराम पुत्र हरलाल गूर्जर निवासी गूर्जरदारा तह० रामगढ	458/1.92	24 वर्गमी०	घाही सोयम	परसुनी की पक्की दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
9	कुशालगढ	दायमा होटल	रतिराम पुत्र छाजुराम गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट 189 वर्गमीटर	नहीं	राजस्व भूमि	70/19	13.03.19	बाबूलाल पुत्र सुल्तान गूर्जर निवासी कुशालगढ	455/1.05	154 वर्गमी०	घाही सोयम	नीध भरकर भरत किया हुआ है।	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
10	कुशालगढ	बाबाजी होटल	श्रवण पुत्र छाजुराम गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट 132 वर्गमी०	नहीं	राजस्व भूमि	72/19	13.03.19	सरवण पुत्र छाजुराम गूर्जर निवासी कुशालगढ	457/0.46, 458/1.92	132 वर्गमी०	घाही सोयम	ढाबा एवं दुकान	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
11	कुशालगढ	सेन्टी मिट्टान मण्डार	चिरजी लाल पुत्र छितर गूर्जर कुशालगढ	पक्की दिवार व टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	71/19	13.03.19	गोपाल पुत्र मूलायम गूर्जर निवासी कुशालगढ	455/1.05	55 वर्गमी०	घाही सोयम	दुकान एवं टीनशेड	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।

तहसीलदार
तहसील-मालाखंडा
जिला-अलवर (राज०)

106

10	कुशालगढ	कन्हैया स्वीस्ट कुशालगढ	सीताराम पुत्र कन्हैयालाल सेनी	दो मजिला दुकान पक्की व टोन सेट एवं 60X30वर्गफुट कारखाना	नहीं	राजस्व भूमि	80/19	13.03.19	प्रेम पति कन्हैयालाल माली वगैरे	582/0.83	800 वर्गफीट	घाही सोयम	पक्की दुकान	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
11	कुशालगढ	कन्हैया स्वीस्ट कुशालगढ	पुरुषोत्तम पुत्र कन्हैयालाल सेनी	एक दुकान	नहीं	राजस्व भूमि	61/19	13.03.19	पुरुषोत्तम पुत्र कन्हैयालाल ज्योति माली निवासी कुशालगढ वगैरे	582/0.83	1053वर्गफीट	घाही सोयम	पक्की दुकान	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
14	कुशालगढ	राकेश स्वीस्ट कुशालगढ	राकेश पुत्र शिबुराम सेनी	पक्की दुकान व टोन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	62/19	13.03.19	सीताराम पुत्र कन्हैयालाल ज्योति माली निवासी कुशालगढ वगैरे	585/0.20 587/0.20	258वर्गमी0	पै0मु0 मजान व पै0मु0 बाका	पक्की दुकान एवं गोदाल	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
15	कुशालगढ	सेनी स्वीस्ट कुशालगढ	रवि पुत्र शिबुराम सेनी	पक्की दुकान व टोन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	63/19	13.03.19	प्रेम पति कन्हैयालाल माली वगैरे	582/0.83	1500वर्गफीट	घाही सोयम	पक्की दुकान	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
16	कुशालगढ	सेनी स्वीस्ट कुशालगढ	बुगला पुत्र नानगा राम सेनी माथीगढ	पक्की दुकान (2) व टोन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	73/19	13.03.19	ममर्स खोडे देबीज एण्ड डीस्टीलरोज लि0	458/1.92	144वर्गमी0	घाही सोयम	घास एक दुकान	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
17	कुशालगढ	मोहन स्वीस्ट कुशालगढ	हरिकिशन पुत्र मोहनलाल शर्मा कुशालगढ	पक्की दुकान व टोन सेट	नहीं	वन विभाग								
18	कुशालगढ	मोहन स्वीस्ट कुशालगढ	रामवतार पुत्र मोहन लाल शर्मा कुशालगढ	पक्की दुकान व टोन सेट	नहीं	वन विभाग								
19	कुशालगढ	नुकसत स्वीस्ट कुशालगढ	रामेश्वरदयाल पुत्र भगवानसहाय गुजर कुशालगढ	पक्की दुकान (3) व टोन सेट	नहीं	वन विभाग								
20	कुशालगढ	रामकुमार गुजर स्वीस्ट कुशालगढ	रामकुमार पुत्र पाहुराम गुजर कुशालगढ	पक्की दुकान (2) व टोन सेट	नहीं	वन विभाग								
21	कुशालगढ	एटिल शेटक रस्तावन्त कुशालगढ	हरिराम पुत्र रामेश गुजर कुशालगढ	पक्की दुकान व टोन सेट व शौचालय	नहीं	राजस्व भूमि	32/24	12-08-2024	रामादेवी पति लहराम वगैरे	292/0.44	0.01रे0	घाही सोयम	पक्की दुकान टोन सेट व शौचालय	घास 90-1 के लिये कारखाना विभागाधीन है।
22	इन्दीक	सिवालय स्वीस्ट	सज्जन लाल पुत्र मनोहर लाल कुम्हार इन्दीक	पक्की दुकान (2) व टोन सेट	नहीं	PWD								
23	इन्दीक	शिवराज स्वीस्ट	शिवराज पुत्र लक्ष्मणसहाय सेनी इन्दीक	पक्की दुकान व टोन सेट व शराब टंका	नहीं	PWD								
24	इन्दीक	कुम्हार स्वीस्ट	ओमकार पुत्र विष्णुराम गुजर कुशालगढ	पक्की दुकान (3) व टोन सेट	नहीं	PWD								
25	इन्दीक	सेनी स्वीस्ट (1) मध से बट)	बनधारी नाथ इन्दीक	पक्की दुकान (4) व टोन सेट	नहीं	PWD								

सहस्रीलदार
सहस्रील-पालासे 3
जिला-अलवर (रा.सं.)

107

26	इन्दोक	रामधन स्वीस्ट	लक्ष्मणप्रसाद पुत्र रामधन सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
27	इन्दोक	हीरा स्वीस्ट	हीरालाल पुत्र रामधन सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
28	इन्दोक	रामचन्द्र फूल चन्द स्वीस्ट	लेखराज पुत्र फूलचन्द सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
29	इन्दोक	रामचन्द्र फूल चन्द स्वीस्ट	लेखराज पुत्र फूलचन्द सीनी इन्दोक	कारखाना पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
30	इन्दोक	रमेश स्वीस्ट	रमेश पुत्र गुलाबचन्द सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
31	इन्दोक	सीताराम स्वीस्ट	सीताराम पुत्र चन्द्राराम जोगी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
32	इन्दोक	रामबाबू स्वीस्ट	रामबाबू पुत्र कानूराम जोगी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
33	इन्दोक	रमेश स्वीस्ट	रमेश पुत्र गुलाबचन्द सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	PWD												
34	इन्दोक	हीरा स्वीस्ट	यादराम पुत्र हीरालाल सीनी इन्दोक	पक्की दुकान व टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	29/24	12-08-2024	यादराम पुत्र हीरालाल सीनी इन्दोक	1194/0.25	0.01है०	बंजड	पक्की दुकान एवं टीन सेट	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।				
35	इन्दोक	होटल सरिस्का मोटल	छोटेराल पुत्र बोदया मीणा इन्दोक	घार दिवार 100x100वर्गफुट व जाल टीन सेट व गार्डन	नहीं	राजस्व भूमि	6/24	01/07/2024	छोटेराल पुत्र बोदया जाति मीणा निवासी इन्दोक	259/0.20	1520वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28 08.2024 के द्वारा बंदखल किया गया है।				
36	इन्दोक	राजस्थान द्वाणी सरिस्का	ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल मीना इन्दोक	पक्की कमरे (6) दुकान (2) कमरे (3) डम्पर	नहीं	राजस्व भूमि	11/24	01/07/2024	रामप्रताप पुत्र कानाराम मीना निवासी इन्दोक	1304/3.90	357वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28 03.2024 के द्वारा बंदखल किया गया है।				
37	इन्दोक	निर्माण कार्य (नीर्माणधीन)	ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल सीनी इन्दोक	पक्का मकान एवं कारखाना	नहीं	राजस्व भूमि	47/24	17/09/2024	प्रकाश पुत्र हीरालाल सीनी निवासी इन्दोक	1208/0.36	0.02है०	बारानी सोयम	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 14 10.2024 के द्वारा बंदखल किया गया है।				

तहसीलदार
तहसील-मालारोडा
जिला-अजमेर (राज०)

18

38	इन्दोक	सरिस्का बाणी रेस्टोरेन्ट	रामकिशन पुत्र कानाराम मीना इन्दोक	पक्का कमरे-6 एक हॉल गार्डन व पार्किंग लेट	नहीं	राजस्व भूमि	17/24	01/07/2024	रामकिशन पुत्र रामप्रताप मीना निवासी इन्दोक	1304/3.90	665वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28/08/2024 के द्वारा बेदखल किया गया है।
39	इन्दोक	प्रियाशी साहिल होटल रेस्टोरेन्ट	जयराम पुत्र रामसुख मीना इन्दोक	पक्का कमरा	नहीं	राजस्व भूमि	33/24	12-08-2024	जयराम पुत्र रामसुखा मीना इन्दोक	1269/0.20	0.01है०	बाही सोयम	पक्का कमरा	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विभागाधीन है।
40	इन्दोक	भूतहरी रेस्टोरेन्ट	किशनलाल पुत्र हरबक्स मीना इन्दोक	पक्की दिवार एवं टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	07/24	01/07/2024	किशनलाल पुत्र हरबक्स मीना निवासी इन्दोक	248/0.83	3350वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28/08/2024 के द्वारा बेदखल किया गया है।
41	इन्दोक	फोरेस्ट कैफे रेस्टोरेन्ट	नारायण पुत्र राम प्रताप मीना इन्दोक	पक्की दिवार एवं टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	14/24	01/07/2024	नारायण पुत्र रामप्रताप मीना निवासी इन्दोक	1304/3.90	1225वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28/08/2024 के द्वारा बेदखल किया गया है।
42	इन्दोक	सरिस्का मीना डाबा	गिराज पुत्र प्रभूदयाल मीना इन्दोक	पक्की दिवार एवं टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	12/24	01/07/2024	गिराज प्रसाद पुत्र प्रभूदयाल मीना इन्दोक	1304/3.90	864वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28/08/2024 के द्वारा बेदखल किया गया है।
43	इन्दोक	मोहनलाल मीना हॉटल	मोहनलाल पुत्र रामप्रताप मीना इन्दोक	पक्की दिवार एवं टीन सेट	नहीं	राजस्व भूमि	15/24	01/07/2024	मोहनलाल पुत्र रामप्रताप मीना इन्दोक	1304/3.90	665वर्गफुट	बंजड	पक्का निर्माण	धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28/08/2024 के द्वारा बेदखल किया गया है।

तहसीलदार
तहसील-माताखेड़ी
जिला-अजमेर (राज.)

18

क्षेत्रीय वन अधिकारी अकबरपुर

बाप परिचालना सारिका क फिटेकल हाईगर हैमेटाट की सीमा से 01 से कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित / संभावित औद्योगिक / वाणिज्यिक / व्यवसायिक गतिविधियों संबंधी परिसरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु सार्व प्रयत्न (रिपोर्ट) (सयुक्त सर्व रिपोर्ट)							इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण							
क्र.सं.	ग्राम का नाम	नाम होटल / रिजॉर्ट / घोर्जल / फार्म हाउस (वैयक्तिक / व्यवसायिक क परिसर)	मालिक एवं प्रबंधन का नाम व पता	मीठ पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्वीमिंग पूल)	भू-संपरिवर्तन / अनुमति की स्थिति (हां / नहीं)	विशेष	अकरण संख्या	दाखर दिनांक	अतिक्रमी का नाम मय पता	खसरा नाम्बर मय रकबा	आरेकृत रकबा	किस्म	अतिक्रमण का प्रकार	टिप्पणी
1	बाहलडा	सीतीबेरी स्वीमिंग पूल एवं रेस्टोरेंट	अरुण सिंह पुत्र रामकिशन कौथरी ग्राम व पोस्ट मालाखेडा	एक स्वीमिंग पूल 80x50 वर्गफीट में तीन कमरे स्वीमिंग पूल हेतु व दो कमरे सथा बरामदा आवास हेतु	नहीं	राजस्व भूमि	39/24	30.08.24	अरुण सिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी मालाखेडा	3092/1.26	1.26हैठ	बंजड	स्वीमिंग पूल 5 कमरे, एक बरामदा पक्की बालूड़ी बनाकर	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
2	माधोगढ	खटाना होटल	धर्मसिंह पुत्र नारायण गुजर माधोगढ	चार कमरे आंशिक एकक	नहीं	राजस्व भूमि	56/19	13.03.19	भीकाराम पुत्र रुझिया जाति हमार वगैठ	1347/0.09	90वर्गफीट	बंजड	डाबा	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
3	माधोगढ	बसनाया होटल	तौवाराम पुत्र हरिराम गुजर ग्राम माधोगढ	पक्का निर्माण मय टीन शीड	नहीं	राजस्व भूमि	56/19	13.03.19	जल्सी देवी पति छुटन जाति बलाई निवासी माधोगढ	891/0.37	2x25 वर्गफीट	घाही द्वितीय	डाबा	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।
4	माधोगढ	सेनी सिंघान मण्डार नेतरम सेनी	नेतराम पुत्र गिरांज प्रसाद माली निवासी माधोगढ	एक पक्की दुकान टीन शीड (दो मंजिल)	नहीं	राजस्व भूमि	92/17	20.03.17	गिरांज पुत्र नारायण सेनी जाति माली निवासी माधोगढ	899/1417 /0.20	150वर्गफीट	गैठमुसदक	पक्की दुकान	धारा 91 के तहत सुनवाई के दौरान जहाँ द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नयादा। मालाखेडा का स्थान पेश किया गया है।
5	माधोगढ	नेतरम सेनी स्वीटल	जगदीश पुत्र जवाहर गुजर निवासी माधोगढ	6 पक्की दुकान टीन शीड	नहीं	राजस्व भूमि	91/17	20.03.17	जवाहर पुत्र छोदू गुजर ग्राम माधोगढ	899/1417 /0.20	600वर्गफीट	गैठमुसदक	पक्की 6 दुकान	धारा 91 के तहत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 29.06.22 से विचारण किया गया। परन्तु वर्तमान में है।
6	माधोगढ	सेनी सिंघान मण्डार	कैलाश पुत्र नारायण सेनी निवासी माधोगढ	एक पक्की दुकान एवं शीड	नहीं	राजस्व भूमि	93/17	20.03.17	कैलाश पुत्र नारायण सेनी जाति माली निवासी माधोगढ	899/1417 /0.20	300 वर्गफीट	गैठमुसदक	पक्की दुकान	धारा 91 के तहत सुनवाई के दौरान जहाँ द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नयादा। मालाखेडा का स्थान पेश किया गया है।
7	माधोगढ	सेनी स्वीटल	सुखराम पुत्र नारायण सेनी निवासी माधोगढ	पक्की दुकान टीन शीड (दो मंजिल)	नहीं	राजस्व भूमि	92/17	20.03.17	गिरांज पुत्र नारायण सेनी जाति माली निवासी माधोगढ	899/1417 /0.20	150वर्गफीट	गैठमुसदक	पक्की दुकान	धारा 91 के तहत सुनवाई के दौरान जहाँ द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नयादा। मालाखेडा का स्थान पेश किया गया है।

तहसीलदार
तहसील-मालाखेडा
जिला-अकबरपुर

110

8	भाधोगढ	सागर स्वीटस मिल्क केक	सागरमल पुत्र छितारमल माली निवासी भाधोगढ	पक्की दुकान टीम रोड	नहीं	राजस्व भूमि	55/17	20.03.17	सागरमल पुत्र छितारमल मल सैनी जाति माली निवासी भाधोगढ	801/0.13	800 वर्गफीट	बंजड	पक्की दुकान	धारा 91 के तहत सुनवाई के दौरान प्राप्ती द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मालाखेडा का स्थगन पेश किया गया है।
9	भाधोगढ	राजेश स्वीटस	योगेन्द्र पुत्र विनोदीलाल शर्मा	पक्की दुकान टीम रोड	नहीं	आवादी भूमि में								आवादी भूमि से संबंधित होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
10	भाधोगढ	सागर होटल	तोताराम पुत्र सरदार मूर्जर निवासी भाधोगढ	पक्की दीवार झोपड़ी	नहीं	राजस्व भूमि	57/19	13.03.19	तोताराम पुत्र सरदार जाति मूर्जर वर्ग	610/28	2260 वर्गफुट	बाही द्वितीय	दाबा	धारा 90-ए के तहत कार्यवाही विधायक के द्वारा है।


 तहसीलदार
 तहसील-मालाखेडा
 जिला-अलवर (राज.)

क्र. सं.	नाम होटल/रिसोर्ट/प्रोजेक्ट/फार्म हाउस (आधेगिक/वाणिज्यिक/व्यवसायिक/परिसर)	नाम ग्राम	नाम तहसील	जिला	मालिक/प्रदाता का नाम पता	मौज पर निर्माण की स्थिति (कच्चा, कमरे, स्वीमिंग पूल)	जी.पी.एस. मय फोटोग्राफ	भू-संश्लेषण/अनुमति की स्थिति (हां/नहीं) हों की स्थिति में भू-संश्लेषण/अनुमति की प्रति संलग्न की जावे	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट/अभ्यारण से दूरी	निकटतम वनखण्ड	वन भूमि (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	होटल नीलकण्ठ प्राईम सिट्टिट	सितावट	टहला	अलवर	श्री हरीकिशन मीणा पुत्र श्री रामप्रताप मीणा निवासी 154 नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर	12 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 मिनिंग हाल, 1 डायनिंग हाल, 1 किचिन, 1 आफिस, 1 पैन्ट्री, 2 कमरे निजी, आवास कुल एरिया 1.69 है. निर्माण 1.19 है. खातेदारी भूमि	N 27°14'34.3" E 76°30'18.7"	नहीं	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	दबकन	हां
2	दा चैलेट (रामपुर) स्टेट एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि. ए.6 2 फ्लोर सेक्टर 49 गुरुग्राम हरियाणा	राजडोली	टहला	अलवर	श्री निर्मल सिंह निवासी गुरुग्राम हरियाणा मैनेजर श्री धीरेन्द्र सिंह राठोड पुत्र मंगल सिंह नि.बुजेश कालोनी जोधपुर	8 वॉटेज, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डायनिंग हाल, 1 किचिन, खसरा नम्बर 544/585 कुल एरिया 2.28 है. खातेदारी 1.12 है. सिवायचक 1.16 है.	N 27°15'38.0" E 76°25'47.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 18.01.21 से 4000 वर्गमीटर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अनुमत किया गया।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला एवं नांडू	नहीं
3	दा लिटिल अफेयर	धेवर	टहला	अलवर	(1) श्रीमति कविता चौहान (2) निमित्त माधुर 219 जेक पैलेस रोड, होटल चन्द्र प्रकाश के पीछे उदयपुर	6 वॉटेज, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसोर्ट, 1 लाईब्रेरी, 1 निजी आवास, खसरा नम्बर 404/698 कुल एरिया 0.50 है. निर्माण क्षेत्र 1.15 है.	N 27°15'52.0" E 76°26'29.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 18.01.21 से 4000 वर्गमीटर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अनुमत किया गया।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	नांडू	नहीं
4	उत्सव कैम्प	मुरलीपुरा	टहला	अलवर	श्री लव शेखावत पुत्र राजेन्द्र सिंह शेखावत निवासी री. 89 शेखावत मार्ग, मूल रेसोर्टेन्ट आबाबाडी विद्यानगर नगर जयपुर	18 वॉटेज, 9 कोटेज नया निर्माणाधीन, 1 स्टाफ रूम, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसोर्टेन्ट, कुल एरिया 3.80 है. डिजाइन में 2.39 है. खसरा नम्बर 523, रकबा 1.8380 है. खसरा नम्बर 529, रकबा 0.5597 है.	N 27°15'35.0" E 76°27'40.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 7496 दिनांक 15.12.19 से खसरा नम्बर 523 व 529 का सम्पूर्ण रकबा पर्यटन इकाई हेतु संपरिवर्तित है।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	नांडू	नहीं
5	होटल धनाश्रय	तालाब	टहला	अलवर	श्री अरविन्द कुमार जैन, मै. नोमाडस लज्जी एडवेंचर सोल्यूशन प्रा.लि. डी 703 मयूरव्यज आर्टमेंट 60 LP एक्सटेंशन दिल्ली 110092	35 कमरे, 1 स्वामिंग पूल, 1 रेसोर्टेन्ट, 1 डायनिंग हाल, 1 किचिन, 1 आफिस, 1 बार, कुल एरिया 2.90 है. खसरा नम्बर 423, 425, 428, 435, 436, 424, 428, 434/4183, 437/4182, रकबा 2.82 है. संपरिवर्तन 2.82 है.	N 27°13'56.0" E 76°26'49.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 5940-49 दिनांक 29.08.2011 से पर्यटन इकाई हेतु संपरिवर्तित है।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खारिया वास	नहीं
6	होटल वनछवि रिसोर्ट, कटापा का गुवाह तालाब	तालाब	टहला	अलवर	श्री राजेन्द्र मलिक पुत्र मुन्शी राम मलिक जाति जाट निवासी खोबोद खुर्द तहसील बहादुरगढ़ जिला झर (हरियाणा)	16 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसोर्टेन्ट, 1 स्टाफ रूम, 1 आफिस, कुल एरिया 0.389 है. खसरा नम्बर 562 पूर्ण एरिया निर्मित	N 27°13'36.0" E 76°26'58.0"	मै.यु. आबादी ग्राम पंचायत तालाब का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खारिया वास	नहीं
7	होटल कुत्यानी राग सारिस्का	तालाब	टहला	अलवर	श्री योगेन्द्र सिंह चं हान पुत्र भंवरपाल सिंह राजपूत निवासी रैनफार्म तहसील हिण्डोली जिला बूंदी	11 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसोर्टेन्ट, 3 स्टाफ रूम, 1 ऑफिस, 2 निजी आवास, 1 स्टोर रूम कुल एरिया 0.389 है. पूर्ण एरिया निर्मित	N 27°12'56.0" E 76°26'59.0"	नहीं	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खारिया वास	नहीं
8	ग्रीन वैली सारिस्का टहला गेट के पास	टहला	टहला	अलवर	श्री लोचन विजय पुत्र राजनारायण विजय नि. नडोली टहला	5 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसोर्टेन्ट, कुल एरिया 0.50 है. निर्माण एरिया 0.25 है. खसरा नम्बर 962/2285	N 27°15'12.0" E 76°24'23.0"	तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक 3-14 दिनांक 12.11.2021 से 4000 वर्गमीटर भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु अनुमत किया है।	क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट की सं.मा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं

Amruxur R-9

(112)

9	सरिसका मैनोर SGS होटल्स एण्ड रिजॉर्ट प्रा.लि.	टहला	टहला	अलवर	श्री गजेन्द्र सिंह कंठार पुत्र मदन मोहन सिंह निवासी खातीपुरा जयपुर भूमि भाषिक श्री सन्दीप सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह राठोड निवासी गुणावटी इ.स.स, गंगापथ, सूरज नगर, पश्चिम सिडि ज लाईन्स जयपुर	28 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसटोरेन्ट, 1 किचिन कुल एरिया 2.11 है. निर्माण एरिया 2.11 है. खसरा नम्बर 346/2293 रकबा 0.80 है. खसरा नम्बर 346/2295 रकबा 0.80 है. खसरा नम्बर 372/2294 रकबा 0.80 है. खसरा नम्बर 372/2296 रकबा 0.80 है. कुल 1.75 है भू रूपान्तरण 1466.41 वर्गमीटर सिवायचक लगभग 30 एयर	N 27°15'14.0" E 76°24'30.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 6578 दिनांक 10.07.2013 से भू संपरिवर्तित है।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
10	कच्चा अविलेज रिजॉर्ट टहला (युन एन्ड प्राईजेज प्रा.लि.)	टहला	टहला	अलवर	श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र रामप्रकाश जाटव मकान न. 545 सेक्टर ए पाकिट बी. एण्ड सी बसंत कुंज नई दिल्ली और भारत सरकार Through-IFCI नेहरू पैलेस देहली	15 कमरे, 1 कमरा निर्माणधीन, 1 अलवर कच्चा छपपर, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसटोरेन्ट, 1 किचिन, 1 स्पा, 1 रिसेप्शन, 1 मैनेजर रूम, 1 स्टाफ रूम, 1 निजी आवास कुल एरिया 3.30 है. खातेदारी 2.20 है.चागाहा/सिवायचक 1.08 है. भूसंपरिवर्तन 14000 वर्गमीटर खसरा न. 38 रकबा 0.81 है. खसरा न. 45 रकबा 0.57 है. कुल 1.40 है. भू रूपान्तरण 14000 वर्गमीटर	N 27°15'57.0" E 76°24'35.0"	(1) श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 4459 दिनांक 11.07.2018 से वाणिज्यिक (रिजॉर्ट) प्रयोजनार्थ भू संपरिवर्तित है। (2) भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
11	अलगपट नेस्ट	राजखोली	टहला	अलवर	श्री शरद चौबे निव सी नोयडा	8 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसटोरेन्ट, कुल एरिया 0.50 है.	N 27°15'57.0" E 76°24'35.0"		क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खरिया वास	नहीं
12	अस्ट्रोपोर्ट 5वी यूनिट आफ अरुण्य एस्टाट्यूरीज्म प्रा.लि.	रूपबारा टहला	टहला	अलवर	श्री शक्ति सिंह पुत्र मगवान सिंह नाथावल, प्रताप नगर, जयपुर	21 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डार नेग हॉल, 1 बार, 1 रिसेप्शन, 14 स्टाफ रूम, कुल एरिया 1.32 है. निर्माण 1.15 है. खसरा न. 94 रकबा 0.72 है. खसरा न. 97 रकबा 0.35 है. कुल 1.32 है. भू रूपान्तरण 13200 वर्गमीटर	N 27°14'38.0" E 76°25'59.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 2029 दिनांक 10.04.20 से पर्यटन इकाई रिजॉर्ट हेतु भूसंपरिवर्तित है।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खरिया वास	नहीं
13	जंगल कैम्प	कूण्डला	टहला	अलवर	श्री जयदीप सिंह पुत्र कुशलसिंह भाटी जाति राजपूत निव सी अनावडा तहसील राजगढ अलवर	11 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डार नेग हॉल, 1 किचिन कुल एरिया 0.75 है. निर्माण 0.75 है. खातेदारी खसरा न. 44/1448 रकबा 0.25 है. सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण खसरा न. 44 लगभग 20 एयर	N 27°12'32.0" E 76°29'11.0"	(1) तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक 15 दिनांक 22.02.2018 से पेईंग गेस्ट हाउस योजना में अनुमति है। (2) पर्यटन विभाग अलवर के पी.जी. हाउस प्रमाण पत्र 13/2017 दिनांक 16.08.2017 से 15.08.2019 तक मान्य।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	उमरी देवरी	नहीं
14	गुलदार (सरिस्क) बन्धुश्री हॉस्पिटलिटी	पाटोलिया बास, टहला	टहला	अलवर	श्री वैभव पाराशर पुत्र मनोज पाराशर निवासी GL 57A विश्वेसरीय नगर विस्तार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	10 कमरे, 3 स्वीमिंग पूल, 1 डार नेग हॉल, 1 रिसेप्शन 1 निजी आवास, 2 स्टाफ रूम, 1 मन्दिर कुल एरिया 3.00 है. निर्माण 10000 वर्गफुट खसरा न. 173/2264 रकबा 3.00 है.	N 27°15'47.0" E 76°25'25.0"	भारत सरकार की MSME योजना में पंजीकृत।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
15	दा वनरव (दा वनरव हॉस्पिटलिटी)	टहला	टहला	अलवर	श्रीमती ज्योति जैमा पति दीपक जैमन निवासी टहला	7 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डायनिंग हॉल, 1 किचिन, 1 स्टोर रूम	N 27°14'42.0" E 76°24'36.0"	भू संपरिवर्तन नहीं है। ग्राम पंचायत टहला आबादी में है।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
16	दा बीहड सरिस्क	लोसल	टहला	अलवर	श्री विरेन्द्र सिंह	06 कमरे, 4 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डायनिंग हॉल, 1 किचिन, 2 स्टोर रूम कुल एरिया 5 बीघा. निर्माण 5 बीघा (111 एयर) खसरा न. 153/825	N 27°14'13.0" E 76°27'38.0"	भू संपरिवर्तन नहीं है।	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	नाडू	नहीं
17	मातोश्री ग्रीन स्टैट ग्राम दूंदपुरी बास बंजारा, टहला	ग्राम दूंदपुरी (धोली खान के पास)	टहला	अलवर	श्री स्वतन्त्र कुमार (शशिष्ठ पुत्र प्रमुदयाल वशिष्ठ निवासी काठाली रामपुरा।	09 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेसटोरेन्ट, 1 किचिन, 3 स्टोर रूम खसरा न. 135 से 141, 155, 161, 638 एवं 640	N 27°11'18.0" E 76°23'28.0"	ग्रामीण पर्यटन योजना 2022	क्रििकल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	कालवाड़	नहीं

18	वंशवन लज्जरी एडवेंचर्स सोल्यूशंस प्रा.लि. (निर्माणाधीन)	टहला	टहला	अलवर	श्री शक्तिसिंह पुत्र मगवान सिंह नाथवात, प्रताप नगर, जयपुर	पक्का निर्माण 2 कमरे, 3 स्टाफ रूम, 1 वाटर हार्जिस्टिंग स्ट्रे, 40 टैन्ट लगाया जाना प्रस्तावित कुल एरिया 1.206 है. खसरा न. 2034/173.	N 27°15'49.0" E 76°25'18.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 9304 दिनांक 17.12.18 से पर्यटन ईकाई रिसोर्ट हेतु भूसंपरिवर्तित है।	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
19	निर्माणाधीन होटल	तालाब	टहला	अलवर	श्री गिरार्ज प्रसाद पुत्र छाजूराम जैमन निवासी तालाब	18 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 डार नेंग हॉल, 1 कैम्प फायर कुल एरिया 40 एयर निर्माण 40 एयर खसरा न. 489	N 27°13'49.0" E 76°26'54.0"	भू संपरिवर्तन नहीं है। आवेदन किया हुआ बताया गया है।	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	खरिया वास	नहीं
20	सरिस्का ईको लॉज टहला (निर्माणाधीन)	टहला	टहला	अलवर	(1) श्रीमती शीता अनिल पति अनिल जैन निवासी 533 स्कीम न. 10 अलवर (2) श्रीमती सरोज कंध पति रघुवीर सिंह शेखावत निवासी मन्नी तहसील दाता रामगढ़ जिला सीकर	10 जेटेज, 1 स्वीमिंग पूल, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 रवा, 2 छोटे लंचूल्, 5 स्टाफ रूम, 1 चोकीदार रूम, 1 निजी आवास कुल एरिया 4.01 है. निर्माण एरिया 0.23 है. खसरा न. 371/2308 रकबा 1.00 है. का भूसंपरिवर्तन है तथा खसरा न. 335 रकबा 0.0185 है. रकबा 366 रकबा 0.577 है. 367 रकबा 0.0374 है. कुल 14700 वर्गमीटर कृषि पर्यटन हेतु	N 27°15'09.0" E 76°24'31.0"	श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के आदेश क्रमांक 6589 दिनांक 10.07.13 से पर्यटन ईकाई रिसोर्ट हेतु भूसंपरिवर्तित है।	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	टहला	नहीं
21	ताल बाग पैलेस	पावटा	टहला	अलवर	श्री धर्मसिंह गुर्जर	5 कमरे, डायनिंग हॉल	N 27°07'56.0" E 76°20'52.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	पावटा	नहीं
22	होटल वाशु, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	श्री महेश शर्मा	ग्राउण्ड फ्लोर में ओपन हॉल, किचन ओपन खुला एरिया, 2 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 5 कमरे विद लैटबाथ, 01 हॉल द्वितीय फ्लोर में 1 कमरा विद लैटबाथ	N 27°05'43.0" E 76°18'01.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
23	होटल राज रिसोर्ट भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	श्री प्रमु दयाल गुजर	बैंसमन्ट, लैटबाथ, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसोप्शन हॉल, डायनिंग हॉल, 02 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 8 कमरे विद लैटबाथ, 1 किचिन, टीन शेड, 1 बड़ा हॉल अपर छपपर, गार्डन एरिया, 1 स्विमिंग पूल, 10 लैटबाथ	N 27°05'42.0" E 76°18'03.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
24	भानगढ़ ड्रीमस टावर पार्क एण्ड रेस्टोरेन्ट	भानगढ़	टहला	अलवर	डॉ० रामखिलाडी गंधा	1 स्विमिंग पूल, 2 कमरे, 02 लैटबाथ, रसोई, कैटिन, गार्डन	N 27°05'41.1" E 76°18'07.4"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
25	द सैंवल कल्याण पैलेस, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	श्री प्रमु दयाल शर्मा	बैंसमन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसोप्शन, लैटबाथ, ओपन एरिया, स्टाफरूम, प्रथम फ्लोर में 8 कमरे विद लैटबाथ, द्वितीय फ्लोर में 2 कमरे विद लैटबाथ	N 27°05'43.0" E 76°18'03.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
26	सफारी रेस्टोरेन्ट, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	श्री शिव कुमार शर्मा	बैंसमन्ट में ओपन हॉल, किचन, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसोप्शन हॉल, 1 कमरे, 04 लैटबाथ, स्टोर	N 27°05'43.0" E 76°18'03.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
27	भानगढ़ फूड प्लाजा रिसोर्ट	गोलाकाबास	टहला	अलवर	श्रीमती फूलवती देवी	ग्राउण्ड फ्लोर में रिसोप्शन, किचन, 3 कमरे विद लैटबाथ, गार्डन, स्विमिंगपूल, 05 लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 7 कमरे विद लैटबाथ एवं 01 टीन शेड रूम।	N 27°04'06.0" E 76°18'26.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भानगढ़	नहीं
28	द थोर नेचर हॉल	पावटा	टहला	अलवर	श्री रामस्वरूप सैन	बैंसमन्ट में हॉल, 2 कमरे, ग्राउण्ड फ्लोर में रिसोप्शन, रेस्टोरेन्ट, किचन, 9 कमरे विद लैटबाथ, प्रथम फ्लोर में 16 कमरे विद लैटबाथ, द्वितीय फ्लोर में 3 कमरे विद लैटबाथ, 1 बर्यर बार विद लैटबाथ पीछे स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया, 04 लैटबाथ	N 27°07'51.0" E 76°20'48.0"	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	नारायणी माता	नहीं
29	सरिस्का नेचर रूटस	कालाखोरा	धानागाजी	अलवर	हेमन्त सिंह निवासी मलावली हाउस 8 गोविन्द नगर खातापुरा रोड, झोटवाड़ा जयपुर	2 कमरे, 1 बड़ा हॉल, 1 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल	N 27.4440 E 76.3395	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	भूडियावास	नहीं
30	स्टेरलिंग रिवर्इलंड सरिस्का	दुहार माला	धानागाजी	अलवर	संजुल हरसाना निवासी धानागाजी	8 पाके रूम, 26 टैन्ट, रिसोप्शन, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट 5 बीघा	N 27.4238 E 76.3320	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	दुहार माला	नहीं
31	सरिस्का सिट्रीट	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	पपीता देवी पति आदान गुर्जर निवासी धानागाजी	14 पक्के रूम, 6 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट	N 27.4082 E 76.3339	नहीं	क्रिडिकल टाईगर हैबीटाट की रेंज 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	दुहार माला	नहीं

32	सरिस्का सेंफारी जोज	अमरा का बास	धानागाजी	अलवर	जितेन्द्र शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी बनेट सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश	19 पक्के रूम, 1 फुल रेस्टोरेन्ट	N 27.3875 E 76.3271	हाँ	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित वन खण्ड अमरा का बास	अमरा का बास	नहीं
33	Wow Relish in Wild	जोधवाबास, भांगडोली	धानागाजी	अलवर	नरेश कुमार लंका पुत्र मनमोहन प्रसाद निवासी दिल्ली हान भांगडोली	6 पक्के रूम, 8 मठाउ रूम टीना/ड से, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट 2500 वर्ग गज	N 27.2243 E 76.1836	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित	अमरा का बास	नहीं
34	मधु विलास	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	श्री सावन जोशी पुत्र राकेश जोशी निवासी धानागाजी	13 पक्के रूम, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 गार्डन मैरिज	N 27.3920 E 76.3211	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित। निकटतम वन खण्ड अमरा का बास	अमरा का बास	नहीं
35	श्री कृष्णम	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	श्री आशीष माहेश्वरी पुत्र गजानन्द माहेश्वरी	7 पक्के रूम, 1 रेस्टोरेन्ट	N 27.3922 E 76.3207	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	अमरा का बास	नहीं
36	होटल आनन्द	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्रीराम निवासी मांची, बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड़	8 पक्के रूम, 1 रेस्टोरेन्ट	N 27.3921 E 76.3209	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	अमरा का बास	नहीं
37	सैफ जॉन होटल एण्ड कैफे	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	श्री दीपक मीणा निवासी मादरी तहसील धानागाजी जिला अलवर श्री चेताराम पुत्र बल्लाराम निवासी शिराटनगर	8 पक्के रूम, 1 रेस्टोरेन्ट	N 27.3902 E 76.3226	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित	अमरा का बास	नहीं
38	टाईगर डेन	सरिस्का	धानागाजी	अलवर	आरटीडीसी	31 पक्के रूम, रेस्टोरेन्ट, बार, लॉन	N 27.3902 E 76.3753	नहीं	अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	रूंध कालीघाटी	हाँ
39	सरिस्का पैलेस	सरिस्का	धानागाजी	अलवर	श्री केसरसिंह, धर्मवीर, सुनिल यादव निवासी गुडगांव रिसान्त ब्यास, हनुमानगढ़	103 पक्के रूम, 1 स्वीमिंग पूल, एसबीटी लॉन, गेन हॉल, 1 जनरेटर रूम, 1 अस्थबल	N 27.3928 E 76.3706	नहीं	अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	रूंध कालीघाटी	हाँ
40	सरिस्का टाईगर डेन	धानागाजी	धानागाजी	अलवर	श्री दिनेश दुर्गानी पुत्र मोहनलाल वर्मा निवासी भरतपुर	24 पक्के रूम, 16 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट	N 27.2226 E 76.1952	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित एवं अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	अमरा का बास	हाँ
41	अनन्ता रिसोर्ट	गुवाडा कुण्डवाल	प्रतापगढ़	अलवर	मुकुन्द शरण गोयतल	75 बेला, 1 स्वीमिंग पूल, किचन, रेस्टोरेन्ट, रिसेप्शन, बैंकॉट हॉल	N 27.2048 E 76.2888	हाँ	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित। निकटतम वन खण्ड, नैडली	अजबगढ़ / रूंध I नारायणी माता	नहीं
42	अमन बाग रिसोर्ट	अजबगढ़	प्रतापगढ़	अलवर	रितेश मुदगल	40 कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, किचन, 1 स्टॉफ क्वार्टर, 2 कॉमन स्वीमिंग पूल, 16 स्वीमिंग पूल कारों के अटैच	N 27.1660 E 76.2969	हाँ	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	अजबगढ़ / रूंध I नारायणी माता	नहीं
43	सूर्यबाग रिसोर्ट	गुवाडा दुलाबा	प्रतापगढ़	अलवर	सूर्यप्रताप सिंह	04 कमरे, डायनिंग हॉल, स्वीमिंग पूल, बैंकॉट हॉल	N 27.1613 E 76.2982	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	रूंध नारायणी माता	नहीं
44	दौखीवाडी रिसोर्ट	गुवाडा दुलाबा	प्रतापगढ़	अलवर	डा0 पृथा बिस्वास प्रबंधक- वरुण सहगल	निर्जो मकान 2500 वर्गफिट, टेंट-6, फक्के कमरे-ईको फेन्स-जी-5, पक्का कमरा-02, स्वीमिंग पूल निर्माणधीन	N 27.1587 E 76.2955	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित	रूंध नारायणी माता	नहीं
45	नमन बाग (फतेहाद फार्म)	पैतपुर	अलवर	अलवर	श्री नमन खण्डवाल प्रबंधक विष्णु चौधरी ग्राम बुरादई पो. साह जिला भरतपुर मालिक-बलराम प्रधान देहली मो. 8560090804	3 वर्गटेज, 9 कमरे, 1 स्वीमिंग पूल, 1 किचन, गार्डन, वाहन पार्किंग, 1.29 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'13.63" E 76°32'17.62"	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीपक	नहीं
46	नटनी हैरिटेज रिसोर्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	डायरेक्टर पूजा जैन अलवर	निर्माणधीन 4 कॉटेज, तीन बड़ी बेल्डिंग, 1.48 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'13.0" E 76°32'06.0"	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीपक	नहीं
47	दि जंगल लेप	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-मोहनलाल धावड धुमा तहसील टोडाशाम जिला टोंक प्रबंधक-सौरभ उपाध्याय दिल्ली मो. 9818391208	3 पक्के कमरे, स्टॉफ के 2 कमरे 2 कॉटेज, 5 टैन्ट, 1 किचन, 1 गार्डन, 0.55 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°31'20.5" E 76°31'26.3"	नहीं	क्रि:कल टाईगर हैबीटाट की संमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीपक	नहीं

115

48	रतन विलास सॉलरिस्टा रिपोर्ट डी सेवाम हॉलीडेक एण्ड रिपोर्ट्स	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-नवाई सिं निवासी खातीपुरा, जयपुर प्रबंधक-शानू बुढा कोठी रुडकी उत्तराखण्ड मो. 7100008062	39 वक्रे कमरे, 1 स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेन्ट, 6 स्टॉफे रूम, 1 किचन, लॉन, 1.80 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण- 8 टेन्ट रूम पुराने वाले में नये बनाए और खतरा नं. 73/982 में 5 रूम टीन शेड, 1 हॉल टीन शेड, 4 टेंट बाथ, 1 चबूतरा, 1 डबल मंजिला विला (4 रूम मय जैट बाथ)	N 27°31'24.0" E 76°31'21.5"	यू.आ.टी. अलवर से भूमि संपर्कित होटल रिपोर्ट में कन्वर्टड	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	हां
49	मेघावन रिपोर्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-रणजीत कौर निवासी पैतपुर प्रबंधक-मुकेश गुप्तर निवासी किशनपुर मो. 8377405734	7 प्लाके कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 2 गि वन, 0.30 हैक्टेयर में चारदीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण- 1 टीन शेड	N 27°31'26.54" E 76°31'24.80"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित। निकटतम वनखण्ड बीणक	बीणक	हां
50	वेशीटाट रिपोर्ट	किशनपुर	अलवर	अलवर	डायरेक्टर-सीमा पानी व संदीप खण्डवाल अलवर प्रबंधक-सुरेश सैनी, अलवर मो. 88520-8579	42 वक्रे कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 स्वीमिंग पुल, 1 किचन, गार्डन, कुआ, वाहन पार्किंग, वेटिंग एरिया, 1.40 हैक्टेयर में चार दीवारी वर्तमान सर्वे के अनुसार नया निर्माण- खतरा नं. 87/1084, 882, 887, 905/1093, 905/1108, 881, 905 में लगभग दो बीघा जमीन में ग्रेवल रोड टीन शेड, टॉटेज और कुएं के चारों ओर बाउण्ड्री, एक लॉन का नया निर्माण किया गया। पुराने निर्माण में 10 नए कमरे, एक नया सैन्टर 4 मंजिला निर्मित किए गया है।	N 27°31'51.0" E 76°31'24.0"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	किशनपुर	नहीं
51	रामबिहारी पैलेस होटल	किशनपुर	अलवर	अलवर	मालिक-रामनरेश मांची बानसर, अलवर प्रबंधक-नीरज जैन मो. 8000344848	17 वक्रे कमरे, 1 स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेन्ट किचन, वेटिंग हॉल, ऑफिस रूम, दो गार्डन, 1.02 हैक्टेयर में चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°31'48.6" E 76°31'11.6"	(सरपंच का अनापत्ति प्रमाण पत्र, दूरिमा की एन.ओ.सी.)	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	किशनपुर	नहीं
52	बाबा होटल	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-मदन लाल यादव निवासी सिलीसेड, प्रबंधक-मुकेश यादव निवासी सिलीसेड मो. 9983721607	6 प्लाके कमरे, 1 पक्का हॉल, 1 गार्डन, 0.11 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'50.43" E 76°31'58.57"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं
53	सासू की ढाणी	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-नरेन्द्र सिंह, अखैपुरा, अलवर मो. 9460106506	10 वक्रे कमरे, 1 पक्का हॉल, 0.25 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'51.6" E 76°31'58.7"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं
54	गुप्ता झील रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-महेश चन्द गुप्ता निवासी सिलीसेड पैतपुर, अलवर मो. 9468817653	8 प्लाके कमरे, 1 किचन, 1 हॉल 0.015 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'52.1" E 76°31'59.7"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं
55	आर.टी.डी.सी. होटल लेक पैलेस सील सेड	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक नाम मुताबिक जमाबंदी मकबजे इंजीनियरिंग विभाग राज0 सरकार, प्रबंधक-केसर सिंह निवासी सिकरय रोड जयपुर मो.9414410957	10 कमरे, 1 रेस्टोरेन्ट, 1 बार, 1 स्टाफ रूम, 1 किचन, रकबा 0.12 हैक्टेयर चार दीवारी वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°31'20.7" E 76°31'51.1"	डैरिटेज प्रोपर्टी	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं
56	नीलकमल झील रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-छगन लाल निवासी बखतपुरा, अलवर मो. 94600-7099	4 प्लाके कमरे, 2 टीन शेड, किचन, रकबा 0.0625 हैक्टेयर वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°30'53.02" E 76°31'36.17"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं
57	राजस्थानी होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	मालिक-ननगो देवी निवासी डोबा, अलवर प्रबंधक-निल निवासी डोबा, अलवर मो. 8955135240	8 वक्रे, 1 हॉल, 1 किचन, 1 रिसेप्शन रूम, 1 लॉन रकबा 0.0425 हैक्टेयर वर्तमान स्थिति यथावत	N 27°31'52.6" E 76°31'36.9"	नहीं	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की र मा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बीणक	नहीं

58	ताज ग्रुप	बखतपुरा	अलवर	अलवर	छायरेक्टर- प्रदीप देशवाल पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट द्वारा निवासी बूलहेडा जिला झुंजर, हरियाणा	उक्त खसरा नं. में चारदीवारी कं हई है। वर्तमान में मौके पर रेसोर्टनुमा बना हुआ है। वर्तमान स्थिति के अनुसार नया निर्माण- रेसोर्ट का निर्माण पहले ही हो चुका है और 120 कमरें, स्पा, लॉबी ब्लॉक, बैंक्वेट निर्माण हॉल में नींव के साथ प्रक्रिया में है। इस खसरा नं. में चार दीवारी व 3 तरिक सड़के पहले ही बन चुकी है।	N 7°32'40.38" E 76°29'58.81"	रेसोर्ट पर्यटन इकाई में उक्त आराधनी मुलाबिक जमाबंदी अनुसार भूमि सम्पत्तिवर्तन है।	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की सीमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	बखतपुरा	नहीं
59	फागणा-होटल	कुशालगढ़	मालाखेडा	अलवर	पालाराम पुत्र गोपाल गुर्जर कुशालगढ़	4 पक्के कमरे व टिन शेड, 210 वर्गफुट		धारा 9C-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।	सरकारी अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	कुशालगढ़	नहीं
60	राजस्थानी ढाणी सरिसका	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	ओमप्रकाश पुत्र बालाल मीणा इन्दोक	पक्के कमरे (5), दुकान (2), कमरे (3), छपपर		धारा 111 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28.08.2024 के द्वारा बेदागल किया गया है।	सरकारी अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	इन्दोक	नहीं
61	सरिसका ढाणी रेस्टोरेन्ट	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	रामकिशन पुत्र कामाराम मीणा इन्दोक	पक्के कमरे (6), 1 हॉल गार्डन व पार्किंग लेट		धारा 111 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 28.08.2024 के द्वारा बेदागल किया गया है।	सरकारी अभ्यारण्य की सीमाओं के अन्दर स्थित।	इन्दोक	नहीं
62	सीलीबेरी स्वीमिंग पूल एवं रेस्टोरेन्ट	बालेटा	मालाखेडा	अलवर	अरूण सिंह पुत्र रामकिशन चौधरी ग्राम व पोस्ट मालाखेडा	1 स्वीमिंग पूल 80'50 वर्गफुट में तीन कमरें स्वीमिंग पूल हेतु व दो कमरें तथा बरामदा आवास हेतु		धारा 9C-ए के तहत कार्यवाही विचारधीन है।	क्रिकल टाईगर हैबीटाट की सीमा से 01 किमी की परिधि के अन्दर स्थित।	सीलीबेरी मय बालेटा	हां

क्र. स.	नाम होटल/रिसोर्ट/प्रोजे क्ट/फार्म हाउस (ओद्योगिक/वाणिज्य /व्यवसायिक परिसर)	नाम ग्राम	नाम तहसील	जिला	मालिक/प्रबंधक का नाम पता	मौके पर निर्माण की स्थिति (क्षमता, कमरे, स्वीमिंग पूल)
1	2	3	4	5	6	7
1	टाईगर डेन	सरिस्का	थानागाजी	अलवर	आरटीडीसी	31 पक्के रुम, रेस्टोरेन्ट, बार, लॉन
2	सरिस्का पैलेस	सरिस्का	थानागाजी	अलवर	श्री केसरसिंह, धर्नवीर, सुनिल यादव निवासी गुडगांव दिशान्त व्यास, इनुमानगढ़	103 पक्के रुम, 1 स्वीमिंग पूल, एसबीटी लॉन, गेम हॉल, 1 जनरेटर रुम, 1 अस्थबल
3	सरिस्का टाईगर हैवन	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	श्री दिनेश दुर्रानी पुत्र मोहनलाल वर्मा निवासी भरतपुर	24 पक्के रुम, 16 टैन्ट, 1 स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेन्ट
4	फागण-होटल	कुशालग ढ	मालाखेडा	अलवर	मालाराम पुत्र गोपाल गुर्जर कुशालगढ	4 पक्के कमरे व टीन शेड, 210 वर्गफुट
5	राजस्थानी ढाणी सरिस्का	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल मीणा इन्दाक	पक्की कमरे (5), दुकान (2), कमरे (3), छपपर
6	सरिस्का ढाणी रेस्टोरेन्ट	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	रामकिशन पुत्र कानाराम मीणा इन्दोक	पक्की कमरे (6), 1 हॉल गार्डन व पार्किंग लेट

Annexure

R-10

118

क्र. स.	नाम होटल/रिसोर्ट/प्रोजेक्ट/फार्म हाउस (ओद्योगिक/वाणिज्य/व्यवसायिक परिसर)	नाम ग्राम	नाम तहसील	जिला	सम्पत्ति की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	होटल नीलकण्ठ प्राईम रिट्रिट	सितावट	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
2	दा चैलेट (शामपुर स्टेट एण्ड रिंसाट प्रा.लि. ए.6 2 फ्लोर सेक्टर 49 गुरुग्राम हरियाणा)	राजडोली	टहला	अलवर	वैध
3	दा लिटिल अफेयर	धेवर	टहला	अलवर	Applied
4	उत्सव कैम्प	मुरलीपुरा	टहला	अलवर	वैध
5	होटल वनाश्रय	तालाब	टहला	अलवर	वैध
6	होटल वनछवि रिसोर्ट, कटारा का गुवाडा तालाब	तालाब	टहला	अलवर	वैध
7	होटल कुत्यानी बाग सरिस्का	तालाब	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
8	ग्रीन वैली सरिस्का टहला गेट के पास	टहला	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
9	सरिस्का मैनोर SGS होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि.	टहला	टहला	अलवर	वैध
10	कस्बा अविलेज रिसोर्ट टहला (धुम एन्डर प्राईजेज प्रा.लि.)	टहला	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
11	अलगपट नेस्ट	राजडोली	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
12	अस्ट्रोपोर्ट 5वी यूनिट आफ अरण्य एस्ट्रो टूरिज्म प्रा.लि.	रूपबारा टहला	टहला	अलवर	वैध
13	जंगल कैम्प	कूचला	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
14	गुलदार (सरिस्का) वन्यश्री हॉस्पिटलिटी	पाटोलिया बास, टहला	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
15	दा वनश्व (दा वनश्व हॉस्पिटलिटी)	टहला	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
16	दा बीहड सरिस्का	लोसल	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
17	मातोश्री ग्रीन स्टे, ग्राम दूंदपुरी बास बंजारा, टहला	ग्राम दूंदपुरी (धोली खान के पास)	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
18	वंशवन लग्जरी एडवेन्चर्स सोल्यूशन प्रा.लि. (निर्माणाधीन)	टहला	टहला	अलवर	वैध
19	निर्माणाधीन होटल	तालाब	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
20	सरिस्का ईको लोज टहला (निर्माणाधीन)	टहला	टहला	अलवर	वैध
21	लाल बाग पैलेस	पावटा	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
22	होटेल वाशु, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
23	होटेल राज रिसोर्ट भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
24	भानगढ़ ड्रीमस वाटर पार्क एण्ड रेस्टोरेन्ट	भानगढ़	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
25	द रॉयल कल्याण पैलेस, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
26	सफारी रेस्टोरेन्ट, भानगढ़	भानगढ़	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
27	भानगढ़ फूड प्लाजा रिसोर्ट	गोलाकाबास	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
28	द प्योर नेचर होटेल	पावटा	टहला	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
29	सरिस्का नेचर स्टेटस	कालाखोरा	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
30	स्टेरलिंग रिवाइल्ड सरिस्का	दुहार माला	थानागाजी	अलवर	वैध
31	सरिस्का रिट्रिट	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
32	सरिस्का सॅफारी लोज	अमरा का बास	थानागाजी	अलवर	वैध
33	Wow Relish in Wild	जोधावास, भांगडोली	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
34	मधु विलास	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
35	श्री कृष्णम	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
36	होटल आनन्द	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी

37	सैफ जोन होटल एण्ड कैफे	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
38	टाईगर डेन	सरिस्का	थानागाजी	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
39	सरिस्का पैलेस	सरिस्का	थानागाजी	अलवर	वैध
40	सरिस्का टाईगर हैवन	थानागाजी	थानागाजी	अलवर	वैध
41	अनन्ता रिसोर्ट	गुवाडा कुण्डयाल	प्रतापगढ	अलवर	वैध
42	अमन बाग रिसोर्ट	अजबगढ	प्रतापगढ	अलवर	Applied for renewal
43	सूर्यबाग रिसोर्ट	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
44	चौखीवाडी रिसोर्ट	गुवाडा दुलावा	प्रतापगढ	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
45	नमन बांग (फतेहगढ फार्म)	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
46	नटनी हैरिटेज रिसोर्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
47	दि जंगल लेप	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
48	रतन विलास सरिस्का रिसोर्ट दी सेवाम हॉलीडेक एण्ड रिसोर्ट्स	पैतपुर	अलवर	अलवर	वैध
49	मेघावन रिसोर्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
50	देशीठाठ रिसोर्ट	किशनपुर	अलवर	अलवर	वैध
51	रामबिहारी पैलेस होटल	किशनपुर	अलवर	अलवर	वैध
52	बाबा होटल	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
53	सासू की ढाणी	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
54	गुप्ता झील रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
55	आर.टी.डी.सी. होटल लेक पैलेस सीलीसेड	पैतपुर	अलवर	अलवर	वैध
56	नालकमल झील रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
57	राजस्थानी होटल एवड रेस्टोरेन्ट	पैतपुर	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
58	ताज गुप	बख्तपुरा	अलवर	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
59	फागणा-होटल	कुशालगढ	मालाखेडा	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
60	राजस्थानी ढाणी सरिस्का	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
61	सरिस्का ढाणी रेस्टोरेन्ट	इन्दोक	मालाखेडा	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी
62	सीलीबेरी स्वीमिंग पूल एवं रेस्टोरेन्ट	बालेटा	मालाखेडा	अलवर	कारण बताओ नोटिस जारी



Regional Office, Alwar
Rajasthan State Pollution Control Board

D-Block, Ambedkar Nagar, Alwar (Rajasthan) - 301001

Phone : 0144 - 2980531, E-mail : ro.alwar@gmail.com



International Year
of Cooperatives

Registered/E-mail

RPCB/RO/ALW/Gen-453/ 1141

Date- 06/10/2025

**Hotel Tiger Den (RTDC),
 Village- Sariska, Tehsil- Thanagazi,
 District- Alwar, Rajasthan**

Subject: - Show cause notice for intended directions for closure under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Reference: Letter of the Sub Divisional Officer Thanagazi dated 03.07.2024.

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act-1981 (hereinafter called as 'the Air Act') and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the Water Act') for violation of various provisions of the Acts here-in-after shown: -

1. Whereas, the Environment (Protection) Act, 1986 (hereinafter referred to as the 'Act') came into force in whole of country with effect from 19.11.1986.
2. Whereas the Air Act came into force in the whole of the State of Rajasthan with effect from 16.6.1981.
3. And whereas the Water Act came into force in the whole of the State of Rajasthan with effect from 23.03.1974.
4. And whereas the Air Act has been enacted to provide for the prevention, control and abatement of air pollution and the Water Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
5. And whereas keeping this in view the Board has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the prevention, control and abatement of air and water pollution.
6. And whereas, Sub-Divisional Officer, vide letter dated 03.07.2024, has forwarded the survey report of hotels situated within 1 km radius of the Critical Tiger Habitat of Sariska Tiger Reserve.
7. And whereas, M/s Hotel Tiger Den (RTDC) is operating hotel/ restaurant at/ near Village-Sariska, Tehsil- Thanagazi, District- Alwar and during operation it emits polluted air and/ or polluted water.
8. And whereas, you are operating above hotel/ restaurant without valid consent of the state board.
9. And whereas the State Board in performance of its duties under the Acts, is competent to issue any directions under section 33 A of the Water Act and section 31 A of the Air Act in writing to any person, officer or authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions.
10. And whereas the above observations indicate that the unit has failed to comply with the provisions of the Air Act and Water Act.
11. And whereas above stated non- compliances and violations of the provisions of the Air Act and Water Act has been viewed seriously by the Board.



Regional Office, Alwar

Rajasthan State Pollution Control Board

D-Block, Ambedkar Nagar, Alwar (Rajasthan) - 301001

Phone : 0144 - 2980531, E-mail : ro.alwar@gmail.com

International Year
of Cooperatives

Therefore, in order to prevent further pollution being caused by the hotel/ restaurant and for non-compliance of the provisions of the Water Act & Air Act the Board intends to exercise of the powers conferred upon it under section 33(A) of the Water Act, 1974 and section 31(A) of Air Act, 1981 intends to issue following directions: -

- (A) That all the processes carried out by the unit should be closed down and
- (B) That appropriate authorities should be directed to stop supply of water and electricity to the unit and seal DG sets.

If you have any objection against intended actions, you may submit your reply to this office within a period of 15 days from the date of issue of this notice, failing which directions may be confirmed without any further notice.

(Neeraj Sharma)
Regional Officer

Copy to: -

- 1. File of M/s Hotel Tiger Den (RTDC).
- ✓ 2. Hotels File (General), RSPCB, Alwar.
- 3. Master File, SCN (Directions), RSPCB, Alwar

Regional Officer